छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **चतुर्थ सत्र**

गुरुवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2024

(अग्रहायण 28, शक सम्वत् 1946)

[अंक 03]

Web Copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

गुरूवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2024

(अग्रहायण 28, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

बधाई

मानानीय अध्यक्ष महोदय के अध्यक्षीय कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने पर

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने एक साल पूरे कर लिए, मैं अपने दल की ओर से आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) इस एक साल में आपकी कृपादृष्टि बनी रही, आपने पर्याप्त संरक्षण दिया, समय दिया। मगर मैं सोचता हूं, उधर आपकी जो कुदृष्टि बननी चाहिए, उसकी कमी रही। आने वाले वर्षों में उधर कुदृष्टि बनी रहे और हमारी तरफ आपकी कृपादृष्टि बनी रहे, इसकी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

उप मुख्यमंत्री (श्री अरूण साव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष के रूप में पीठासीन अधिकारी के रूप में आपका यशस्वी और सफल कार्यकाल एक साल पूरा हुआ है, मैं आपको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन की ओर से व्यक्तिगत रूप से सबकी ओर से आपको एक साल पूरे करने में बहुत-बहुत बधाई। सबकी ओर से आपके यशस्वी जीवन जीवन की कामना करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से आपको विधान सभा अध्यक्ष के रूप में एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप इस सदन के तीन बार नेता रहे और आपने केन्द्रीय मंत्री का दायित्व निभाया, पार्टी के अध्यक्ष के रूप में दायित्व निभाया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में दायित्व का निर्वहन किया और आपने हमेशा सभी पदों को गरिमामय तरीके से निर्वहन किया। मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) आप लगातार हर दायित्व में हमारी इस छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए तत्पर रहे, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। हमें आपके नेतृत्व के साथ काम

करने का अवसर प्राप्त हुआ और हमारे जैसे सैकड़ों विद्यार्थियों को सीखने का अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं।

श्री कवासी लखमा (कोंटा) :- अध्यक्ष जी, आज एक साल पूरा होने पर उधर से भी कई सदस्यों ने और हमारे नेता जी ने भी आपको बधाई दी, मैं भी आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। पहले उधर बैठते थे तो बढ़िया मुस्कुराते थे, आप उपर से भी बढ़िया मुस्कुराते हो और सबको संभालने का काम करते हो, मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई। विशेष रूप से आपने इन लोगों को उस दिन व्यक्तिगत डांट दिए तो किसी की आवाज नहीं निकली, धन्यवाद।

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- अध्यक्ष महोदय, आपका सफलतम कार्यकाल जो एक साल रहा, वह सब नई-नई ऊंचाईयों को हासिल किया। आपका सफलतम कार्यकाल हम सबको प्राप्त हुआ, इस कार्यकाल में सबके साथ न्याय हुआ, हमारा तो नारा ही यही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। आपने वहां बैठकर उस नारे को चरितार्थ किया और जहां तक नेता प्रतिपक्ष जी ने कुदृष्टि की बात की। अध्यक्ष महोदय, आप जिस आसंदी को शोभित कर रहे हैं, वहां से आप यहां जब मुख्यमंत्री के तौर पर तीन कार्यकाल रहे, इसके बावजूद आपने कुदृष्टि नहीं लगाई, कुदृष्टि नहीं हुआ। आप ऐसी जगह में हैं, आप सबके सर्वमान्य, सर्वप्रिय, सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी हैं। इसलिए आप सबमें व्याप्त हैं। आपको इस अवसर पर यहां पर देख करके हम सब प्रसन्नचित हैं। हम सबका यह सौभाग्य है कि आप इस आसंदी को ग्रहण करके यहां की शोभा बढ़ा रहे हैं। आपके इस कार्यकाल में निश्चित ही हम और बड़ी ऊंचाईयों में पहुंचेंगे, प्रदेश की विधान सभा को देश की अग्रणी विधान सभा में ले जाने का आपका जो प्रयास हो रहा है, उसमें आप सफल हों, बहुत-बहुत धन्यवाद, बधाई। (मेजों की थपथपाहट)

श्री किरण देव (जगदलपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपके 1 वर्ष के कार्यकाल के पूर्ण होने पर आपको बहुत-बहुध बधाई हो। चूंकि हम पहली बार इस सदन में निर्वाचित होकर आये हैं। निश्चित रूप से सरकार में लगातार 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ ने आपके मुख्यमंत्रित्वकाल को भी देखा है। जिस तरीके से आपने उस समय विकास के अभूतपूर्व आयाम निश्चित किये, उसकी न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि देश में भी प्रशंसा होती रही है। आज के इस अवसर पर मैं आपको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।

श्री रामकुमार यादव (चंद्रपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर आपके जो एक बछर गुजरीस हे, ओला हम सब देखत हन। जइसे कोई महतारी के दू ठन बेटा रहिथे। ओखर एक ठन बेटा हा नौकरी पा जाए रहिथे अऊ एक ठन बेटा हा बेरोजगार अऊ कमजोर रहिथे तो ओखर लिए ओखर दोनों बेटा हा समान रहिथे। लेकिन ओखर बाप अऊ महतारी के मया हा कमजोर बेटा तरफ ज्यादा रहिथे। हमन 1 बछर में देखे हन कि आप तो 89 विधायक ला एक बरोबर जरूर समझथो, लेकिन आपके मया

हा हमर कमजोर तरफ ज्यादा रहिथे। जिस प्रकार से आप एक संतुलन बना के रखे हो, एहा काबिल ए तारीफ है। आपके इही खासियत है। ऐखरे खातिर पूरा देश मा छत्तीसगढ़ के ए सदन के चर्चा होथे। ऐखर लिए मैं आप ला बहुत-बहुत बधाई देत हो। धन्यवाद।

श्रीमती गोमती साय (पत्थलगांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपका 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर आपको बहुत-बहुत बधाई हो। आपके संरक्षण में हम जैसे विद्यार्थी को अच्छे से सीखने का अवसर मिला। आपका 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर आपको पुन: बहुत-बहुत बधाई हो। धन्यवाद।

श्रीमती भावना बोहरा (पण्डरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके 1 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के लिए मेरी ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मैं नये विधायकों की तरफ से यही कहना चाहूंगी कि जब सदन की बैठक का पहला दिन था और जब हम यहां पहली बार आये थे तो जब हमारा पहला प्रश्न लगा था तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं नर्वस थी, शायद उसी तरह से सारे नये विधायक कहीं न कहीं थोड़े नर्वस रहे होंगे। लेकिन आपको आसंदी पर देखकर और जिस तरह से आपने पिछले 1 साल में हम लोगों को अपनी बातों का बोलने का अवसर दिया है और जितने प्रश्न लगे, उनमें आपकी तरफ से हमको जो भी सुनने और समझने के लिए मिला तो निश्चित ही उससे हम सबका आत्मविश्वास बढ़ा है। इसी तरह से हम सबको आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपके प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका 1 वर्ष का कार्यकाल सराहनीय रहा है। आप बहुत अच्छे हैं। जिस तरह का आपका नाम है, आप उसी तरह से काम कर रहे हैं और सबको सहयोग दे रहे हैं। मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके 1 वर्ष के कार्यकाल के पूर्ण होने पर मैं सभी नये सदस्यों की ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और शुभकामनाएं समर्पित करता हूं। हम सभी नये सदस्यों को यह उम्मीद है कि एक अभिभावक के रूप में आप हमें संरक्षण प्रदान करते रहेंगे। ताकि यह विधान सभा संसदीय आकाश के नक्षत्र के रूप में स्थापित हो। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं हों।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका 1 वर्ष का अध्यक्षीय कार्यकाल पूर्ण होने पर मैं आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जिस भी पद पर आसीन हुए, उस पद की पहचान आपने केवल और केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं, बल्कि समूचे देश में बनाई है। इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपकी कार्यशैली में दलगत भावना नहीं रही, इसके लिए भी आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप सभी का धन्यवाद। इस विधान सभा में अध्यक्ष के पद पर आसीन होने के लिए मैं खुद अपने आपको गौरवशाली महसूस करता हूं क्योंकि इतनी जीवंत, इतनी अनुशासित और

युवाओं से भरी हुई यह विधान सभा देश में अपनी प्रतिष्ठा और नाम को अर्जित कर रही है। यह सब आप लोगों की वजह से है। इसमें अध्यक्ष की भूमिका को आप अवसर ही नहीं देते हैं। एक साल बीत गया, लेकिन ऐसा लग रहा है, मैं सचिव महोदय से बोल रहा था कि ऐसा लगा कि इसी हफ्ते में हम लोग इस विधान सभा में पहली बार आये थे। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि आज आप सभी माननीय सदस्यों ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। माननीय अरूण साव जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने अपनी बात रखी, उन्हें भी धन्यवाद। माननीय अजय चंद्राकर जी, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप जी, हमारे वरिष्ठ साथी मोहले जी, किरण देव जी, रामकुमार जी, गोमती साय जी, भावना बोहरा जी, सुशांत शुक्ला जी, द्वारिकाधीश जी और सभी सदस्यों को, जो इस विधान सभा में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। एक साल के अंदर हमारे विधायकों में जो आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन आया है, उससे मुझे लगता है कि आपने इतना शानदार परफॉरमेंस किया है। मैं नये विधायकों को भी बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) जो पहली बार मंत्री बनकर आये हैं, उनको और उनके जवाब देने के तरीके को मैं देख रहा हूं कि वह इतने अनुभवी तरीके से काम कर रहे हैं। आप लोगों ने पूरे सदन का जो वातावरण बनाकर रखा है, इसमें अध्यक्ष की भूमिका बहुत कम रहती है, इसमें आप सबकी भूमिका रहती है। 90 आप हैं, मैं अकेला हूं। मगर आप उस 1 को उतना महत्व देते हैं और इतना सम्मान करते हैं, मुझे लगता है कि यह कायम रहें और छत्तीसगढ़ की विधान सभा को हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ विधान सभा की ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए आप सबकी भूमिका सतत् जारी रहें। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय :- श्री धर्मजीत सिंह जी। नये वर्ष के पहले दिन में आज आप विशेष परिधान में आये हैं, इसलिए आपको शुभकामनाएं।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे माननीय धर्मजीत जी का परिधान है, मुझे आज इनको देखकर मिथुन चक्रवती की याद आ गई। (हंसी) मुझे ऐसा लगा कि सदन में रजत जयंती के अवसर पर कुछ परफाम करने वाले हैं।

अध्यक्ष महोदय :- इस बार सांस्क्रितक कार्यक्रम है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मिथुन चक्रवती जी अभी चल फिर नहीं पा रहे हैं। ये पूरी तरह से एक्टिव हैं। अंदर बाहर से एक्टिव हैं।

श्री केदार कश्यप :- यह हमारे क्रितिक रोशन हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी, आपको अध्यक्ष बने एक साल हुआ है। मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं। आप 15 साल मुख्यमंत्री रहें। आपने विनम्रता, शालीनता, धैर्य, गंभीरता से इस प्रदेश का नेतृत्व किया। आप अभी ना पक्ष हैं ना विपक्ष हैं। आप निष्पक्षता से निष्पक्ष की कुर्सी पर बैठकर इस सदन को चला रहे हैं। आपके नेतृत्व में यह सदन पूरे हिन्दुस्तान में उत्कृष्ट और उत्कृष्टतम स्तर पर होगा। इसीलिए आज मैं आपके सम्मान में यह कपड़ा पहनकर आया हूं।

अध्यक्ष महोदय :- वाह। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

श्री धर्मजीत सिंह :- उतनी ठंड नहीं है, लेकिन अब क्या करें। अध्यक्ष जी, कभी-कभी शो भी करना पड़ता है। आज पहला साल था तो आपको रिसीव भी किए हैं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रश्न पूछ लेता हूं।

प्रदेश में संचालित शासकीय एवं गैर शासकीय अस्पतालों में फायर सेफ्टी की व्यवस्था

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

1. (*क्र. 645) श्री धर्मजीत सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में कुल कितने पंजीकृत शासकीय एवं गैर शासकीय अस्पताल संचालित हैं, विवरण देवें? **(ख)** कंडिका "क" के अस्पतालों में फायर सेफ्टी हेतु क्या-क्या प्रावधान हैं एवं फायर सेफ्टी नहीं होने की स्थिति में क्या कार्यवाही करने का प्रावधान हैं, विवरण देवें? **(ग)** कंडिका "क" के अस्पतालों में कब-कब फायर सेफ्टी आडिट कराया गया हैं एवं जिन अस्पतालों में फायर सेफ्टी की उचित व्यवस्था नहीं हैं, उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई हैं, विवरण देवें?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :(क) प्रदेश में नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत गैर शासकीय अस्पतालो की संख्या 1129 है। इस एक्ट में शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं को पंजीकृत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। **(ख)** अस्पतालों में फायर सेफ्टी हेतु प्रावधान अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं नियम 2021 के नियम-32 के उप नियम (1) एवं नियम 35 में उल्लेखित है। फायर सेफ्टी नहीं होने की स्थिति में उक्त नियम की धारा 45 में इनके उल्लंघन की स्थिति में कार्यवाही किए जाने का प्रावधान उल्लेखित है। **(ग)** राज्य के शासकीय अस्पतालों में समय-समय पर फायर सेफ्टी हेतु ऑडिट कराये जाने का प्रावधान है। इस वर्ष भी शासकीय अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में फायर सेफ्टी मानकों के पालन किए जाने के सम्बन्ध में संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के पत्र दिनांक 20.11.2024 को भी निर्देश जारी किए गए हैं। फायर सेफ्टी आडिट की जिलेवार जानकारी परिशिष्ट-1 संलग्न है। राज्य के शासकीय अस्पतालों में फायर सेफ्टी मॉकड्रिल कराये जाने हेतु भी विभाग द्वारा दिनांक 13.12.2024 को निर्देश जारी किए गए हैं। शासकीय अस्पतालों में प्रतिवर्ष फायर सेफ्टी ऑडिट

उपरांत आवश्यकतानुसार सुधार किया जाता है। मानकों के पालन किए जाने एवं आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है, निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा फायर सेफ्टी ऑडिट कराये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अत: कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यह पूछा हूं कि कितने अशासकीय अस्पताल और कितने शासकीय अस्पताल सरकार के पास लिस्टेड है ? आपने बताया कि 1129 प्रायवेट अस्पताल के लिस्ट में है, सरकारी अस्पताल को रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। लेकिन इस प्रदेश में निजी और शासकीय मेडिकल कालेज भी होंगे, जहां बहुत बड़ी संख्या में मरीज भर्ती होते हैं। यह फायर आडिट का मामला है। क्योंकि रायपुर मेकाहारा में भी आग लग चुकी है और एक अस्पताल में कुछ लोग जिंदा जल गये थे। मैं आपसे किसी व्यक्तिगत अस्पताल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं यह चाहता हूं कि फायर आडिट जैसे गंभीर विषय पर विभाग और प्रशासन को गंभीर होना चाहिए। जो मरीज कोमा में है, वहां पर भर्ती है, वह चल-फिर नहीं पता है, आपके फायर प्रमाण-पत्र के आधार पर वह वहां निश्चिंत होकर रहता है। अचानक आग लगने से ना तो वह हट सकता, ना भाग सकता और कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण वह बच नहीं सकसता, वह जल जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि 9 मीटर से अधिक ऊंचं ऐसे भवन जिसकी ऊंचाई 9 मीटर से अधिक हो या जिसमें भूतल और ऊपरी दो मंजिल हो या 30 बिस्तर से अधिक वाले अस्पताल हों, जिसमें कोई क्रिटिकल केयर यूनिट हो, तो फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य है। इस प्रदेश में इस 9 मीटर के पैमाने पर कुल कितने अस्पताल हैं, उसमें कितने सरकारी हैं और कितने गैर सरकारी अस्पताल हैं, जिस पर फायर सेफ्टी का प्रमाण-पत्र लेना जरूरी है। आप उसकी संख्या बताने की कृपा करें ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने इसी में संशोधित जवाब दे दिया है। शायद आप तक नहीं पहुंची होगी। सुबह-सुबह देने का कुछ प्रावधान रहता है। मैंने कहा था कि इधर भेज देंगे। फिर भी मैं उसको पढ़ देता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, संशोधित उत्तर में सबसे अच्छी बात यह है कि आपने इसी महीने के 13 तारीख को निर्देश जारी किया है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप इतने जागरूक हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह उत्तर मुझे यहां अध्यक्ष जी के बधाई के दौरान ही मिला है। मैं तो पढ़ भी नहीं पाया हूं। फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- 13.12.24 को ही नहीं, उसके पहले 20.11.24 को भी आदेश जारी किए हैं। आप दोनों देखिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने इसी महीने में आदेश जारी किया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- आप दोनों देखिये, आप हेड-टेल दोनों देखिये। इसके पहले 20.11.2024 को भी जारी किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने इसी महीने में जारी किया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- 13.12.2024 को जारी हुआ है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- 20.11.24 को भी जारी हुआ है। आप देख लीजिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- कोई बात नहीं। आपने आदेश जारी किया है। क्या जारी किया है, अस्पतालों की कितनी संख्या है ? मैं यह पूछ रहा हूं। यह 9 मीटर मापदण्ड वाले में कितने अस्पताल हैं ? जो 9 मीटर, 30 बिस्तर वाला अस्पताल होगा, आप उसकी संख्या बताईये न ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, यह मामला फायर आडिट का है। मैं पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसे मसले को उठाया। यह फायर आडिट पूरी तरह से गृह विभाग के अधीन आता है और फायर सेफ्टी का ऑडिट गृह विभाग करता है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार माननीय श्री विष्णु देव साय जी की जीरो टॉलरेंस की सरकार है और सुशासन को कायम रखने के लिए अभी तक नर्सिंग होम एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन होते थे, उसमें रजिस्ट्रेशन से पहले फायर सेफ्टी का एन.ओ.सी. लगता था, उसको हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी, आप मुझे सिर्फ मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिये कि 9 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन के मापदंड में कितने शासकीय एवं गैर शासकीय अस्पताल हैं, जहां मरीज जाकर ईलाज करवाते हैं और उनको फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट लेना जरूरी है? चाहे यह कोई भी विभाग का विषय हो। अगर यह विषय गृह विभाग के अधीन है तो हम गृह विभाग से प्रश्न लगाकर प्रश्न पूछ लेंगे, परंतु अस्पताल तो आपका है। मेकाहारा अस्पताल में आग लगी तो बदनामी आपके विभाग की हो रही थी न। वहां मरीज ले देकर बच गये थे। अगर जल कर उनकी मौत हो जाती तो यह विभाग, वह विभाग से मतलब नहीं है। मरीजों की सुरक्षा आग से बचाने के उपाय के बारे में पूरे सरकार का सामूहिक दायित्व है। आप मुझे यह बताईये कि इस प्रदेश में ऐसे कितने अस्पताल हैं, जो 9 मीटर से अधिक ऊंचाई के मापदंड के अंदर आते हैं और जिनको फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे 1129 गैर शासकीय अस्पताल हैं, उन सभी अस्पतालों को फायर सेफ्टी लगाने के लिए कहा गया है। हमारी शासकीय अस्पतालों में 35 जिला अस्पतालों के भवन निर्माण किए गए हैं। हमारे पास 10 मेडिकल कॉलेज हैं। साथ ही 183 सी.एच.सी. हैं, 5162 सब हेल्थ सेंटर हैं, 765 पी.एच.सी. हैं एवं 07 शहरी सी.एच.सी. हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, पी.एच.सी. में 10-15 बेड से ज्यादा नहीं होता है। आपने इस प्रश्न के जवाब में लिखा है कि ऐसे भवन जो 30 से अधिक बिस्तर वाले हो, जिसकी ऊंचाई 9 मीटर से अधिक हो, जिनमें भूतल एवं दो उपरी मंजिलें हो, को फायर सेफ्टी

प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य है। मैं उस अस्पताल के फायर सेफ्टी के बारे में पूछ सकूं। मैं उसका संख्या जानूंगा तभी तो आगे प्रश्न पूछूंगा। आप अंदाजी संख्या बता दीजिये या पूछकर बता दजिये।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछने की जरूरत नहीं है। मैं सक्षम हूं। हमने इस प्रश्न के जवाब में स्पष्ट कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग की अधिसूचना दिनांक 29 नवम्बर, 2022 के अनुसार ऐसे भवन जिसकी ऊंचाई 9 मीटर से अधिक हो या जिनमें भूतल एवं दो उपरी मंजिल वाला हो।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, आप बाकी का छोड़िये। मैं अभी इसमें कोचिंग सेंटर का नहीं पूछ ही रहा हूं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- मैंने गैर शासकीय अस्पतालों की संख्या 1129 बताया।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं होटल का भी नहीं पूछ रहा हूं। मैं सिर्फ अस्पताल का पूछ रहा हूं कि गृह विभाग के निर्देश पर हमारे प्रदेश में इस मापदंड के अंतर्गत कितने अस्पताल आते हैं? मैं अस्पताल का नाम भी नहीं पूछ रहा हूं। आप सिर्फ आंकड़ा दे दीजिये कि 10, 20, 25, 50, 150, 200, 300, 500 या जो भी संख्या होगा, वह आप बता दीजिये। आप कुछ तो आंकड़ा बताईये। आपको यह मालूम होना चाहिए कि कौन-कौन से अस्पताल फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए बहुत जरूरी है? उसका आंकड़ा होगा तब मैं आगे बात करूंगा।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इस मामले में हर साल हमारी शासकीय अस्पतालों का ऑडिट करते हैं। मैंने जो 1129 गैर शासकीय अस्पताल बताया है, उन सभी में अनिवार्य रूप से फायर सेफ्टी लगाए गए हैं। यह हमारा विषय भी नहीं है। उसमें गृह विभाग फायर सेफ्टी ऑडिट करती है। उसमें हमको ऑडिट करने का अधिकार नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्वास्थ्य विभाग का विषय क्यों नहीं है? मंत्री जी, आप अस्पताल को सर्टिफिकेट देते हैं, उस सर्टिफिकेट में जब तक अस्पताल की सेफ्टी, सेक्युरिटी और फायर से बचने के उपाय के प्रावधान नहीं होंगे तो आपने 1129 गैर शासकीय अस्पतालों को सर्टिफिकेट कैसे दे दिया? अगर आपने उनको सर्टिफिकेट दिया, लाइसेंस दिया, अनुमति दी तो वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी है। इसलिए मैं आपसे यह पूछ रहा हूं। मैं किसी एक अस्पताल को लेकर नहीं पूछ रहा हूं। मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। मैं अपना दिमाग बिल्कुल क्लीन चिट रखकर, क्लीन पेपर सरीके आया हूं कि इस प्रदेश में हम दो घटना देख चुके हैं। मेकाहारा अस्पताल में आग लगी। एक और अस्पताल में मरीज की जिंदा जलकर मृत्यु हुई। मैं किसी अस्पताल के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश के जितने भी अस्पताल हैं, जहां आदमी अशक्त होकर भर्ती होता है। आग लगने की घटना में वह बचकर भाग भी नहीं सकता है। वैसी स्थिति में फायर सेफ्टी का क्या इंतजाम है और

उसके लिए अस्पतालों की क्या संख्या है? यह बता देंगे तो मैं एक और प्रश्न पूछकर अपनी बात खत्म कर दूंगा। मंत्री जी, यदि आपको जानकारी नहीं है तो बाद में बता दीजियेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं है तो बाद में बता देना ।

श्री धर्मजीत सिंह :- बाद में बता दूंगा बोल दीजिए ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, वैसे फायर आडिट का हमारे विभाग का जिम्मा ही नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर प्रश्न अस्वीकार कर देना था । यह तो और गैरजिम्मेदार उत्तर है । इसे एक्सेप्ट नहीं करना था, यह तो और गंभीर उत्तर है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- इस प्रश्न को आपको एक्सेप्ट नहीं करना था । अस्पताल खुला है और अस्पताल में फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं कि यह हमारे विभाग का जिम्मा नहीं है...।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह प्रश्न ही क्यों स्वीकृत हुआ ? आपके विभाग को प्रश्न को अस्वीकृत कर देना था ।

श्री धर्मजीत सिंह :- इस प्रदेश को लोगों को मरने के लिये अस्पताल में छोड़ा नहीं जा सकता । इसके लिये कौन जिम्मेदार है, यह बताईये ?

श्री अजय चन्द्राकर :- उसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- हमारे प्रदेश के 2000 हॉस्पीटल खुद के हैं, इसलिये इस प्रश्न को स्वीकार करके और पूरे जिम्मेदारी के साथ, हमारे जो प्रायवेट हॉस्पीटल हैं, उनमें सेफ्टी आडिट किया जा रहा है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, 2000 अस्पताल तो है भी नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इसके दायरे में आता नहीं है, 9 मीटर से ऊँचा कौन-कौन सा अस्पताल है, 30 बेड से ज्यादा कहां पर है, निजी और शासकीय में बताईये, मरीज वहां भरती रहते हैं, आग लगेगी तो जल जायेंगे, मर जायेंगे, डी.एन.ए. टेस्ट कराकर बताना पड़ेगा कि यह इसके घर का है, यह इसके घर का है, मैं इसलिये चाहता हूँ कि आप इसको संज्ञान में लीजिए और मुझे अस्पताल की संख्या बता दीजिए तो अगली बार मैं दूसरा कुछ ...।

अध्यक्ष महोदय :- उपलब्ध करा देंगे, बाद में दूसरा प्रश्न आ जायेगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- ऐसा बोल दीजिए, तब भी मैं आगे बढ़ूंगा ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- ठीक है, संख्या उपलब्ध करा दूंगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :-आप संख्या उपलब्ध करा देंगे...।

अध्यक्ष महोदय :- आप दूसरा प्रश्न करिये ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- आप संख्या उपलब्ध करा देंगे, जो संख्या आप उपलब्ध करायेंगे...।

अध्यक्ष महोदय :- आप को मौका दूंगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, आप यह बताईये कि फायर आडिट करता कौन है, 2000 रूपये में फायर आडिट का सर्टिफिकेट बाजार में बिक रहा है, आप उसको कभी ट्रायल करायें हैं क्या ? अभी पिछले दो महीनों में अस्पतालों में कोई ट्रायल हुआ है क्या ? इसका फायर आडिट कौन करता है, इसकी जांच कौन करते हैं ? कौन-कौन लोग रहते हैं, यह जरा बता दीजिए ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- देखिये, मैंने जवाब में स्पष्ट रूप से बताया है कि फायर आडिट का काम छत्तीसगढ़ में गृह विभाग करती है, मुझे कन्फर्म नहीं है, देश में भी करती हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में गृह विभाग करती है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सामूहिक उत्तरदायित्व है भई, गृह मंत्री जी हैं ।

श्री श्याम बिहारी जायवाल :- अध्यक्ष महोदय, फायर सेफ्टी आडिट का प्रमाण पत्र गृह विभाग से जारी होता है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, मैं समझ गया । मंत्री जी के पास फायर आडिट के संबंध में कोई सही जानकारी उपलब्ध नहीं है । अध्यक्ष महोदय, यहां पर गृह मंत्री भी बैठे हैं । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मुझे आपकी काबिलियत पर कोई शंका नहीं है, लेकिन आप गृह मंत्री बोल दिये तो सामने में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी बैठे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इन दोनों ही विभाग के मंत्रियों से निवेदन भी कर रहा हूँ, मांग भी कर रहा हूँ, प्रश्न भी पूछ रहा हूँ कि इस प्रदेश में अगले दो महीने के अंदर सभी ऐसे अस्पताल, जो आपके मापदण्ड 9 मीटर के ऊपर हैं, जिसमें 30 बिस्तर हैं, उसका फॉयर आडिट आपके सक्षम अधिकारियों से कराईयेगा और जो फॉयर आडिट में पास नहीं होता है, उसे बंद कराईये तथा जो फॉयर आडिट की व्यवस्था नहीं कर सकता है, उस अस्पतालों पर रोक लगाईये, जहां फॉयर आडिट है, वहां जॉच करा लीजिए । गृह मंत्री जी, आप करायेंगे क्या, आप ही बोल दीजिए ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण और लाजमी प्रश्न है, इस पर पिछले पॉच वर्षों से तो कुछ भी नहीं हुआ है, परन्तु सदन के माध्यम से, माननीय सदस्य के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के ऊपरांत इस काम को जरूर किया जायेगा ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी...।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रश्नकाल है ..।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- प्रश्न नहीं ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, आपका हो जायेगा ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाह रही थी कि फॉयर आडिट किसमें आता है ?

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न करने दीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रश्न करन दे ददा । माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो पूरक जानकारी दी है, नर्सिंग एक्ट होम में जो निजी अस्पताल है, उसमें फॉयर सेफ्टी एक्ट के प्रावधान नहीं है । इन्होंने जितने निजी अस्पताल बताये हैं, उसमें फॉयर सेफ्टी एक्ट का सर्टिफिकेट लेने का प्रावधान है या नहीं है, नर्सिंग एक्ट होम में कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा उन्होंने उत्तर में कहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या उन निजी अस्पतालों को फॉयर सेफ्टी एक्ट में शामिल करने के लिये प्रावधान करेंगे क्या ? उसमें संशोधन करेंगे क्या या प्रावधान करेंगे क्या ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, प्रायवेट नर्सिंग होम एक्ट में जो उसमें रजिस्ट्रेशन के लिये प्रमाण पत्र, जैसा कि माननीय सदस्य धर्मजीत सिंह जी ने चिंता की है और एक शब्द का उपयोग किया है कि बाजार में बिक रहे हैं, इसलिये हमने उन पेचिदगियों को दूर करने के लिये, उसकी अनिवार्यता में पहले एन.ओ.सी. को खतम किया है, लेकिन जो आपकी चिन्ता है, उसके अनुसार *Self* declaration वाला फायर आडिट का प्रमाण-पत्र हम उनको जारी करेंगे। वे स्वत: घोषणा करें कि उनके यहां पूरी व्यवस्था है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसमें तो एक्ट संशोधन में करना पड़ेगा ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद यदि उनके यहां व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो निश्चित रूप से हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा था कि एक्ट में प्रावधान करेंगे क्या ? यह एकदम छोटा सा प्रश्न है कि आप एक्ट में संशोधन करके निजी अस्पताल को भी उसके दायरे में लाएंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- पर्याप्त प्रश्न हो गए । राजेश मूणत जी ।

"हमर क्लिनिक" निर्माण हेतु राशि का आबंटन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

2. (*क्र. 113) श्री राजेश मूणत : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या अतारांकित प्रश्न संख्या-25 (क्र. 480), दिनांक 24 जुलाई, 2024 के उत्तर में यह स्वीकार किया गया है कि 15 वें वित्त आयोग द्वारा राशि आबंटन प्राप्त न होने के कारण छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन द्वारा बनाये जा रहे "हमर क्लिनिक" अधूरे पड़े हैं और कार्य रूके हुए

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हैं? **(ख)** यदि हां, तो प्रश्नांक ''क'' में उल्लेखित अधूरे पड़े "हमर क्लिनिक" को पूर्ण करने हेतु राज्य शासन की क्या योजना है? यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जी हां। **(ख)** मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. का पत्र क्रमांक /15th FC/लेखा/ 2024-25/291/276, दिनांक 10.05.2024 द्वारा 15वें वित्त आयोग अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 से लंबित राशि के मांग हेतु भारत सरकार को पत्र प्रेषित किया गया है। राशि आबंटन की स्थिति में पूर्ण करने की योजना है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा-सीधा प्रश्न है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रश्न उल्टा कहां होता है, सीधा ही होता है । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- राजेश जी, बाकी लोग टेढ़ा प्रश्न कर रहे थे, इसका मतलब ठीक है । आप अपना प्रश्न जारी करें ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी दो लाईन का उत्तर देकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए । हर मोहल्ले में स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार की दृष्टि से "हमर क्लीनिक" की स्थापना की गई। अब अगर वह क्लीनिक बनाया गया है तो बिल्डिंग और उसके सेट-अप की जिम्मेदारी किसकी है ? मेरा सिर्फ एक लाईन का सीधा प्रश्न है । माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत पैसा मिलेगा, हमने पत्र भेजा । तो क्या 15वें वित्त आयोग के भरोसे ही पूर्व सरकार ने यह योजना चालू की थी क्या ? इसके लिए सरकार की क्या स्थिति है, क्या इस योजना को चलाएंगे या इस योजना में पैसा नहीं आएगा तो अधूरे क्लीनिक बने हुए हैं, वह पड़े रहेंगे ? यह स्थिति स्पष्ट करें ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एकदम सही कहा कि पिछले समय में भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है कि पी.एच.सी. और सी.एच.सी. से भी अलग हटकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य विस्तार के लिए योजना चलाई और उसमें जो शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम है, उसमें हमर अस्पताल जो पी.एच.सी. स्तर का और हमर क्लीनिक जो गांवों में उप स्वास्थ्य केन्द्र होता है, उस स्तर का प्रस्ताव भारत सरकार ने भेजा । यहां उसका नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर था, उसको केवल नाम चिपकाने के लिए पिछली सरकार ने हमर क्लीनिक और हमर अस्पताल का नाम दे दिया । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि उसके लिए 15वें वित्त आयोग ने 2021-22 में 338 करोड़, 79 लाख, 44 हजार रूपए प्रदेश में भेजे और वित्त विभाग ने उस पैसे को अंतरित करने में जो विलंब किया, उसके चलते भारत सरकार ने दूसरी किश्त जारी नहीं की और उसके लिए भारत सरकार ने 7 करोड़, 23 लाख रूपए का जुर्माना लगाया । जुर्माने की राशि पिछले समय में शीर्ष कोर्ट 2049 में जमा करना था, उससे निकालकर उन्होंने कोर्ट 2210 में डाल दिया था । अब हमारी सरकार आने के बाद जब समीक्षा की गई कि हॉस्पिटल क्यों नहीं बन रहे हैं तो पता चला

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कि भारत सरकार से पैसे नहीं आ रहे हैं । उसके लिए हमने अपने एम.डी. (एन.एच.एम.) को एक बार मई में आखिरी में चुनाव के बाद और उसके बाद अगस्त में दूसरी बार दिल्ली भेजा तो पता चला कि जब तक वे फाईन नहीं पटाएंगे, तब तक वह राशि हमको नहीं मिलेगी और अभी अनुपूरक बजट में हमने उसका प्रावधान कराकर 7 करोड़ 23 लाख रूपए उस खाते में इस सप्ताह जमा हो जाएगा और संभवत: भारत सरकार की दूसरी और तीसरी किश्त भी हमें जारी हो जाएगी तो हमर अस्पताल जो माननीय सदस्य की चिन्ता है, जो पूरे प्रदेश में अधूरे पड़े हैं, यह 364 मोहल्ले में से 180 मोहल्ले में संचालित हैं और जो 184 मोहल्ले में बचे हैं, उसको पूरा किया जाएगा ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह योजना प्रारंभ की तो इसमें राज्य सरकार का क्या योगदान है ? क्या इसका सेट-अप स्वीकृत है, वहां पर हमर क्लीनिक में कितने डॉक्टर रहेंगे, कितनी नर्स रहेगी, क्या रहेगा तो क्या इसका कोई सेट-अप स्वीकृत हुआ ? दूसरा, यह केन्द्र पोषित योजना है या राज्य सरकार ने ज्वाइंट करके इस योजना को प्रारंभ किया ? इसमें राज्य की क्या भूमिका है, इसे भी स्पष्ट कर दें।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस प्रकार सेटअप के बारे में पूछा है, तो हमर क्लीनिक में 5 प्रकार के मानव संसाधन होते हैं। इसमें पहला चिकित्सा अधिकारी होते हैं, जो सामान्यत: एमबीबीएस होते हैं, एक एमपीडब्ल्यू(पुरुष), एक स्टाफ नर्स (महिला), एक जूनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट और पांचवा एक कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी का होता है। इस प्रकार से कुल पांच मानव संसाधन होते हैं और यह कार्यक्रम पूरी तरह से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित होता है। इनके सभी के सेटअप स्वीकृत हैं और जिनमें बिल्डिंग बन गए हैं, उनमें संचालित हो रहे हैं और जिनमें अभी नहीं बने हैं, बिल्डिंग बनने के बाद संचालित होंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आखिरी प्रश्न कर लीजिए।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर प्रश्न है और इसकी गंभीरता को समझते हुए मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत हमर क्लीनिक नाम रख दिया और नाम रखने के बाद सामुदायिक भवन की बिल्डिंग का renovation करके खाली बोर्ड लगाकर चालू कर दिया। मैं रायपुर शहर की भी बात नहीं कर रहा हूं केवल अपने विधान सभा क्षेत्र रायपुर पश्चिम की बात कर रहा हूं, 17 भवनों में से केवल 3 पूर्ण हुए और उसे भी कैसे किए कि भवन नहीं बनाए, 25 लाख रुपए प्रति भवन के हिसाब से राशि मंजूर हुई, तो क्या 25 लाख रुपए में भवन बन जाएगा? आपने सामुदायिक भवन के ऊपर केवल एलीवेशन बना दिया, और एलीवेशन में बढ़िया फोटो आदि चिपका दिया और उसमें लिख दिया-हमर क्लीनिक, उसमें न सेटअप है, न स्टाफ है, न दवाई है, तो आखिर में केवल नाम चिमकाने के लिए पूर्व सरकार ने ये काम

किया है, तो आप इसकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे, यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। आपने शहर की जनता को गुमराह करके हमर क्लीनिक खोल दिया....।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, इनके विधान सभा का बता दीजिए।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरे प्रदेश का मामला है, कोई छोटा-मोटा मामला नहीं है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये संदेश पूरे प्रदेश में जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप जवाब सुन लीजिए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता जायज है और लंबे समय से पिछली सरकार में ही केवल, ये जो कह रहे हैं, ऐसी कई जगहों पर बातें आई हैं कि सामुदायिक भवन के लिए जो पैसे आए थे, उससे रंग-पोत दिए गए हैं, उसकी तो मैं निश्चित रूप से पूरी जांच कराऊंगा ही कि ऐसा कहां हो रहा है, परंतु मैं यह आश्वस्त करता हूं कि जल्द ही भारत सरकार से पैसे आयेंगे और जो अधूरे काम हैं, वह पूर्ण हो जाएंगे।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पॉलिसी के लिए आग्रह कर रहा हूँ और मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि अगर आपने यह योजना प्रारंभ की और यदि योजना के अंतर्गत आपका बिल्डिंग का सेटअप नहीं होगा...।

अध्यक्ष महोदय :- आप चाहते क्या हैं, यह बता दें।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि इसकी बिल्डिंग स्वीकृत करेंगे?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्डिंग 25 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत है

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे भाई 25 लाख रुपए में कौन सी बिल्डिंग बनती है? उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं बनता है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमर क्लीनिक उप स्वास्थ्य केन्द्र ही है।

अध्यक्ष महोदय :- स्वीकृत उतना ही है, क्या करेंगे।

श्री राम कुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा आग्रह है। मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के जड़ मितानिनमन होथे। ओमन के पांच महीना होगेहे पइसा नई मिले हे। मितानिनमन ला पइसा भेज देव।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें यह प्रश्न कहां से आ गया?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद सदस्य महोदय को जानकारी नहीं है। अभी सत्र कल तक और चलेगा, आज उनसे पूछकर आइएगा, अक्टूबर तक का पेमेंट हमने कर दिया है। किसी मितानिन का भुगतान शेष नहीं है।

जिला-राजनांदगांव अंतर्गत सामग्री एवं उपकरण क्रय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

3. (*क्र. 631) श्री भोलाराम साहू : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2023 -24 से दिनांक 25/11/2024 तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजनांदगांव द्वारा कौन-कौन सी सामग्री एवं उपकरण जेम पोर्टल से कितनी लागत से क्रय किये गये हैं ? क्रय किए गए सामग्री एवं उपकरण की निविदा दर क्या है? विवरण देवें? (ख) क्या क्रय से पूर्व अधीनस्थ स्वास्थ्य संस्थानों से मांग पत्र लिया गया हैएवं सी.जी.एम.सी से एनओ सी प्राप्त की गयी है? सामग्री एवं उपकरण क्रय हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को क्या वित्तीय अधिकार दिए गए हैं, कृपया बताएं।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जानकारी "संलग्न प्रपत्र[1] अनुसार" है। (ख) जी हाँ। सामग्री एवं उपकरण क्रय हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को शासन द्वारा रू. एक लाख तक प्रति इंडेन्ट का वित्तीय अधिकार दिये गये हैं।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को राजनांदगांव जिला चिकित्सालय की ...।

अध्यक्ष महोदय :- फिर अजय जी खड़े हो गए। भोला के पीछे क्यों पड़े रहते हो? आप बैठिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- भोलाराम जी, आप क्यों प्रश्न कर दिए? पूरे प्रश्न की जानकारी अध्यक्ष कक्ष में देनी चाहिए, कहॉ यहां प्रश्न करते हो? आपका तो पूरा सेटिंग वाला मामला है।

श्री भोलाराम साहू :- आपका सेटिंग नहीं है क्या उधर से? जल्दी सेटिंग कर लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से राजनांदगांव जिला चिकित्सालय में सामान खरीदी के बारे में प्रश्न पूछा था । उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी द्वारा संलग्न परिशिष्ट-एक में जेम पोर्टल से क्रय की गयी 15 सामग्री उपकरण के बारे में बताया गया है। जिसे एक लाख रूपये से कम में क्रय किया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि वहां सी.एम.एच.ओ. के द्वारा 35 सामानों का क्रय किया गया है। जिसमें 4-5 लाख से अधिक की सामग्री क्रय की गयी है और जिसका बिल वहां पर

[1] परिशिष्ट "एक"

नहीं लगा है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस प्रकार स्वास्थ्य से संबंधित मामले में भ्रष्टाचार किया गया है। आप उस अधिकारी के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे ? मेरे पास उसके पूरे दस्तावेज, बिल और नोटशीट हैं। यदि आप कहें तो मैं इसे पटल पर रख दूंगा ? मंत्री जी, आप यह बताईये कि मेरे प्रश्न के उत्तर में एक लाख रूपये की सामग्री क्रय का बिल दर्शाया गया है, जिससे सदन को और आपको गुमराह किया गया है। राजनांदगांव जिले में ऐसे अधिकारी काबिज है। कृपया आप इसे बतायें।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग से जो लिखित में जानकारी आयी है, उसमें जेम पोर्टल से 15 सामानों की खरीदी हेतु विवरण आया है। जेम पोर्टल में एक लाख रूपये तक की खरीदी के लिए सी.जी.एम.एस.सी. से एन.ओ.सी. नहीं लेना पड़ता है और यह उनकी पूरी सूची है। यदि माननीय वरिष्ठ विधायक बोल रहे हैं और आपके संज्ञान में ऐसी कुछ बात आयी है तो निश्चित रूप से मुझे दे दीजियेगा। मैं उसको दिखवाऊंगा।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सदन में 15 सामानों की सूची उपलब्ध कराई है। लेकिन वहां की सामग्री खरीदी के दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध है, जिसमें पूरा बिल, वाउचर और उसका आदेश है, जिसके लिए नोटशीट चला है। माननीय मंत्री जी, मैं आपको दूसरी बात बताना चाहूंगा कि आपके द्वारा दिये गये उत्तर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को शासन द्वारा एक लाख रूपये प्रति इंडेन्ट का वित्तीय अधिकार दिया गया है लेकिन चिकित्सा अधिकारी द्वारा छिपाने हेतु परिशिष्ट-एक में सिर्फ उन्हीं उपकरणों की सूची उपलब्ध कराई गई है, जो एक लाख रूपये से कम के है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 नवंबर, 2024 को जेम पोर्टल से एक सामग्री 912 रूपये की दर से 300 नग खरीदी गयी है, जिसका मूल्य 2 लाख 73 हजार 600 रूपये है। उसी प्रकार आर्टरी फोरम को 755 रूपये की दर से 300 नग खरीदा गया है, जिसका मूल्य 2 लाख 26 हजार 500 है।

अध्यक्ष महोदय :- आप पूरा दस्तावेज मंत्री जी को दे दीजिये। आपको जो शंका है, मंत्री जी उसकी जांच करवा लेंगे।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे शंका नहीं है। इस प्रकार का भ्रष्टाचार किया गया है (शेम-शेम की आवाज)। ऐसे अधिकारी सदन को गुमराह कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- वह जांच करा लेंगे। मंत्री जी तैयार है।

श्री भोलाराम साहू :- अध्यक्ष महोदय, मेरे पास सूची है, वर्क ऑर्डर है और नोटशीट है।

अध्यक्ष महोदय :- भोलाराम जी, आप जवाब सुन लीजिये, फिर प्रश्न करियेगा।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानता हूं, मैं विधायक रहा हूं। विधायक बड़ी मुश्किल से प्रश्न लगाते हैं और उनका प्रश्न फंसता है और वह जवाब चाहते हैं। यदि आप बोल रहे हैं कि उसमें गड़बड़ी हुई है और उसमें एक लाख रूपये से ऊपर की खरीदी हुई है, तो यह

माननीय विष्णु देव साय जी की जीरो टॉलरेंस की सरकार है। मैं इसकी जांच का आदेश देता हूं। इसमें जिसने भी गड़बड़ी की होगी, हम उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे (मेजों की थपथपाहट)।

अध्यक्ष महोदय :- जांच का आदेश हो गया और क्या चाहिए ? चरणदास महंत जी।

प्रदेश में घटित नक्सली घटनाएं

[गृह]

4. (*क्र. 160) डॉ. चरण दास महंत : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जुलाई, 2024 से 24 नवम्बर, 2024 की अवधि में प्रदेश में कितनी नक्सली घटनाएं एवं नक्सली पुलिस मुठभेड़ की घटनाएं किस-किस जिले के, किस-किस थाना क्षेत्र में हुई? जानकारी घटनावार, तिथिवार देवें? **(ख)** नक्सली घटनाओं एवं मुठभेड़ों में सुरक्षाबल के कितने जवान शहीद हुए? कितने घायल हुए? कितने नागरिक क्रॉस फायरिंग में तथा नक्सलियों द्वारा मारे गए? कितने नक्सली मारे गए? कितने नक्सली गिरफ्तार किए गए? **(ग)** मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों पर राज्य पुलिस/केन्द्रीय सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा घोषित इनाम की जानकारी देवें? **(घ)** उक्त घटनाओं में क्या-क्या अस्त्र-शस्त्र, बारूद बरामद हुए? विवरण देवें।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में कुल 142 नक्सली घटनाएं हुई हैं जिसमें पुलिस नक्सली मुठभेड़ की 35 घटनाएं शामिल है। घटित नक्सली घटनाओं (मुठभेड़ सहित) की घटनावार-तिथिवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** 01 जुलाई 2024 से 24 नवम्बर 2024 की अवधि में प्रदेश में घटित नक्सली घटनाओं एवं मुठभेड़ों में पुलिस एवं सुरक्षाबल के 05 जवान शहीद एवं 34 जवान घायल हुए हैं। उक्त अवधि में माओवादियों द्वारा 24 आम नागरिकों की हत्या की गई है। क्रास फायरिंग में कोई भी आम नागरिक नहीं मारा गया है। नक्सली घटनाओं एवं मुठभेड़ों में 76 नक्सली मारे गये एवं 338 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। **(ग)** मुठभेड़ मे मारे गये नक्सलियों के विरूद्ध राज्य पुलिस/केन्द्रीय सुरक्षा एजेन्सियों एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित ईनाम राशि की जानकारी **पुस्तकालय** में **रखे प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(घ)** उक्त घटनाओंमें नक्सलियों से बरामद हथियार एवं विस्फोटक सामग्रियों की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स** अनुसार है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय गृहमंत्री जी से है।

अध्यक्ष महोदय :- महंत जी, आप साहेब बंदगी बोलकर शुरू करिये। आप दोनों साहेब के चेले हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, जी। मैं साहेब बंदगी बोलकर शुरू करता हूं। माननीय मंत्री जी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मैंने पिछली बार ज्यादा गलत-सलत तो नहीं पूछा था लेकिन उनको कुछ ज्यादा हड़बड़ा दिया था। मैं सीधे-सीधे प्रश्न पर आता हूं, वैसे भी उल्टे प्रश्न तो किसी ने भी नहीं किये हैं। माननीय मंत्री जी, आपने स्वीकार किया है कि प्रश्नकाल की अवधि में 1 जुलाई से 24 नवंबर तक,

24 आम नागरिकों की मौत हुई है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि इनमें से कितने जनप्रतिनिधि हैं, कितने बच्चे हैं और कितने आम नागरिक हैं ? क्या आप उनके नाम, उम्र और पता दे पायेंगे ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके यशस्वी कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण हुआ। मेरी तरफ से आपको हृदय से शुभकामनाएं। आप तो हमारे प्रेरणा स्त्रोत हैं। हमने आपको देखकर, राजनीतिक क्षेत्र में काम करना शुरू किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे थे कि इधर की तरफ कुदृष्टि होनी चाहिए, मुझे यह बात समझ में नहीं आयी। चाहे वह कुदृष्टि हो, कुचक्र हो, कुविचार हो, कुसंस्कार हों। मतलब उनको जिन-जिन बातों का ध्यान रहता है। इन सब बातों से आपका कभी कहीं कोई नाता रहा ही नहीं है। इतने वर्षों के संसदीय जीवन के उपरांत भी आपको न पहचान पायें, मुझे यह बड़ा अजीब विषय ध्यान में आता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के प्रश्न के पहले एक विषय जरूर कहना चाहता हूँ। नक्सलवाद के इस विषय पर सारा समाज दंश झेल रहा है, हम बड़े लम्बे समय से झेल रहे हैं। जब वर्ष 1995 में माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय अविभाजित मध्यप्रदेश के गृहमंत्री थे तब भी यह विषय था। तब भी यही परेशानियां थी। मैं यह जरूर बताना चाहता हूँ, मुझे जानकारी देने में कोई परेशानी नहीं है, जानकारी बताने में कोई विषय नहीं है, यह तो बताना ही है, परन्तु कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बातों का हिसाब करना पड़ेगा। उसमें मैं विशेष रूप से यह कहना चाहता हूँ कि जब यहीं पर हम लोग 24 जुलाई को बैठे थे और माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय का एक प्रश्न था। उन्होंने एक बात कही थी कि मेरी शंका यह है कि नक्सली बताने के लिए पुलिस वाले भरमार बंदूक को ले जाते हैं, उसकी बॉडी के साथ भरमार बंदूक रख देते हैं, भरमार बंदूक जप्त हो जाता है और वह नक्सली हो जाता है। इस तरह का आरोप माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जवानों पर लगाया था, सुरक्षा बलों पर लगाया था। उस दिन का वह दिन है और मैं आपको हृदय से धन्यवाद् देना चाहता हूँ। आपने कहा था कि यह सार्वजनिक बहस का विषय नहीं है। आप भी गृहमंत्री रहे हैं इसे आप ज्यादा अच्छे से समझते हैं, ऐसा आपने कहा था। यह Sensitive इश्यू है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा आपने कहा था। उसके उपरांत भी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी मैं आपको और एक बात स्मरण दिलाना चाहता हूँ। मेरे हाथों में यह सारे उन प्रश्नों की सूची है। यह बड़ा ही गजब संयोग है कौन-कौन नक्सली है, कौन-कौन पकड़े गये, कौन कहां है, कौन सा बारूद असला किस मालखाने में रखा है । यह बारूद असला मालखाने में रखा है, ऐसे प्रश्न बार-बार करके, हम क्या बताना चाहते हैं ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात जरूर बताना चाहता हूँ कि डॉ. रेणु जोगी जी के माध्यम से एक प्रश्न किया गया...।

श्री कवासी लखमा :- मंत्री जी भाषण दे रहे हैं।

श्री विजय शर्मा :- जिसको 29 फरवरी, 2020 को अग्राह्य किया गया। श्री धनेन्द्र साहू जी के द्वारा एक प्रश्न किया गया, जिसको 15 फरवरी, 2021 ... (व्यवधान) भाई लखेश्वर बघेल जी ने एक प्रश्न किया (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय विजय जी...।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी प्रश्न से बाहर जा रहे हैं। वह जवाब देने से बाहर जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी भाषण देने नहीं आएं हैं। मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। हमने सवाल का जवाब मांगा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। आप लोग बैठिए। इसमें ज्यादा संदर्भ देने की जरूरत नहीं है। आप इसी प्रश्न में केन्द्रित रहिए।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल इसी प्रश्न पर आ रहा हूँ। मुझे बोलने दिया जाये। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संदर्भ इसलिए है..।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर हमको उत्तर चाहिए, हमें भाषण नहीं सुनना है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए।

एक माननीय सदस्य :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सच्चाई को सुन नहीं पा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संदर्भ इसलिए है क्योंकि उस समय [xx] तो यह सारी बातें संदर्भ की होती हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बात करने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए। माननीय विजय शर्मा जी ध्यान रखें। आप उप मुख्यमंत्री हैं और सदन में आसंदी के द्वारा किसी निर्णय की चर्चा दुबारा डिबेट में नहीं होती। इसलिए उसका संदर्भ मत रखिए। इस प्रश्न तक केन्द्रित रखिए। धन्यवाद्।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें केवल एक अंतिम विषय कहकर, जैसा आपने मार्गदर्शन किया। मतलब आपके द्वारा ही एक प्रश्न लगाया गया था उसको भी अस्वीकार किया गया था । अभी आपको 24 जुलाई का पुराना हिसाब दे देता हूं। इस संदर्भ में मैं एक और बात जरूर कहना चाहता हूं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के द्वारा पूछे गये कुछ प्रश्नों का मैंने कहा था कि मैं आपको जवाब पहुंचवा दूंगा। सदन में कल चर्चा भी हुई कि इस सरकार में या विगत सरकार में कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं, जानकारी पहुंचाई ही नहीं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने दो प्रश्न कहे थे जिसके संदर्भ में मैंने कहा था कि यह जानकारी आपको पहुंचा दी जायेगी और नियत समय में यह जानकारी

25.11.2024 को उनको पहुंचाई गई है। मैं सदन को भी इस बात को बताना चाहता हूं कि ये जानकारी दी गई है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप अभी का जवाब दे दीजिए।

श्री विजय शर्मा :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, इसमें सारी जानकारियां आपको लिखित में भी दी जा चुकी हैं। इसमें विशेष रूप से आम नागरिकों के संदर्भ में आपने कहा है, यह पूरी सूची है। कौन हुआ है, कैसे हुआ है, पिछली बार की आपके 24 जुलाई के प्रश्न की चिंता थी कि किस तरह हुआ है, उसको भी इनकारपोरेट करके यह पूरी जानकारी आपके पास है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, उनको जानकारी उपलब्ध करा देंगे।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उपलब्ध है। जानकारी उपलब्ध कराई गई है, यदि आप कहेंगे तो मैं पढ़ देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- विजय शर्मा जी, पर्याप्त हो गया, अब दूसरा प्रश्न आने दीजिए।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आदेशानुसार मैंने साहबबंदिगी करते हुए प्रश्न पूछा।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल ठीक।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि माननीय मंत्री जी विचलित क्यों हैं? महाराज, मैंने कुदृष्टि का अर्थ यह नहीं लगाया कि आपका कुदृष्टि होना चाहिए। सिर्फ इस बात के लिए कहा कि हमारी तरफ आपकी कृपादृष्टि रहती है, कभी-कभी वह लोग बहुत गलत जवाब देते हैं, यही नहीं, इनके साथी लोग जवाब देते हैं। उन पर आपकी कुदृष्टि होनी चाहिए। अभी का उदाहरण देता हूं 480 ग्राम का बोरा 580 ग्राम के बोरे की जगह काम में ला रहे हैं। किसानों को 225 ग्राम प्रति क्विंटल नुकसान हो रहा है तो ऐसे में आप कुदृष्टि रखें।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न के संदर्भ आ जाईये।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न में आ जाता हूं। मैंने कुछ पूछा भी नहीं। वह जो जानकारी लाये हैं, वह मुझे दे दें। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आपने 25.11.2024 को जो मुझे उत्तर भेजा था, वह उत्तर आपका सिपाही मेरे निवास के बाहर किसी सिपाही को देकर आ गया, मेरे को पहुंचाया, क्या मेरे ऑफिस को दिया, क्या आपके पास पावती है, इस बात की जानकारी तो आपको होनी चाहिए। मुझे जानकारी अभी तक नहीं मिली है नहीं तो मैं आपसे और कुछ प्रश्न पूछता। आपने मुझे कहा कि मैंने पिछली बार शस्त्र की बरामदगी के बारे में आपको कहा था कि यह भरमार कहां से आते हैं? आपके अलावा मेरे ख्याल से सभी को चिंता होगी भरमार होता क्या है, कैसा होता है, क्या होता है, कितना लंबा होता है, कितने वजन का होता है, उसमें गोली चलती है या नहीं चलती, बारूद ऊपर से डालते हैं या नीचे से डालते हैं। मैं आज भी प्रश्न को दूसरे रूप में दोहरा रहा हूं कि आप यह पूछ तो

लीजिए कि प्रदेश में कितने भरमार हैं, आपके खाने में कौन सा खाना है, कहां जमा होता है? आपने तो कहा था कि बस्तर एक साथ चलते हैं। आपने मेरे को सूचना भेजी नहीं कि बस्तर चलिये, भरमार गिनेंगे। यदि आप भरमार गिनवा लिये हो। अभी भी आपने कहा कि जो नक्सली मारे गये हैं उनके पास से 21 भरमार फिर जब्त हुए हैं। मैं इनके ऊपर थोड़ी आरोप लगा रहा हूं कि यह भरमार सप्लाई कर रहे हैं। मैं तो पुलिस वालों पर शंका व्यक्त कर रहा हूं कि..।

श्री अजय चन्द्राकर :- आज नेता प्रतिपक्ष जी लंबा प्रश्न करने का रिकार्ड बना रहे हैं। इतना लंबा प्रश्न बहुत कम होता है।

अध्यक्ष महोदय :- बना रहे हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- रिकार्ड बना रहा हूं, इतना लंबा उत्तर आयेगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष जी, आपके मंत्री का जवाब इतना लंबा रहता है कि उतना लंबा प्रश्न बनता है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप प्वाईन्टेड प्रश्न कर लीजिए।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्वाईन्टेड प्रश्न करता हूं। वह थोड़ा सा विचलित हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, वह विचलित नहीं हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- मुझे मालूम है कि वह क्यों विचलित हो रहे हैं हैं? आपको बता दूं कि यह 3.00 बजे रात तक वहां कवि सम्मेलन देखकर आये हैं । (हंसी) अब कवि सम्मेलन सुनकर आये हैं कि देखकर आये हैं, वह जानें और इनकी नींद पूरी नहीं हुई है इसलिये शायद विचलित हो रहे हैं, अब उनका वहां क्या ध्यान था यह तो नहीं मालूम । मंत्री जी, यह भरमार का प्रश्न कोई गड़बड़ प्रश्न नहीं है । मैं भी था, मैं भी जानना चाहता था कि आखिर भरमार का है, चलिये एक दिन जांच कर लें ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, कर लेंगे । ठीक है, ठीक है ।

डॉ. चरणदास महंत :- मुझे आपको फंसाने का कोई मतलब नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पावती है । जो इसकी जानकारी इसमें भेजी गयी है ।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने प्रश्न नहीं किया है । सलाह दी है । श्री अजय चंद्राकर जी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जिला निर्माण समिति दंतेवाड़ा अंतर्गत डीएमएफ मद से स्वीकृत सड़क

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

5. (*क्र. 129) श्री अजय चंद्राकर : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला निर्माण समिति,दंतेवाड़ा अंतर्गत डीएमएफ मद से स्वीकृत प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत कोरकोट्‌टी सड़क निर्माण कार्य एवं ग्राम हिरोली से हेल्प सेंटर तक पहुंच मार्ग भाग-1 व 2 की टेंडर/रिटेंडर कब-कब हुआ और इसकी लागत राशि कितनी है? कार्यादेश कब हुआ एवं उसकी एजेंसी व प्रोपाईटर का नाम, पता सहित बतायें? **(ख)** उक्त योजनांतर्गत मिट्‌टी कार्य अनुबंध के तहत्‌ कितने घनमीटर की दर से किया जाना था और कितने दर से किया किया गया और कितनी लागत आयी? **(ग)**क्याउक्त सड़क निर्माण अंतर्गत अनियमितता के संबंध में शिकायत प्राप्त हुयी है ? यदि हां, तो क्या-क्या अनियमितता पायी गयी और उसके जिम्मेदार कौन हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही, किनके द्‌वारा की गयी?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :(क) यह कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत डी.एम.एफ. मद में स्वीकृत नहीं है अपितु यह कार्य जिला निर्माण समिति को विशेष केन्द्रीय सहायता मद में स्वीकृत है। ''बी.टी. सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से कोरकोटी तक (भाग- 01 से 13 तक), तथा बी.टी. सड़क निर्माण कार्य मड़कामीरास से हिरोली हेल्थ सेन्टर तक 3.50 कि.मी. (भाग 01), एवं बी.टी. सड़क निर्माण कार्य हिरोली हेल्थ सेन्टर से हिरोली कैम्प डोकापारा तक 3.50 कि.मी. (भाग 02) जानकारी **संलग्न**[2] **"प्रपत्र-अ"** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न "प्रपत्र-ब"** अनुसार है। **(ग)** जी हॉ, शिकायत प्राप्त हुई है। जिसकी प्रथम स्तरीय जाँच कलेक्टर दन्तेवाड़ा के द्‌वारा अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व की अध्यक्षता में 05 सदस्यीय टीम गठित कर करायी गई है, जिसकी भौतिक सत्यापन में अर्थवर्क, जी.एस.बी., डामरीकरण कार्य, डब्ल्यू.बी.एम. एवं सोल्डर कार्य, पुलिया सह रिटेनिंगवाल में अनियमितता का उल्लेख है। जिसकी विस्तृत जाँच हेतु संबंधित अधीक्षण अभियंता, परियोजना मण्डल क्र. 01, जगदलपुर जिला बस्तर को कार्यालयीन पत्र क्र. 6890/18869/आर.सी.-6/छ.ग.ग्रा.स.वि.अ./2024 रायपुर दिनांक 28.10.2024 के द्‌वारा लेख किया गया है। जिसकी जाँच प्रक्रियाधीन है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सलाह वाला नहीं है, न भूमिका वाला है । मेरा एकदम सीधा वाला प्रश्न है, न ही राजेश मूणत जी की तरह उल्टा वाला है । यह जो प्रश्नाधीन सड़क है, उसमें मड़कामीरास से हिरोली, हिरोली कैम्प से डोकापारा तक कुल लागत कितनी थी और ठेका

[2] परिशिष्ट "दो"

कितना था ? खर्च कितना हुआ ? भुगतान हुआ । कार्य से अधिक भुगतान हुआ, यह बताने का कष्ट करें ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी के प्रश्न में जो सड़क है, उसमें एक बी.टी. सड़क निर्माण मड़कामीरास से हिरोली तक साढ़े 3 kilometer की और हिरौली health center से हिरौली camp तक यह भी साढ़े 3 kilometer तक है, यह हुआ है 2 करोड़ 18 लाख का पहला है, 2 करोड़ 18 लाख 71 हज़ार का दूसरा है और यह कार्य पूर्ण हुए हैं और इनका भुगतान भी पहले कार्य में एक करोड़ इक्यासी लाख चौरानवे हज़ार, दूसरे कार्य में एक करोड़ तिहत्तर लाख अट्ठासी हज़ार ऐसा भुगतान भी इनका किया गया है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भुगतान यानी कार्य कितना हुआ और कितने कार्य का भुगतान हुआ ? और माप book में जितना कार्य दर्ज है, उससे अधिक का भुगतान हुआ है कि कम भुगतान हुआ है ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो estimation था उससे कम का है परंतु यह मूल लागत के 10 प्रतिशत लगभग अधिक का tender था।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं-नहीं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं tender कितने का था, क्या था यह नहीं पूछ रहा हूं । मान लो काम 100 रूपये का था, मैं ऐसा बता देता हूं । आपके हिसाब से 110 रूपये में कम खत्म हो गया तो भुगतान कितना हुआ है 160-70 रुपया । मेरा यह कहना है कि कार्य कितने का हुआ और भुगतान कितने का हुआ ? माप book में जो दर्ज है उससे ज़्यादा का भुगतान हुआ है क्या ?

श्री विजय शर्मा :- मैंने आपको बताया तो शायद आपने नहीं सुना । 2 करोड़ 18 लाख का, 2 करोड़ 18 लाख 71 हजार पहली जो road है उसकी यह लागत राशि थी, उसमें से 1 करोड़ 81 लाख 94 हज़ार का तो भुगतान हुआ है ।

श्री अजय चंद्राकर :- तो माप book से ज़्यादा भुगतान नहीं हुआ है ? माप book में जितना दर्ज है, विभाग से उससे ज़्यादा भुगतान नहीं हुआ है ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माप book का नहीं कह रहा हूं ।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, मैं पूछ तो वही रहा हूं ।

श्री विजय शर्मा :- जितना भुगतान हुआ, मैं आपको वही बता रहा हूं । 2 करोड़ 18 लाख 87 हजार ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं माप book पूछ रहा हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा हूं कि एम.डी. में, माप book में जितना कार्य दर्ज हुआ है उतना भुगतान हुआ है कि उससे ज़्यादा भुगतान हुआ है ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल भुगतान कम हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- ज़्यादा भुगतान नहीं हुआ ?

श्री विजय शर्मा :- हां ।

श्री अजय चंद्राकर :- ठीक । अच्छा यह बताइए कि इस सड़क में क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई ? किसने जांच की ? और उसमें क्या-क्या गलती पायी गयी और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सड़क का विषय यह है कि यह जिला निर्माण समिति के माध्यम से बनवायी जाने वाली सड़क थी । इसका विभाग से कोई लेन-देन नहीं था परंतु जिला निर्माण समिति अपने हिसाब से जिला स्तर पर विभाग का चयन कर लेती है । उन्होंने एक पी.एम.जी.एस.वॉय. के ई.ई. का चयन इस विषय पर किया । उसके उपरांत इस विषय पर एक शिकायत आई और उस शिकायत के आधार पर जांच करवायी गयी । जांच में SDM वगैरह और पांच ऐसे अधिकारी को मिलाकर के team बनाई गई । जांच करायी गयी, जांच में दो निर्णय दिए गए । जांच के आधार पर कि जो ठेकेदार है उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए और इसमें जो अधिकारी हैं जिन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया था उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए । ऐसा जांच का प्रतिवेदन आया ।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, मैं क्या-क्या शिकायत पाई गई यानी किन-किन चूंकि आपने उत्तर में लिखा है ।

श्री विजय शर्मा :- हां, मैंने देखा है इसीलिए तो उसको पढ़ना है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसको पढ़ देता हूं ।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, पढ़ना नहीं है ।

श्री विजय शर्मा :- जी ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं जो बोल रहा हूं, मुझे उसमें उत्तर चाहिए ।

श्री विजय शर्मा :- मैं यह सोच रहा हूं कि आप इस दिशा में थोड़ा और आगे बढ़ें तो इस काम को जल्दी करें ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं जो पूछ रहा हूं, मुझे उसमें उत्तर चाहिए । यह विभाग का विषय नहीं है, निर्माण समिति का विषय है ।

श्री रामकुमार यादव :- चंद्राकर जी, तुंहर दशा अइसनहा होगे हे, एखर ले बढ़िया तो हमन के सरकार में तुंहर बढ़िया चलत रिहिस हावय । (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- हव ठीक हे। मैं आपसे एक लाइन जानना चाहता हूं कि क्या-क्या अनियमितता पाई गई, उसमें किसके द्वारा जांच की गई, उस जांच पर क्या कार्रवाई की गई?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य महोदय को बताया है कि जिला स्तर पर पांच लोगों की टीम का निर्धारण किया गया। इंजीनियर थे, एस.डी.एम. थे और उनके माध्यम..।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या कार्रवाई की गई ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- उप मुख्यमंत्री जी, निष्कर्ष क्या थे? आप जांच का निष्कर्ष बताइए न।

श्री रामकुमार यादव :- निष्कर्ष निकला है अंडा बटे पराठा।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट। टाइम नहीं है।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो जांच रिपोर्ट आयी है, उसके बाद से एक विषय ये हुआ है कि 2 करोड़ 1 लाख रूपये वसूली ठेकेदार से करने के लिए 3 जून, 2024 को कहा गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- 1 मिनट 1 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने कहा कि भुगतान ज्यादा नहीं हुआ। तो जांच समिति किस बात का पैसा वसूल कर रही है?

श्री विजय शर्मा :- आपने कहा एम.बी. के आधार पर भुगतान। माननीय सदस्य महोदय, मैंने आपको बताया जो एम.बी. में लिखा था, उसके आधार पर भुगतान और उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें एम.बी. के आधार पर कम भुगतान हुआ है, परंतु इसमें आदेश हो चुका है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं-नहीं, ये घुमाने वाली बात है। ये आप भ्रष्टाचार को छिपा रहे हैं। आप भ्रष्टाचार को छिपा रहे हैं। ये आप भ्रष्टाचार उजागर क्यों नहीं कर रहे हैं? आप भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- बैठिए-बैठिए।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई संरक्षण वाली बात नहीं है। इसमें आदेश हो चुका है। मैं यहीं से घोषणा करता हूं। एग्जिक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया जायेगा। एस.डी.ओ. को सस्पेंड किया जायेगा। सब इंजीनियर सस्पेंड हो चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एफ.आई.आर. का आदेश हो चुका है। मैं यह बताना चाहता हूं कि संरक्षण वाली कोई बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- बैठिए, बैठिए। ये प्रश्नकाल में आप जो प्रश्न कर रहे हैं, अपने मंत्री जी से कर रहे हैं और मंत्री जी आपको जवाब दे रहे हैं। इतनी आवाज में न बोलें। माइक लगा है इसलिए बहुत धीरे बोलने से सब सुन लेते हैं। इसलिए टोन नीचे करें। दोनों से आग्रह है और संसदीय तरीके से समझाने का प्रयास करें। इसलिए प्रश्न छोटा-छोटा करें। आरोप-प्रत्यारोप लगाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न करिए और समाप्त कीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- जी। प्रश्न छोटा करूंगा तो गिनती हो जायेगी।

श्री विजय शर्मा :- एक मिनट, मुझे पूरा करने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही आपको बताना चाहता हूं कि तत्कालीन समय-समय में नाम पढ़ना हैं या नहीं पढ़ना हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- नाम पढ़ा जा सकता है।

श्री विजय शर्मा :- तो ठीक है। अब आप बता रहे हैं तो मैं पढ़ देता हूं। श्री अनिल राठौड़ जी थे, एग्जिक्यूटिव इंजीनियर थे। वे सेवानिवृत्त हो गये हैं। उनके विरूद्ध जांच की जायेगी। श्री दामोदर सिंह सिदार थे। वहां पर वे तत्कालीन कार्यपालन अभियंता थे। उनको निलंबित कर विभागीय जांच कर जो आवश्यक कार्रवाई है, वह की जाएगी। श्री तारकेश्वर दीवान, जो वहां पर एस.डी.ओ. थे, उनको निलंबित कर विभागीय जांच की जाएगी। श्री आर.वी. पटेल, वहां सहायक अभियंता एस.डी.ओ. थे। निलंबित कर विभागीय जांच की जाएगी। एक उप अभियंता थे। दुर्भाग्य से उनका निधन हो गया। उनको छोड़ कर..।

श्री अजय चन्द्राकर :- सर, सर।

श्री विजय शर्मा :- 1 मिनट साहब, आप पूरा बात करने दीजिए। इसीलिए बोल रहा हूं। मुझे ही बोलने दीजिये। श्री रविकांत सारथी जी थे, जो उप अभियंता थे, वे सब इंजीनियर थे। उनको निलंबित किया जा चुका है। ठेकेदार के विरुद्ध वसूली के जांच आदेश हो गए हैं। एफ.आई.आर. का आदेश हो गया है। पी.डब्ल्यू.डी. में ब्लैक लिस्ट किया गया है और ब्लैक लिस्ट कर जिला स्तर पर भी काम को खत्म कर दिया गया है।

श्री अजय चन्द्रकार :- थैंक यू, अब एक लाइन।

अध्यक्ष महोदय :- आखिरी प्रश्न करिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- आखिरी प्रश्न। आपको बता दूं, आप बहुत खड़े हो रहे थे, वह जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वह आपका कारनामा है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या उस ठेकेदार के पूरे काम की जांच करवाई जाएगी?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हां, नि:संदेह करवाई जायेगी। उस जिले में करने वाले काम और अन्य कामों की भी जांच कराई जायेगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। संसदीय तरीके से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, धन्यवाद भी धीरे से देना चाहिए। (हंसी) श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े। प्रश्न करेंगी। बहुत कम समय है, जल्दी करिए। श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी जी। कम समय है। छोटा प्रश्न करिए।

प्रश्न संख्या 6 :- XX XX

समाज कल्याण विभाग में समाज शिक्षा संगठन के स्वीकृत एवं रिक्त पद

[समाज कल्याण]

7. (*क्र. 514) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- समाज कल्याण विभाग में समाज शिक्षा संगठक के कितने पद स्वीकृत हैं, जिसमें से कितने पद भरे गए हैं व कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पद कब तक भर लिये जायेगे ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : समाज कल्याण विभाग में समाज शिक्षा संगठक के 146 पद स्वीकृत हैं जिसमें से 13 पद भरे गए हैं व 133 पद रिक्त हैं। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा प्रश्न का जवाब आया है कि समय-सीमा बताना संभव नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी क्योंकि 146 पर स्वीकृत हैं, उसमें से 13 पद भरे गये हैं, 133 पद रिक्त हैं तो वह कब तक भरा जाएगा? यह बता देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, एक मिनट में बोल दीजिए। 20 सेकंड बाकी है।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, किसी भी रिक्त पद को भरे जाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं रहती है तो इसमें जवाब में लिखा है, माननीय सदस्य ने जो पूछा है, इसमें समय-सीमा बताया जाना असंभव है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, और कोई प्रश्न।

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी :- नहीं-नहीं, अगर समय-सीमा बता देते तो बेरोजगारों को मौका मिल जाता।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय
12.00 बजे

मानननीय सदस्यों को साहित्य वितरण की सूचना

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों को संसदीय पद्धति और प्रक्रिया, भारत का संविधान एवं रायपुर पुस्तक का वितरण पुस्तकालय से किया जा रहा है । कृपया माननीय सदस्य ये तीनों पुस्तकें संसदीय पद्धति और प्रक्रिया, भारत का संविधान और रायपुर ये तीनों किताबें आपको वितरित की जा रही हैं । सुविधानुसार सभी सदस्यगण इसकी प्रति ले लें ।

समय
12.01 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2023-24 के वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2 तथा विनियोग लेखे, छत्तीसगढ़ शासन

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2023-24 के वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2 तथा विनियोग लेखे, छत्तीसगढ़ शासन पटल पर रखता हूं ।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15, सन् 1996) की धारा 13 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पटल पर रखता हूं ।

(3) अधिसूचना क्रमांक 1173/1258/सात-1/2024, दिनांक 13 दिसम्बर, 2024

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ (अधोसंचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 7, सन् 2005) की धारा 9 की

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 1173/1258/सात-1/2024, दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 पटल पर रखता हूं ।

पृच्छा

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48(क) के अनुसार पर्यावरण की रक्षा का भार, संवर्धन का भार जिसमें पर्यावरण के पेड़ पौधे एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का पूरा भार राज्य सरकार पर है । आज की तारीख में मैंने इसी से संदर्भित, जो पूरे छत्तीसगढ़ के आम जन-जीवन को प्रभावित कर रहा है, जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है । जो यहां-वहां भ्रष्टाचार का एक अध्याय बनने जा रहा है । उसको रोकने के लिए मैंने स्थगन लगाया है । मैं इस विषय में किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं कि कौन रेत का खनन कर रहा है, कौन कहां से कहां ले जा रहा है, कौन कहां बेच रहा है, कौन कितने में बेच रहा है, पैसा कहां जा रहा है ? इन सब बातों से मेरा कोई लेना-देना नहीं है । जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ से ज्यादा जनता परेशान है और अनावश्यक रूप से हम उनको नियंत्रण में रखने के बजाय, अनियंत्रित होकर यह काम बढ़ता जा रहा है और पूरे सदन के सभी विधायक, हर क्षेत्र में, अपने-अपने गांवों में रेत की खदान के माध्यम से जो भ्रष्टाचार हो रहा है उससे परेशान हैं । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैंने आपको स्थगन दिया है, इसको आप ग्राह्य कर लें जिससे कि हम आपके सामने पूरी बात रख सकें, यही निवेदन है।

श्री राघवेन्द्र सिंह (अकलतरा) :- अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में लगातार तालाब पाटने और वन भूमि पर राखड़ पाटने की शिकायतें आ रही हैं । जांच हो चुकी है, जांच के बाद भी उन कागजों को दबा दिया गया है और प्रत्यक्ष, वहां के प्रशासन ने यह कहा है कि तालाब पाट दिए गए हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस स्थगन को आप ग्राह्य करके हमारी बात सुनें क्योंकि यह बहुत बड़ा मामला है ।

श्री विक्रम मंडावी (बीजापुर) :- अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन के मामले बढ़ते जा रहे हैं । इससे निश्चित तौर पर पर्यावरण का भी नुकसान हो रहा है और पूरे प्रदेश में आए दिन ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं । अवैध रेत उत्खनन, बिना परमिट, बिना लायसेंस के यह कार्य पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर चल रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपने सूचना दी है ?

श्री विक्रम मंडावी :- जी, स्थगन में दिया है । मेरे बीजापुर जिले की बात करूं तो वह बॉर्डर इलाका है, वहां रेत उत्खनन हो रहा है और पूरे महाराष्ट्र और तेलंगाना में ले जाया जा रहा है । क्षेत्र में माहौल भी बिगड़ता जा रहा है । इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जाए और अवैध उत्खनन बंद हो ।

श्रीमती अनिला भेंडिया (डौंडी लोहारा) :- अध्यक्ष महोदय, आज पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करने की हमारी राज्य सरकार का संवैधानिक उत्तदायित्व है और हम सबका भी है। आज सड़कों में भारी वाहन चल रही है, चाहे वह रेत का हो, चाहे ओव्हर लोड में माईनिंग की ट्रकें हों, वह धड़ल्ले से चल रही है, जिसके कारण से रास्ते में बहुत लोगों की एक्सीडेंट हो रही है। अभी मैंने शून्यकाल में सूचना दी थी कि मेरे डौंडी ब्लॉक के अंतर्गत एक भारी वाहन की टक्कर से एक्सीडेंट हो गया जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हो गयी, मेरी शून्यकाल की सूचना में भी है। इस तरह से रेत की जो नदियां हैं, वह पूरी तरीके से खाली हो जा रही है, मशीन द्वारा पानी सहित रेत निकाला जा रहा है, इसमें शासन की कोई रोक नहीं है, इसमें हम लोगों ने स्थगन दिया है, उसको ग्राह्य किया जाए।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय के बारे में गांव वालों ने शिकायत की, मैं स्वयं गांववालों के साथ कलेक्टर के पास शिकायत करने गया था। रेत के कारण स्कूलों के बच्चों को समस्या आ रही है, वहां पर स्कूल है और लगातार ढाई से 300, 400 गाड़ियां एक साथ चल रही हैं, ट्रैक्टर से रेत निकल रहा है। वहां का अधिकारी यह बोलता है कि हमको ट्रैक्टर पकड़ने के लिए मना किया गया है। ट्रैक्टर में चाहे इनलिगल माईनिंग हो चाहे किसी भी तरह का हो, उसमें रेत ले जाया जा रहा है, हम उसको पकड़ नहीं सकते। कलेक्टर से शिकायत करने के बाद, एस.डी.एम. से शिकायत करने के बाद उस रेत घाट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही संवेदनशील मामला है, मैं चाहता हूं कि आप इसमें चर्चा कराएं ताकि हम पूरे तथ्य को लेकर आएंगे।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बालोद जिले में लगातार रेत उत्खनन की बातें आ रही हैं। मैंने संबंधित बातों को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय से भी निवेदन और आग्रह किया था। औपचारिक रूप से केवल एक मशीन को जब्त की गयी और अभी वर्तमान में रेंगाकठेरा रेत घाट में लगभग तीन-चार जे.सी.बी. और एक पनडुब्बी मशीन लगी हुई है। इस पर एक व्यवस्था आनी चाहिए और उसके पर कार्रवाई लगातार होनी चाहिए। इसी बात को लेकर मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसी अवैध परिवहन को लेकर अभी 15 तारीख को मेरे विधान सभा क्षेत्र में चोरहापड़ाव के पास नामकरण संस्कार में गये थे, 8 लोगों की मृत्यु हुई है, उस पर भी सरकार की ओर से मुआवजा के संबंध में बात आनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्रीमती शेषराज हरवंश (पामगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दुनिया की सबसे महान सभ्यताएं सबसे पहले जल स्त्रोतों के पास ही बसी थी ताकि वे फसलें उगा सकें, नदियों के किनारे का पानी बेहद

उपजाऊ माना जाता है। अवैध रेत खनन से कृषि योग्य भूमि की उर्वरता को नुकसान पहुंच रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में हमें मानवीय लालच से उपर उठकर समस्याओं पर बारीकी से विचार करना होगा जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में धान की खरीदी चल रही है। हमारे बिलासपुर जिले के किसान बीज निगम में धान बेचने को गये, उनके बीज को रिजेक्ट कर दिया गया और जब वे सेवा सहकारी समिति में धान बेचने के लिए जा रहे हैं तो उसको लेने से इंकार किया जा रहा है। यहां अभी खाद्य मंत्री नहीं हैं पर वित्त मंत्री जी बैठे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि वे अभी खाद्य मंत्री जी से पूछकर जवाब देंगे। अगर बीज निगम का धान रिजेक्ट हुआ है तो उसे सेवा सहकारी समिति में खरीदने में कहीं कोई अड़चन नहीं है, बाकी जिलों में हो रहा है, बिलासपुर जिले में यह प्रक्रिया बंद है। हमारे पास लोग आ रहे हैं, परेशानी बता रहे हैं, हम कुछ करने में असमर्थ हैं, इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी आपसे आग्रह करूंगा कि आज इस सदन में बिलासपुर जिले में बीज निगम के रिजेक्ट धान को सेवा सहकारी समिति में खरीदने के लिए पूरे प्रदेश में निर्देशित करने का कष्ट करेंगे।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय अध्यक्ष जी, ठंड के मौसम में प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ जाता है, हमारे इंडस्ट्रीयल एरिया में एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि सड़कों में जल का छिड़काव नहीं होने से जो हैवी गाड़ियां चलती हैं, उसकी वजह से धूल बहुत ज्यादा मात्रा में उड़ रही है जिससे बहुत सारे लोगों को श्वास की परेशानी हो रही है। मैं विभाग का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अगर सड़कों में जल का उचित तरीके से छिड़काव हो तो जो धूल उड़ रही है उस पर काफी कुछ नियंत्रण किया जा सकता है, मैं उसकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है कि जिस समय आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। नवागढ़ विकासखण्ड, जिसको सन् 1999 में तहसील का दर्जा मिला। उस समय वहां पर एस.डी.एम. कार्यालय की घोषणा की गई थी, परंतु आज तक नवागढ़ जनपद पंचायत कार्यालय में एस.डी.एम. कार्यालय नहीं होने के कारण उस क्षेत्र के नागरिक आंदोलनरत् हैं। कृपया आप अतिशीघ्र नवागढ़ जनपद पंचायत में एस.डी.एम. कार्यालय और तहसील कार्यालय खोलने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। रोहित जी।

श्री बालेश्वर साहू (जैजैपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर-चांपा और सक्ती जिला धान का कटोरा कहा जाता है। जिसमें पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी किसानों को रबी फसल के लिए नहर से पानी नहीं दिया जा रहा है। इससे किसान लगातार परेशान हैं। कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया था। किसान मुख्यमंत्री, कलेक्टर व सचिव स्तर पर बार-बार आवेदन पत्र लिखकर उनसे निवेदन कर रहे हैं, लेकिन किसानों को किसी भी प्रकार का राहत नहीं मिल पा रहा है। बांगो बांध में नहरों की मरम्मत के नाम से और नहर में काम चल रहा है, ऐसा कहकर लगातार जल प्रबंधक द्वारा करोड़ों रूपये के

घोटाले करके किसानों को पानी नहीं दिया जा रहा है। क्या सरकार किसानों को नहर का पानी देने के लिए सुनिश्चित करेगी और क्या इसके लिए आश्वासन देगी?

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, पर्याप्त है। अटल श्रीवास्तव जी।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पेण्ड्रा, गौरेला, मरवाही जिला मध्य प्रदेश राज्य से लगा हुआ इलाका है। जहां पर रेलवे का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट गेवरा-पेण्ड्रा रोड चल रहा है। जहां की गिट्टी मध्य प्रदेश से आ रही है। वहां पर अभी तक लगभग 2 लाख घन मीटर गिट्टी लगी है। जिसकी एक भी रॉयल्टी छत्तीसगढ़ को नहीं मिली है। अभी तक लगभग 10 करोड़ रूपये का नुकसान हो चुका है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम छत्तीसगढ़ की रॉयल्टी छत्तीसगढ़ को मिले। जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं, वहां पर वह छत्तीसगढ़ के जंगल खोद रहे हैं, परंतु रॉयल्टी मध्य प्रदेश की लाकर मध्य प्रदेश की रॉयल्टी का नुकसान कर रहे हैं। कृपया आप इसपर ध्यान दे कि उसकी रॉयल्टी का नुकसान न हों।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा (खैरागढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खैरागढ़ विधान सभा में बारिश के दिनों में जो बाढ़ आया था, उसमें पूरा खैरागढ़ शहर डूब गया था। वहां हजारों की संख्या में दुकानदारों का लाखों रूपये का नुकसान हुआ है। लेकिन शासन-प्रशासन की तरफ से बाढ़ आपदा के लिए जो सहयोग मिलना चाहिए, वह सहयोग नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि उन बाढ़ प्रभावित दुकानदारों को सहयोग की राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। रोहित साहू जी।

श्री रोहित साहू (राजिम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे गरियाबंद जिले के राजिम में नगर-पंचायत गरियाबंद है, जहां पर ऐसे कई परिवार हैं, जिनको नगर-पंचायत के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये गये थे। उनके मकान बन गये हैं। वह पिछले 10-20 सालों से वहां पर निवासरत् हैं, लेकिन उस क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग करने से अभी भी वहां पर ऐसा कोई निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है, न रोड बन पा रही है और न नाली बन पा रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वहां पर ऐसे लगभग 400-500 परिवार निवासरत् हैं, उनको इसकी सुविधा प्रदान की जाए। उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद भी वहां का निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, इसलिए आप उनको निवास प्रमाण पत्र जारी करायें। ताकि उनको सुविधाएं मिल सकें।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री ओंकार साहू (धमतरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम आपको आपके 1 वर्ष का अध्यक्षीय कार्यकाल पूर्ण होने पर बहुत-बहुत बधाई हो। तमाम सदस्यों का भी 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ है, इसलिए आप सबको भी बधाई हो। आज हमारे नेता प्रतिपक्ष जी के द्वारा स्थगन प्रस्ताव लाया

गया है। मैं उसके संदर्भ में बोलना चाहूंगा कि आज धमतरी जिले में अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन जोर-शोर से चल रहा है। जिनको जिला प्रशासन का संरक्षण मिला है। अभी हाल ही में एक कार्यक्रम-जल जगार आयोजित किया गया था। उसमें भू-माफियाओं और रेत माफियाओं के चंदा उगाही का भी वर्णन किया गया है। वह प्रमुख समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे नेता जी के द्वारा जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया है, उसको ग्राह्य करके इसपर चर्चा की जाएं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। दादी, आप संक्षेप में बोलिये।

श्री कवासी लखमा (कोंटा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के हमारे दल के नेता ने शुरूआत में स्थगन प्रस्ताव पर बोला है। मैं उसी के समर्थन में बोलना चाहता हूं। जहां-जहां पर भी बॉर्डर एरिया है, जैसे हमारे कोंटा में बहुत चर्चित रेत माफिया भारतीय जनता पार्टी के लोग आंध्रप्रदेश में रेत को बेच रहे थे। वहां पर पत्रकार लोग गये तो उनको पकड़कर आंध्रप्रदेश में जेल में डाल दिया गया। इस सरकार में इस प्रकार की अफरा-तफरी हो रही है और पत्रकार सुरक्षित नहीं हैं। वह पत्रकार आंध्रप्रदेश गये थे और वह वहां पर 20 दिन तक जेल में बंद थे। इस प्रकार यह रेत को उड़ीसा, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में ले जा रहे हैं। आप इस स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य कर लीजिए। इसकी विस्तार से जांच हो। छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा यहां के लोगों को नहीं मिल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् जो आवास बन रहे हैं, उसमें वह कहां से रेत लाएंगे? ट्रैक्टर वाले को पटवारी और पुलिस वाले पकड़ रहे हैं तो कैसे चलेगा? इसलिए इस स्थगन को ग्राह्य करे। धन्यवाद।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, यह पुलिस भर्ती में बहुत बड़ी गड़बड़ी का मामला है। राजनांदगांव में आरक्षक पद हेतु चल रही पुलिस भर्ती के गंभीर प्रकृति की अनियमतता प्रकाश में आई है, जिसके लिए लालबाग पुलिस थाना में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। शारीरिक दक्षता परीक्षा की वास्तविक परिणामों से छेड़छाड़ कर अपात्र अभ्यर्थियों के पक्ष में गड़बड़ी किया गया है। तो मैं निवेदन करती हूं कि भर्ती की प्रक्रिया दूषित हो रही है। अत: इसे निरस्त कर नये सिरे से प्रक्रिया प्रारंभ किया जाये, इसकी बहुत ही आवश्यकता है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल (डोगरगढ़) :- माननीय अध्यक्ष जी, हमारे राजनांदगांव जिले में कलेक्टर महोदय द्वारा रबी फसल लगाने से रोकने के लिए, धान की बुआई ना करे, ऐसा करने के लिए मुनादी करवा दिया गया था। उसके बाद किसानों ने धरना-प्रदर्शन किया तो फिर उस बात को संशोधित किया, कहा कि अभी रबी फसल बो सकते हैं, लेकिन धान की बुआई मत करिये। हमेशा दबाव बनाते हैं। आज की स्थिति यह है कि जब किसानों को पानी की आवश्यकता है तो बांध को नहीं खोला जा रहा है। बांध खोलने एवं उसकी सफाई के लिए कई बार निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अभी तक सिंचाई की सुविधा नहीं मिली है। धन्यवाद।

व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय :- माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत जी एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा "प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन, रेत व खनिज परिवहन, ताप विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जित फ्लाईऐश/राखड़ आदि कारणों से पर्यावरण पर दुष्प्रभाव के सम्बन्ध में प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों के विचारों को मैंने सुना। मैंने प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव की सूचना का भी अवलोकन किया।

प्राप्त स्थगन की सूचना में एकाधिक से अधिक विषय के सम्मिलित होने व हाल की किसी घटना से सम्बन्धित नहीं होने के कारण मैंने प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम-55 के अन्तर्गत विहित प्रावधानों के अनुसरण में प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अग्राह्य कर दिया है। श्री पुन्नू लाल मोहले जी।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ..।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये अब आगे बढ़ गया है। आपको बाद में मौका देंगे न।

समय
12.17 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) जिला-मुंगेली के ग्राम बरदुली, दशरंगपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमां-130 ए से प्रभावित भू-स्वामियों को मुआवजा प्रदान नहीं किया जाना।

श्री पुन्नू लाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

विधानसभा क्षेत्र मुंगेली, जिला मुंगेली के ग्राम बरदुली, दशरगंपुर, सोढार में बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-130 ए एवं अतिरिक्त नाली निर्माण के लिए भू-स्वामियों क्रमशः रामकुमार पिता लखन लाल खसरा नं. 397/5 रकबा 152 वर्गफीट, रामचन्द्र पिता पतिराम खसरा नं. 397/6 रकबा 170 वर्गफीट, पिताम्बर पिता जगनू खसरा नं. 397/7 रकबा 270 वर्गफीट, संतोष पिता जगदीश खसरा नं. 397/2 रकबा 370 वर्गफीट, नेतराम पिता भकलू खसरा नं. 401/1 रकबा 828 वर्गफीट, श्यामलाल पिता भकलू खसरा नं. 401/6 रकबा 871 वर्गफीट, लखन पिता हरीशचंद खसरा नं. 396/13 रकबा 871 वर्गफीट, कमलजीत पिता हरीशचन्द खसरा नं. 396/12 रकबा 370 वर्गफीट , सुरेश पिता हरीशचंद खसरा नं. 396/13 रकबा 871 वर्गफीट, दुलारी पति लाला खसरा नं. 396/5 रकबा 288 वर्गफीट, घनश्याम पिता लाला खसरा नं. 392/1 रकबा 371 वर्गफीट, लखन पिता उदेराम खसरा नं 392/1 रकबा 379 वर्गफीट, पद्यमिनी पिता पुन्नू लाल खसरा नं 405/1 रकबा 1740 वर्गफीट, रत्नाकर पिता धनुष

खसरा नं 45/2 रकबा 1450 वर्गफीट एवं अनेकों अन्य कई कृषकों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट उल्लेखित कर नाली का निर्माण निजी भूमि पर किया गया है। प्रभावित भूमि का मुआवजा की गणना कर राशि 1,93,83,486 रूपये (एक करोड़ तिरानवे लाख तिरासी हजार चार सौ छियासी रूपये) प्रभावित किसानों की सूची रकबा सहित जिला प्रशासन द्वारा राज्य शासन के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग रायपुर को प्रेषित की जा चुकी है। परन्तु सर्वे कार्य एवं निर्माण कार्य पूर्ण होने के दो वर्ष पश्चात भी आज दिनांक तक मुआवजा की राशि प्रदान नहीं की गई है। रोड की ऊंचाई एवं नाली के निर्माण से निचले भागों में पानी का जल भराव हो रहा है, जिसकी पर्याप्त निकासी ना होने से स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मुआवजा राशि का इतने दिनों पश्चात भी भुगतान नहीं किए जाने से स्थानीय नागरिकों एवं कृषकों में भारी रोष एवं असंतोष व्याप्त है।

समय

12:20 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)**

उप मुख्यमंत्री (श्री अरूण साव) :- यह सत्य नहीं है कि विधान सभा क्षेत्र मुंगेली, जिला मुंगेली के ग्राम बरदुली, दशरंगपुर, सोढ़ार में बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-130 ए में अतिरिक्त नाली-निर्माण के भू-स्वामियों एवं अनेकों अन्य कई कृषकों के भूमि का अधिग्रहण किया गया है ।

भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा कारिडोर योजना के तहत स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-130 ए बिलासपुर-तखतपुर-मुंगेली मार्ग के निर्माण कार्य में ग्राम दशरंगपुर, बरदुली में चैनेज 33.014 से 34.014 (1 कि.मी.) में नाली निर्माण का प्रावधान स्वीकृत नहीं था । निर्माण कार्य के दौरान ग्राम दशरंगपुर से मुंगेली की ओर मार्ग के इस भाग में दोनों ओर अतिरिक्त नाली निर्माण हेतु बरदुली एवं दशरंगपुर के ग्रामवासियों द्वारा मांग की गई एवं चक्का जाम तथा प्रदर्शन बाबत् कलेक्टर को आवेदन दिनांक 22.12.2020 दिया गया । स्थानीय ग्रामवासियों की मांग के अनुसार अतिरिक्त नाली निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार कर भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया । स्वीकृति पश्चात् नाली निर्माण का कार्य कराया गया । नाली निर्माण के दौरान स्थानीय ग्रामवासियों एवं भू-स्वामियों द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं ली गई तथा किसी भी प्रकार के मुआवजे की मांग नहीं की गई । ग्राम बरदुली एवं दशरंगपुर में अतिरिक्त नाली निर्माण हेतु प्राप्त स्वीकृति में भू-अर्जन हेतु किसी प्रकार का मुआवजा राशि स्वीकृत नहीं है । इस प्रकार नाली निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है ।

नाली निर्माण के लगभग 02 वर्ष बाद अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुंगेली द्वारा नाली निर्माण में प्रभावित 15 भू-स्वामियों की 0.916 हेक्टेयर भूमि के मुआवजा राशि की गणना कर प्रस्ताव,

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्राप्त हुआ । प्रस्ताव क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, रायपुर को भेजी गयी जिसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है ।

यह सत्य नहीं है कि रोड की ऊँचाई एवं नाली के निर्माण से निचले भागों में पानी का जलभराव हो रहा है, अत: नागरिकों एवं कृषकों में किसी प्रकार का रोष एवं असंतोष व्याप्त नहीं है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, जब रोड बन रहा था, तभी उस गांव के किसानों ने चक्का जाम क्यों किया, यह भी जानने की आपको आवश्यकता है । चक्का जाम करने का मकसद यह था कि उनकी निजी जमीन पहले सरकारी जमीन नहीं थी, उसे बनने नहीं दे रहे थे, इसलिये क्षेत्रीय अधिकारियों ने मौखिक रूप से कहा कि हम इस जमीन का मुआवजा भी देंगे और अभी भी वहां स्कूल में पानी भरता है, गांव में पानी भरता है, वहां सड़क पांच फीट ऊपर उठ गया और नीचे पूरे खेत पड़े हुये हैं, जिससे लोगों में अभी भी आक्रोश है । सभापति महोदय, मुआवजा की बात उस समय भी की गई थी ...।

सभापति महोदय :- प्रश्न पूछ लीजिए ना ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, मैं बता रहा हूँ, मुझे पूरा क्लियर बताने दो । जैसा मंत्री जी ने उत्तर दिया है, वैसा उत्तर देना भी जरूरी है । मुआवजा के लिये लोगों ने उस समय मांग भी की है, इसे मौखिक में कहा गया है कि आपसी समझौते में हम मुआवजा दिलायेंगे । अब यह प्रक्रिया चलती रही, आखिर मुआवजा नहीं मिला तो चक्का जाम करने के पहले ही मैं आपको बता दूँ कि कि वहां के तत्कालीन एस.डी.एम.साहब दिनांक 3-04-93 को मुआवजा के लिये क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य शासन को भेजा गया, मुआवजा नहीं मिला, लोग बात करते रहे, चर्चा होती रही, उसके बाद फिर मुआवजा नहीं मिलने से कलेक्टर को भी आवेदन दिया, उसके बाद कलेक्टर के यहां से दिनांक 18-10-2024 को पत्र फिर लिखा गया था । सभापति महोदय, माननीय केन्द्रीय मंत्री जी को पत्र लिखा गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्रलिखा गया, दिनांक 09-7-2024 को केन्द्रीय मंत्री से भी वहां 2-12-24 को जानकारी आई कि आवश्यक कार्यवाही करें । मेरे कहने का यह मतलब है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार से जितनी भी कार्यवाहियां हुई हैं, यह आपके जवाब से कौन सी बात सत्य है, यह आप पता लगा सकते हैं । आपके विधान सभा क्षेत्र के किनारे के गांव का मामला है । मैं आपको यह बता दूं कि यह दशरंगपुर प्रापर मेरे निजी गांव का मामला है, वहीं दशरंगपुर लगा हुआ है । हाईस्कूल में अभी भी पानी भर रहा है । हमने तीन फीट ऊंचा उठाने के प्रस्ताव दिया, वह पास भी हुआ ।

सभापति महोदय :- आप सीधा प्रश्न पूछिए कि आप क्या चाहते हैं ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, मैं सीधा ही प्रश्न पूछ रहा हूं । माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया, मैंने उसका तथ्य बताया । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसानों की

जमीन, जो वहीं पर है, क्या वह नाली उखड़वाएंगे या फिर मुआवजा देंगे ? नहीं तो वहां सड़क गड़बड़ हो जाएगा फिर वहां पर आवागमन की असुविधा हो जाएगी । मैं इस बात को आपको अवगत कराना चाहता हूं कि इसके कारण लोगों में असंतोष है । बहुत कम लोगों को मुआवजा देना है । या तो राज्य सरकार मुआवजा दे या आप केन्द्र सरकार से मांग करें, ऐसा मैं आपसे निवेदन करूंगा।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति जी, जब राज्य सरकार की ओर से या पिछली सरकार के समय नाली का निर्माण हुआ था और जब राज्य सरकार की ओर से मुआवजा का निर्धारण होकर 1 करोड़, 93 लाख रूपए का प्रस्ताव गया तो क्षेत्रीय अधिकारी ने मुआवजे की मांग को स्वीकार न करते हुए जो निर्धारित जमीन है, उसी पर नाली बनाने के लिए कहा है । यदि माननीय चाहेंगे तो एक बार राज्य शासन की ओर से भारत सरकार को आग्रह करेंगे कि वे मुआवजे के लिए सहमति प्रदान करें ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर तो सरकारी जमीन ही नहीं है तो वहां रोड़ बनता ही नहीं । वहां की परिस्थिति के अनुसार मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे पुन: प्रस्ताव केन्द्र को भेजे, आप स्वत: बात कर सकते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आपको पत्र लिखा है, केन्द्रीय मंत्री ने भी आपको पत्र लिखा है । इसका मतलब है कि मुआवजा जरूर मिलेगा । क्योंकि वहां किसानों की कीमती जमीन पानी का मोल हो गया है । वहां सड़क ऊपर हो गया है, जमीन नीचे हो गई है । इस प्रकार की दुर्दशा है तो लोगों को मुआवजा मिलना आवश्यक है ।

श्री अरूण साव :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने आग्रह किया है, वे मेरे अभिभावक जैसे हैं । यह मेरे क्षेत्र के नजदीक का मामला है । निश्चित रूप से एक बार राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि जो निर्धारित मुआवजा है, उसके बारे में स्वीकृति प्रदान करने के लिए आग्रह करेंगे ।

(2) बस्तर संभाग अंतर्गत वनाधिकार पट्टा प्रदाय नहीं किया जाना

श्री बघेल लखेश्वर (बस्तर) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा वन भूमि में वर्षों से निवास व काश्त कर रहे परिवारों को आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा अधिग्रहित भूमि का वनाधिकार पट्टा दिए जाने का प्रावधान है । इस प्रावधान के तहत् बस्तर संभाग के जिलों में हजारों की संख्या में वनाधिकार पट्टा का वितरण किया भी गया, लेकिन आज भी सैकड़ों की संख्या में ऐसे परिवार हैं, जिन्हें हर स्तर पर आवेदन दिये जाने के बाद भी वनाधिकार पट्टा प्रदाय नहीं किया गया है अथवा जो पट्टा दिया गया है, वह वास्तविक भूमि का नहीं दिया जाकर कम का पट्टा दिया गया है । विधान

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभा क्षेत्र 85 बस्तर के प्राय: प्रत्येक ग्राम पंचायतों में कमोबेश यह स्थिति है । उन्हें वाजिब जमीन का पट्टा नहीं मिलने के कारण उस जमीन की उपज का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं । इन प्रकरणों पर विभागों के स्तर पर हो रही कार्यवाही धीमी गति से चल रही है । ऐसा प्रतीत होता है कि इस सरकार को गरीब आदिवासी परिवारों को वनाधिकार पट्टा अथवा वाजिब पट्टा देने की मंशा ही नहीं है । यह स्पष्ट है कि सदैव अपने आपको आदिवासियों की हितैषी कहने वाली यह सरकार आदिवासियों का हित संरक्षण करने में असमर्थ है। सुनवाई नहीं होने से वनभूमि में निवासरत् परिवारों में शासन एवं प्रशासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय सभापति महोदय, यह सही है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत वन निवासी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों को पात्रतानुसार उनके द्वारा काबिज वन भूमि पर वन अधिकार पत्र प्रदाय किया जाता है। यह भी सही है कि इसके तहत बस्तर संभाग के सभी 07 जिलों में भी वन अधिकार पत्र प्रदाय किए गए हैं। वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत बस्तर संभाग में विधिवत ग्रामसभा के प्रस्ताव/संकल्प अनुसार अनुभाग स्तरीय वनाधिकार समिति की अनुशंसा के प्रश्चात, जिला स्तरीय वनाधिकार समिति के विचारण एवं अनुमोदन उपरांत प्राप्त 214728 आवेदनों में से 165106 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। इनमें से आवेदकों के पात्र न होने के कारण 49499 आवेदन निरस्त किये गये हैं। बस्तर विधान सभा क्षेत्र 85 अंतर्गत व्यक्तिगत वनाधिकार के 12675 वन अधिकार पत्र वितरण किये गये हैं एवं 3496 दावे पात्र न होने के कारण निरस्त किये गये हैं। अनुभाग स्तरीय वनाधिकार समिति, अनुभाग बस्तर से दिनांक 12.12.2024 को व्यक्तिगत वनाधिकार मान्यता पत्र के 70 प्रकरण जिला स्तरीय वनाधिकार समिति के विचारण एवं अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराये गये थे, जिनमें कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अत: यह कहना सही नहीं है कि विभागों के स्तर पर कार्यवाही एकदम धीमी गति से चल रही है। वास्तविकता यह है कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दावों का ग्राम स्तरीय वनाधिकार सिमति के माध्यम से जॉच उपरांत ग्रामसभा द्वारा पारित संकल्प के आधार पर अनुभाग स्तरीय समिति के परीक्षण उपरांत वास्तविक काबिज भूमि का वनाधिकार पत्र नियमानुसार जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अनुमोदन किया जाकर वन अधिकार पत्र का वितरण किया जाता है। वन अधिकार अधिनियम में ग्रामसभा एवं अनुभाग स्तर पर दावा निरस्त होने की दशा में दावाकर्ता को अपील करने का अधिकार है। नियमानुसार की गई कार्यवाही के फलस्वरूप प्रभावित परिवार इस कार्यवाही से दुखी एवं आक्रोशित नहीं हैं, बल्कि शासन की योजना से उन्हें लाभ हुआ है और उनमें हर्ष व्याप्त है।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय सभापति महोदय, आदरणीय मंत्री जी ने अवगत कराया है कि 214728 आवेदनों में से 165106 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं एवं इनमें से

आवेदकों के पात्र न होने के कारण 49499 आवेदन निरस्त किये गये हैं। जो 49499 आवेदन निरस्त हुए हैं, वे कब निरस्त हुए और ये किन-किन जिलों के हैं, इन्हें विस्तृत बताने का कष्ट करेंगे?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, आपने इनके निरस्ती के बारे में जानकारी मांगी है, तो जो निरस्त हुए हैं, उनकी जिलेवार जानकारी हम उपलब्ध करा देंगे। जहॉं तक वनाधिकार पत्र दिए जाने की बात है, हमारी सरकार पूरी गंभीरता से इस विषय में काम कर रही है और हम लगातार इसमें मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। मैं आपका संरक्षण लेते हुए सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि हम इसमें दो तरह के वनाधिकार पत्र देते हैं। एक सामुदायिक पट्टा दिया जाता है और एक व्यक्तिगत दिया जाता है। हम लोगों ने अभी तक 401586 व्यक्तिगत पट्टे वर्ष 2018 तक दिये थे और नवंबर 2023 तक 4 लाख 78 हजार 563 पट्टे दिये गये। हम लोगों ने तत्कालीन सरकार के समय एक बड़ा एचिवमेंट किया था। पिछले 5 साल में इसकी गति कम हुई है। इसमें आपने ज्यादातार निरस्तीकरण की जानकारी मांगी है। मैं बताना चाहूंगा कि जिला कांकेर में 6547, बस्तर में 13345, नारायणपुर में 1, दंतेवाड़ा में 2016, बीजापुर में 2680, सुकमा में 4976 और कोण्डागांव में 19934 आवेदन पात्रता की सूची में नहीं आने की वजह से निरस्त किये गये हैं। इसकी प्रक्रिया बहुत सारे तथ्य के आधार पर की जाती है, उस प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ता है। मैं समझता हूं कि जो-जो आवेदन करता है, हर आवेदनकर्ता को वन अधिकार पत्र नहीं दिया जा सकता। यदि ऐसे पट्टा दिया जायेगा, तो कौन नहीं लेना चाहेगा ? हर कोई लेना चाहेगा। इसलिए इसमें भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के आधार पर हम बारीकी से परीक्षण करते हैं। उस परीक्षण के बाद ही जो तमामतर ग्राम स्तर की समिति है, उस सिमति के अनुमोदन के पश्चात, जनपद पंचायत में जो समितियां हैं, उस स्तर से होकर जिला स्तर की समितियों के माध्यम से उनकी अनुशंसा के बाद ही हम पट्टा जारी करते हैं। आपको यदि किसी प्रकार की कोई और अधिकृत जानकारी देनी हो तो आप बता दीजिये। जहां तक आपके विधान सभा क्षेत्र की बात है, तो आपके क्षेत्र में जो भी प्रकरण लंबित हैं, उनकी बहुत सारी प्रक्रिया चल रही है। मैं समझता हूं कि यदि किसी प्रकार की कोई और भी जानकारी हो, तो आप जानकारी उपलब्ध कराईये। मैं उसका भी परीक्षण करके आपको उस जानकारी से अवगत कराऊंगा।

श्री लखेश्वर बघेल :- सभापति महोदय, आदरणीय मंत्री जी ने कहा है कि सरकार गंभीर है। मैं यह जानना चाहूंगा कि आपने इस एक साल के अंदर कितने पट्टे दिये ?

श्री राम विचार नेताम :- सभापति महोदय, जैसा कि अभी हमने प्रगति बताई कि व्यक्तिगत इतने पट्टे दिये। हमारे एक साल के अंदर वर्ष 2018 से लेकर 2023 तक।

श्री लखेश्वर बघेल :- सभापति महोदय, वर्ष 2023 के बाद से क्या-क्या कार्यवाही हुई है ? ग्राम स्तर पर, जनपद स्तर पर, अनुभाग स्तर पर, जिला स्तर पर, क्या-क्या कार्यवाही हुई है और कितने लोगों को पट्टा दिया गया है ?

श्री राम विचार नेताम :- सभापति महोदय, मैं इसकी जानकारी लेकर आपको इससे अवगत करा दूंगा।

सभापति महोदय :- हो गया।

श्री लखेश्वर बघेल :- सभापति महोदय, अभी नहीं हुआ है। यह प्रक्रिया 2006-2007 से लेकर 2024 तक लगभग 18 साल हो रहे हैं। उसके बावजूद भी हजारों लोगों को पट्टा नहीं दिया जा रहा है। कई लोग आवेदन लेकर घूम रहे हैं। उनको छोटी-छोटी लालच देकर लोग भटका रहे हैं। उनमें 49 हजार आवेदन निरस्त भी हुए हैं। ग्राम स्तर की समिति को पॉवर दिया गया है। ग्राम स्तर की अनुशंसा से कार्यवाही आगे बढ़ती है तो उनको निरस्त करने की क्या जरूरत है ? उसमें कितने लोगों ने अपील किया ? जो 49 हजार आवेदन निरस्त हुए, क्या उनमें से किसी ने अपील किया है ? 18-20 वर्षों से पट्टा नहीं दिया जा रहा है। वही प्रक्रिया चल रही है। सरकार बदल रही है, आ रही है, जा रही है।

सभापति महोदय :- आप अपना स्पेसिफिक प्रश्न पूछिये।

श्री लखेश्वर बघेल :- सभापति महोदय, मैं स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि कितने लोगों ने पट्टे के लिये अपील किया है और उनको कब तक पट्टा दिया जायेगा ? मेरा सरकार से निवेदन है कि गांव-गांव में पट्टा की प्रक्रिया लंबित है। ऐसी कुछ विशेष व्यवस्था की जाये कि ग्राम सभा में बुलाया जाये कि कितने लोगों का शेष है, कितने लोगों को देना है और कितने लोगों को नहीं देना है।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, कितने लोगों ने अपील की है और उनको कब तक पट्टा देंगे, यह बता दीजिये।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, इसी से संबंधित मेरा एक प्रश्न है। आपसे निवेदन है।

सभापति महोदय : आप रूकिये। पहले मूल प्रश्नकर्ता का जवाब तो आने दीजिये। माननीय मंत्री जी।

श्री राम विचार नेताम :- सभापति महोदय, मैंने अपने लिखित उत्तर में बहुत कुछ जानकारी दे दी है कि किस स्तर में प्रक्रिया का पालन करते हुए पट्टा का निर्धारण होता है और उन्हें वितरित किया जाता है। अब जिनको अपात्र की श्रेणी में डाला गया है, उनको अपील करने का अधिकार है, लेकिन अपील का मतलब यह नहीं हो जाता है कि जो अपील किया है, वह सब मान्य हो जाए। क्योंकि उसे फिर से परीक्षण करना होता है। उसे परीक्षण करने के लिए हमारा राजस्व का अमला भी जाएगा। वन विभाग का अमला भी जाएगा और वह तय करेगा। ग्राम सभा की समिति यह तय करेगी, फिर जनपद की समितियां तय करेंगी, जिला स्तर की समिति तय यह करेगी। तो इसमें किसी प्रकार से किसी के साथ अन्याय न हो, इसमें कोई व्यक्ति वंचित न हो, जो पात्र हैं, लेकिन जो अपात्र हैं उनके लिए भी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हमारा दायित्व है, हमारे विभाग का दायित्व है कि किसी भी हालत में अपात्र को न मिले। हम तो इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता का पालन कर रहे हैं। ग्राम सभा का आयोजन करके, इसके बारे में आम जनों को जानकारी दे रहे हैं।

सभापति महोदय :- अब खत्म करिये। अब हो गया।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, इसलिए हमारे एक एन.जी.ओ. के माध्यम से बहुत सारी जानकारी देने का भी है।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ।

सभापति महोदय :- वह बस्तर का मामला पूछ रहे हैं।

श्री रामविचार नेताम:- माननीय सभापति महोदय, जो एफ.आर.ए. के तहत, भारत सरकार की एफ.आर.ए. नियमावली के तहत हम पूरी तरह से पारदर्शिता का पालने करते हुए, इसमें काम कर रहे हैं। इसके बावजूद किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति हो तो आप मुझे दीजिए, हम उस पर जांच कराने के लिए तैयार हैं।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। बस्तर संभाग अंतर्गत सबसे ज्यादा बीजापुर और सकुमा वनाधिकार पट्टा प्रदाय नहीं किया जाना लंबित हैं।

सभापति महोदय :- इसमें बहुत प्रश्न हो गये।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ।

सभापति महोदय :- अब आप दोनों में से किसको प्रश्न पूछने बोलूं, आप दोनों तय कर लीजिए। कोई एक सदस्य प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, बीजापुर, सुकमा, बस्तर में ज्यादा वनाधिकार पट्टा प्रदाय करने का मामला लंबित है। पिछले समय वर्ष 2013 में वनाधिकार पट्टा बंट रहे थे, वहां पर उस समय ज्यादा नक्सलाईट थे तब वहां लोग सड़कों में नहीं आ पा रहे थे। अब वहां पर थोड़ी शांति का माहौल हो रहा है और वहां लोग वनाधिकार पट्टा मांग रहे हैं और यह सरकार कुछ नहीं कर रही है। आप इसके लिए व्यवस्था करेंगे? बीजापुर, सुकमा, बस्तर और नारायणपुर नक्सलाईट पीड़ित क्षेत्र है। वहां उस समय वनाधिकार पट्टा बंटा नहीं है। जिस समय यह वनाधिकार पट्टा बंट रहा था। जैसे पिछली सरकार में नारायणपुर, चिंतलनार और चिंता गुफा में शिविर लगायी गयी थी उस समय लोगों में डर था। आप भी यह जान रहे हैं कि वहां पर अभी शांति है। इसलिए वहां अभी लोग बहुत वनाधिकार पट्टा मांग रहे हैं, रोज लोग तहसील ऑफिस में घूम रहे हैं। कलेक्टर ऑफिस में सुकमा का 4000 प्रकरण पेंडिंग है। आप उस नक्सलाईट क्षेत्र में थोड़ा गंभीर होकर वनाधिकार पट्टा बांटेंगे क्या? वहां विशेष रूप से केन्द्र सरकार इंदिरा आवास दे, उधर जो केन्द्र का पैसा है, उसे अभी केन्द्रीय गृहमंत्री जी ने फ्री कर दिया है। इस वनाधिकार पट्टा के लिए भी उस क्षेत्र में फ्री कर दीजिए। जब वहां पर माननीय

गृहमंत्री जी बीजापुर गये थे तब वहां पर उनसे मांग की गई थी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि नक्सलाईट पीड़ित क्षेत्र में विशेष शिविर लगाकर वनाधिकार पट्टा बंटवाया जाएगा क्या?

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ।

सभापति महोदय :- इनके प्रश्न का जवाब आने दीजिए। मैं, आपको प्रश्न पूछने का मौका दूंगा।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन और पूरे प्रदेश के सामने माननीय हमारे वरिष्ठ नेता लखमा जी ने जो प्रश्न किया और स्वीकार किया अब वहां पर लोग पट्टा लेना चाहते हैं। वहां लोग शांति की ओर बढ़े हैं, वह क्षेत्र शांत हुआ है। वहां पर नक्सलवाद समाप्त हुआ है। उस क्षेत्र में लोगों का आकर्षण बढ़ा है..।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, हमारा बस्तर क्षेत्र शांत हुआ नहीं है, अभी हो रहा है।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, वह क्षेत्र शांत हुआ नहीं है, अभी शांत हो रहा है, यह आप भी मान रहे हैं। इसलिए उन क्षेत्रों में आपका भी विधान सभा क्षेत्र प्रभावित है। उसमें से अभी तक नियल नेल्ला नार का लगभग 2000 व्यक्तियों का पट्टा देने का पूरा सर्वेक्षण करके, विचार के लिए भेज दिया गया है। मैं समझता हूँ कि उसका बहुत जल्दी निराकरण होगा। वहां पर आपकी उपस्थिति में आपके हाथों से वनाधिकार पट्टा बांटा भी जाएगा। मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ।

सभापति महोदय :- माननीय लखमा जी हो गया।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, इसके पहले भी आपने व्यक्तिगत वनाधिकार के बारे में जो निरस्तीकरण था, मेरे पास वह जिलेवार आंकड़ें हैं। मैं, आपको यह उपलब्ध करवा दूंगा।

सभापति महोदय :- आप उन्हें जिलेवार आंकड़ें उपलब्ध करवा दीजिएगा।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ।

सभापति महोदय :- आप इसमें कहां से प्रश्न पूछेंगे ?

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र के गरियाबंद जिले का मामला है।

सभापति महोदय :- आपने बस्तर संभाग के प्रश्न में कहां गरियाबंद जिला ला दिया।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, इसी ध्यानाकर्षण से संबंधित है। मैं यह बताना चाहूंगा कि पिछले मानसून सत्र में ...।

सभापति महोदय :- आप बताईये मत क्या प्रश्न है वह जल्दी पूछिए।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र का हजारों वनाधिकार पट्टा लंबित है, यह कब तक जारी हो जाएगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- हालांकि इस ध्यानाकर्षण में उसका कोई उल्लेख भी नहीं है। आपने माननीय मंत्री जी के संज्ञान में ला दिया। उसको माननीय मंत्री जी देख लेंगे। आप उनसे मिलकर, बात कर लीजिएगा।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद्।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय मंत्री जी जिला स्तर से 1015 प्रकरण मूलत: वापस की अनुविभागीय अधिकारी बकावंड को पत्र मिला है और उनके निर्देश कर रहे हैं कि जे.पी.एस. करना जरूरी है, जे.पी.एस. करने के पश्चात ही आप भेजें। अगर जे.पी.एस. मैंपिंग करते हैं तो किसी को पट्टा नहीं मिलेगा। आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या ऐसा कोई प्रदेश स्तर से निर्देश है, क्या भारत सरकार से निर्देश है?

श्री रामविचार नेताम :- देखिये, जहां तक वन अधिकार पत्र देने की बात है तो गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ पूरे देश में ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य समाज के जो लोग हैं जिनको सामुदायिक पट्टा दिया जाता है, इसमें देश में पहला स्थान मे है। इसलिए आपको सरकार को तो बधाई देना चाहिए कि हम लोगों ने इसे यहां तक पहुंचाया है।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन कर रहा हूं।

सभापति महोदय :- आप 6 प्रश्न तो कर लिये हैं, अब क्या यही चलता रहेगा।

श्री बघेल लखेश्वर :- मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये जायें। साल भर से पट्टा देने के लिए आपके द्वारा शासन स्तर से कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

सभापति महोदय :- आप और डिटेल चर्चा मंत्री जी से बैठकर कर लीजियेगा। बहुत हो गया।

श्री बघेल लखेश्वर :- मेरा निवेदन है कि इस विषय में दिशा-निर्देश दे दीजिये। जो भी करना है, विशेष रूप से ग्राम सभा बुलाई जाये। चलिये, धन्यवाद।

समय
12.46 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

नियम 267 "क" के अंतर्गत विषय

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्य की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

1. श्री अजय चन्द्राकर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सदन सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

अध्यक्ष महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल में की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

समय
12.47 बजे

प्रतिवेदन की प्रस्तुति

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन

सभापति (श्री विक्रम उसेंडी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 20 दिसंबर, 2024 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प क्र.	**सदस्य का नाम**	**समय**
(क्रमांक-07)	श्री पुन्नूलाल मोहले	30 मिनट
(क्रमांक-09)	श्री अटल श्रीवास्तव	30 मिनट
(क्रमकांक-10)	श्री अजय चन्द्राकर	30 मिनट

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय

12.48 बजे **याचिकाओं की प्रस्तुति**

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नलिखित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

01. श्री रिकेश सेन
02. श्री भोलाराम साहू
03. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
04. श्रीमती अनिला भेंडिया
05. श्री दिलीप लहरिया
06. श्री ललित चन्द्राकर
07. श्रीमती चातुरी नंद

समय

12.48 बजे **वित्तीय वर्ष 2024-2025 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमश:)**

अध्यक्ष महोदय :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट मोर क्षेत्र के बात हे।

अध्यक्ष महोदय :- नेता प्रतिपक्ष से पूछ तो लिया करें।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, इनको एक मिनट बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप बोलिये, आपको क्या बोलना है।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। मैं नेता जी ला धन्यवाद देथौं कि मोर क्षेत्र के बात रखय के मोला दो मिनट के समय दिहिस हय। माननीय अध्यक्ष जी, मोला ज्यादा कुछ नहीं कहना है, द्वितीय अनुपूरक बजट के बारे में पूरी चर्चा हो चुके हय। हमर वित्त मंत्री, पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री जी भी बैठे हे। मोर क्षेत्र में रोड की स्थिति बहुत खराब हे। और जो वो रोड हे, वह वर्ष 2023-24 के बजट में हे । पूरा पावर प्लांट के जतका गाड़ी-घोड़ा ओमा चलथे । छोटे सीपत से दर्राभाठा सक्ती जो जिला के मुख्यालय रोड एके ठा हे अउ एक ठा अपन डभरा नहरपार से हमर वित्तमंत्री जी के गांव बैंक तरफ जाकर जुड़थे । मैं दू ठन के मांग करत हंऔं चूंकि आप जिला के कलेक्टर भी रहे हओ, सब के जानत हओ । ऐला बजट में हे, एला आप प्रशासकीय स्वीकृति के इंहां घोषणा कर देथा । दोनों झन हावा। आपसे बस मोर अतके कन मांग हे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, माननीय चरणदास जी ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तमंत्री ओ. पी. चौधरी जी द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक अनुदान मांगों का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय वित्तमंत्री जी इधर ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा ।

(माननीय वित्तमंत्री जी और माननीय सदस्य, रामकुमार यादव के आपस में बातचीत करने पर)

अध्यक्ष महोदय :- वित्तमंत्री जी ।

डॉ. चरणदास महंत :- वित्तमंत्री जी, मैं खड़ा हूं और आपका विषय चल रहा है । आप इधर ही ध्यान दें, दूसरों पर ध्यान न दें । अब आपका दोनों अनुपूरक मिलाकर आपका बजट हो जाता है 1 लाख 58, 245 । ठीक है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसे डबल इंजन की सरकार भी कहते हैं । इनका एक नारा था - सबका साथ, सबका विकास । मैं माननीय वित्तमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि नारा था या नारा है ? आप कृपया खड़े होकर बतायेंगे कि नारा था या नारा है ?

अध्यक्ष महोदय :- ऐसे एक-एक प्रश्न पर कैसे चलेगा ।

वित्तमंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नारा था, है और रहेगा। (मेजों की थपथपाहट)

डॉ. चरणदास महंत :- ठीक है, बहुत अच्छी बात है । आपका नारा था, नारा रहेगा, हम स्वागत करते हैं लेकिन आपके मूल बजट में, आपकी अनुदान मांगों में आपके द्वारा बजट में दोहरा मापदंड दिखाया गया है । जहां-जहां आपके विधायक हैं वहां तो आपने काम स्वीकृत कर दिये हैं, नये काम भी लिये हैं लेकिन जहां-जहां आपके विधायक नहीं हैं, वहां के स्वीकृत काम पर भी स्वीकृति नहीं दी जा रही है तो यह आपका नारा खोखला साबित हो रहा है, उसको ठीक करिये । अगर आपका नारा सबका साथ, सबका विकास है तो आप उसको विभाजित मत करिये कि कौन कांग्रेस का है और कौन भारतीय जनता पार्टी का है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम रायपुर से शुरू करते हैं । रायपुर में वर्ष 2023 में 63 हत्या के केस दर्ज किये गये थे, 63 दर्ज हैं, इसको आप नकार नहीं सकते और वर्ष 2024 में 11 माह में 68 हत्याओं के केस दर्ज हो चुके हैं । आपके बजट में कहीं नहीं दिख रहा है कि आपने अपराध नियंत्रण के संबंध में कोई योजना या कारगर उपाय किये हैं तो चूंकि यह हमारा राजधानी स्थल है, इसे आप देखिये । यहां पर परसों माइक्रो फायनेंस के बारे में चर्चा हुई थी, आपने भी चिंता व्यक्त की । पूरे प्रदेश के गरीब, अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग अधिकतर महिलाओं की इसमें ठगी हुई है और वे परेशान हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इनके संरक्षण या तो राज्य के अधिकारी दे रहे हैं या प्रदेश

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

के अधिकारी दे रहे हैं । यह आपके लिये चिंता का विषय होना चाहिए । आप मेरे ख्याल से बहुत विद्वान हैं और आपको इसे देखना चाहिए ।

मानननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अगली बात यह कहना चाहता हूं कि आपने शराब बिक्री की होटल-ढ़ाबों सभी जगह परमिशन तो दे दी लेकिन आप अपने अनुदान मांग में अभी भी यह बता रहे हैं कि इसमें आय नहीं हो रही है । एक तरफ आपने पूरा ठेका ले लिया है कि युवाओं का भविष्य कैसे बिगाड़ें, दूसरी तरफ आप उनसे वसूल भी नहीं कर पा रहे हैं, आपकी आय भी नहीं बढ़ पा रही है तो इसलिये मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप इस दिशा में ध्यान दें । आपके बजट से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप राजस्व की वसूली में थोड़ा नाकाम रहे हैं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि मांग संख्या 13, 16, 19, 30, 41, 64 और 80 में केंद्र प्रवर्तित योजनाएं तो सम्मिलित हैं और बड़ी धनराशि का प्रावधान भी नई मदों में है। परन्तु दूसरी बात, मांग संख्या 15, 53, 81, 82, 83 राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर आप खर्च की अनुमति ले रहे हैं। इन मांगों के अतिरिक्त शेष मांग संख्या राज्य आयोजना मद के आपने डिमांड किया है कि आपको टोकन राशि मात्र 100 रुपए दे दिया जाए। ऐसा आपने बजट में प्रस्तुत किया है तो वित्त मंत्री जी, आप इसमें क्या चाहते हैं, मुझे तो नहीं पता, मगर लगता है कि आपका ध्यान विजन 2047 पर ही है और बीच में 2025, 2026, 2027, 2028 भी आएगा। इसको आपने ध्यान में नहीं रखा है, ऐसा मेरा मानना है। प्रदेश की जनता को आपसे बड़ी उम्मीद है। डबल इंजन की सरकार है और मैं समझता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी साय साहब ने आपको इसका पायलट बना रखा है। ठीक, मेरा मानना ठीक है, चलाना आपको है।

समय :
12.56 बजे

अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

श्री गौरीशंकर अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा

अध्यक्ष महोदय :- मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष हर्ष हो रहा है कि विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल जी अध्यक्षीय दीर्घा में विराजमान हैं। मैं उनका सदन की ओर से स्वागत करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमश:)

डॉ. चरणदास महंत :- इसलिए मेरा आपसे विरोध है कि राज्य के स्रोत में जरूर वृद्धि करें, जो आप नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, अनुरोध यह है कि राज्य के अपने मित्र व्यापारियों को समझा दें। महोदय, सुन लीजिए। राज्य के आपके जो मित्र व्यापारीगण होंगे, उनको समझा दीजिए कि जो वसूली

करने वाले अधिकारी आते हैं, वे आपके नाम से और मुख्यमंत्री जी के नाम से उनको धमकाते भी हैं। तो आपने उनको किसी तरह का संरक्षण नहीं दिया है। ये जरूर समझा दीजियेगा। मांग संख्या 11 में आप प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, कबीरधाम, महासमुंद जांजगीर-चांपा के औद्योगिक क्षेत्र की अधोसंरचना को विकसित किए जाने की जो बात कही थी। क्या आप अपने भाषण में बताएंगे कि आपने इसमें क्या-क्या अधोसंरचना के विकास का निर्णय लिया है? अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, मैं यह भी जानना चाहता हूं और मुझे चिंता हो रही है कि मांग संख्या 20 में जो पी.एच.ई. विभाग संबंधी, जिसके खर्च में आपने मात्र भुगतान के लिए 63,85,000 का प्रावधान किया है तो जल जीवन मिशन का भुगतान होगा या नहीं, नंबर एक। ये काम चलेगा या नहीं और लोगों को पानी मिलेगा या नहीं। आप इसको जरा देख लें। आप इसको जरा देख लीजिएगा। मांग संख्या 24 लोक निर्माण विभाग की सड़क से संबंधित है। आपने कहा कि 2400 रूपए की प्रतीक अग्रिम का उल्लेख किया है और विभागीय बचत से निर्माण कार्यों को सम्मिलित किए जाएंगे, ऐसा आपने लिखा है। तो सरकार मूल बजट खर्च तो नहीं कर पाई है और मूल बजट की बचत राशि से जो कार्य आप परिवर्तित करने जा रहे हैं, नए प्रस्ताव में शामिल कर रहे हैं, उस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको ज्ञात होगा, आप जानते ही हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में तत्कालीन बृजमोहन अग्रवाल जी ने इसी सदन में घोषणा की थी कि 33,000 नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मैंने उनसे पूछा था कि भर्ती लोकसभा चुनाव के पहले करेंगे या बाद में करेंगे। उन्होंने ये कहा था कि हम लोकसभा चुनाव के पहले विज्ञापन जारी करेंगे और अभी जो इस संदर्भ में हमारी शेषराज हरवंश जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न किया है तो उन्होंने स्वीकार तो किया है कि भर्ती करने का उन्होंने वादा किया था। जी हां, लिखा है, मगर समय-सीमा बताना संभव नहीं है। ये भी लिखा है। तो वे 33,000 शिक्षक जो आपकी बांह जोड़ रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? उसको जरूर बताएगा। दूसरी बात, आदरणीय धर्मजीत जी और कौशिक जी को हवाई सेवा कनेक्टिविटी के बारे में बहुत चिंता है । मैं भी उनकी चिंता में शामिल हो जाता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी निजी कंपनी ?

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, आपको उस चिंता में शामिल होना भी चाहिए । क्योंकि बिलासपुर जिला भी आपका है । हम हवाई सेवा ही तो मांग रहे हैं ।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं यह भी मानता हूं कि आप भी हमारे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंहस :- आप वहां के नेता हैं । आपको बोलना, हमारी मांग को दम दे रहे है, ताकत दे रहा है ।

श्री कवासी लखमा :- मैंने टी.वी. में देखा है लेकिन हमारे जगदलपुर का क्या होगा ? जगदलपुर से एक ही तो आ रहा था, उसको भी बंद कर दिया गया ।

श्री केदार कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, आज दर्शक दीर्घा में हमारे पूर्व विधान सभा अध्यक्ष..।

डॉ. चरणदास महंत :- बोल चुके हैं, जब आप नहीं थे तब । अध्यक्ष महोदय, यहां प्रदेश की हवाई सेवा की चिंता की है और अगर मैं सही हूं तो आप चेक कर लीजिए, बजट में आपने इनको 12 करोड़ रूपए किसी निजी कंपनी को दिया है । आपने द्वितीय अनुपूरक में उस कंपनी को 25 करोड़ रूपए दिये हैं । प्रदेश में आपकी हवाई सेवा कहां से कहां चल रही है और कितने लोग उसमें यात्रा कर पाए हैं, यह आप जरूर चेक करवा लीजिएगा । आपने मूल बजट में एक हजार ग्राम पंचायतों में इंटरनेट एवं वाई-फाई कनेक्शन देने की घोषणा की थी और 37 करोड़ का प्रावधान किया था । मैं आपसे आपके भाषण में जानना चाहूंगा कि इसमें कितनी पंचायतों को जोड़ा गया है । आपने एक हजार ग्राम पंचायतों को जोड़ने की बात की और कितनी पंचायतों को आप जोड़ पाए हैं ? आपने 163 हानिकारक प्रदूषण उत्सर्जन करने वाले उद्योगों में ऑनलाईन एमीशन मॉनीटरिंग सिस्टम की स्थापना करने की बात की थी, क्या आपने एक साल में ये सिस्टम 2, 5, 10 कितना लगा पाए, जरूर बताइएगा ? लगभग एक साल तो हो चुका है ।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के माध्यम से 10 हजार रूपए आर्थिक सहायता दी थी, देते थे, देने का वायदा किया था । आपने उसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन मजदूर कल्याण योजना कर दिया और उसके लिए आपने पिछले बजट में 500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया था । मैं जानना चाहता हूं कि यह लाभ कितने हितग्राहियों को मिला है । ये मेरी छोटी-छोटी बातें हैं । सीधे-सीधे कुछ शब्दों में मैंने आपको चेताया भी है, समझाया भी है, कोशिश भी कर रहा हूं । आप कलेक्टर भी रहे हैं, अच्छे मंत्री भी हैं और इस सरकार के वित्त विभाग को संभाल रहे हैं, डबल इंजन के पायलट भी हैं तो आप बेहतर ढंग से पायलटिंग करते हुए, मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब देंगे । इसी बात के साथ मैं उनके द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट की मांगों का विरोध करता हूं ।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में प्रस्तुत अनुपूरक बजट पर चर्चा में अपना वक्तव्य रखने के लिए खड़ा हुआ हूं । सर्वप्रथम मैं नेता प्रतिपक्ष जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस अनुपूरक की चर्चा में भाग लिया है । सत्ता पक्ष की ओर से आदरणीय अजय चन्द्राकर जी, सुश्री लता उसेंडी, आदरणीय धरमलाल कौशिक जी, आदरणीय धर्मजीत सिंह जी, आदरणीय सुनील सोनी जी के साथ अनेक वक्ताओं ने भाग लिए मैं उनको धन्यवाद् देता हूं । विपक्ष की ओर से आदरणीय उमेश पटेल जी, आदरणीय कवासी लखमा जी, आदरणीय राघवेन्द्र सिंह जी, आदरणीय अंबिका मरकाम जी, आदरणीय द्वारिकाधीश यादव जी, आदरणीय कुंवर सिंह निषाद जी और रामकुमार यादव जी ने एक दो लाईनों के साथ, सभी ने इस चर्चा में भाग लिया, इसके लिए मैं सत्ता पक्ष के वक्ताओं

को और विपक्ष के भी वक्ताओं को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस चर्चा में सब लोग सम्मिलित हुए हैं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार को एक साल पहले छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने 46 प्रतिशत से अधिक मतों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य में वोट प्रतिशत का नया रिकॉर्ड स्थापित करते हुए हमारी सरकार बनाया और हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय जी जो एक जमीन से जुड़े हुए सज्जन नेतृत्व करने वाले, उनके दशकों का राजनीतिक जीवन रहा है, ऐसे एक आदिवासी बेटा को हमारी ओर से मुख्यमंत्री का नेतृत्व मिला और आज हम सब लोग काम कर रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सरकार बनी थी उसके पहले विपक्ष में संघर्ष करते हुए हमने जो सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु रखा था, वह मोदी की गांरटी थी। कांग्रेस ने भी बहुत सारे वादे किए, उन्होंने भी जनता को बहुत भरमाने का प्रयास किया जैसे 2018 में किया था लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता मोदी जी की गारंटी पर भरोसा करती है न कि कांग्रेस के असत्य वादे पर भरोसा करती है। यह पिछला चुनाव परिणाम ने अच्छी तरह से बता दिया। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार 13 दिसंबर को शपथ ली, आदरणीय मुख्यमंत्री जी शपथ लिए और मात्र 12 दिनों बाद 25 दिसंबर की तारीख आई, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती की तारीख जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य को बनाया, ऐसे व्यक्तित्व के जन्मदिन की तारीख आई और हमने मोदी की गारंटी के अनुरूप दो साल के बोनस के लिए 12 लाख से अधिक किसानों को 3716 करोड़ रूपये एक साथ भुगतान करने का काम किया। (मेजों की थपथपाहट) हमारे विपक्ष के साथी बोल सकते हैं कि आप लोगों ने बोनस नहीं दिया था, यह आरोप लगा सकते हैं लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2018 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने भी वादा किया था कि हम दो सालों के बोनस का भुगतान करेंगे लेकिन 5 सालों तक उन्होंने भी भुगतान नहीं किया। (शेम-शेम की आवाज) इस भुगतान को सरकार बनने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मात्र 12 दिनों बाद हमारी सरकार ने भुगतान करके दिखाया। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, 13 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी का शपथ हुआ और 14 तारीख को जो पहली केबिनेट हुई उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निर्णय लिया गया कि 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। इस सैद्धांतिक निर्णय में पहली केबिनेट में मुख्यमंत्री जी ने पहले दस्तखत के रूप में हस्ताक्षर किया। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, अभी मैं 13 दिसंबर को प्रेस कांफ्रेंस लेने के लिए बेमेतरा गया था, वहां पर एक पत्रकार साथी ने पूछा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती तो छत्तीसगढ़ की जनता को क्या नुकसान हुआ होता ? अध्यक्ष महोदय, नुकसान तो बहुत हुए होते लेकिन मेरा पहला जो दिल और दिमाग में जवाब आया और मैंने जो जवाब दिया, उसे मैं आज सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की

2023 में सरकार नहीं बनी होती तो 18 लाख आवासहीन लोगों को आवास नहीं मिलता। (मेजों की थपथपाहट)

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के अवसर पर 25 दिसंबर को मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें 18 लाख स्वीकृत किए। यहां माननीय वित्त मंत्री जी बार-बार कह रहे हैं कि 18 लाख आवास स्वीकृत किए। मैं भी कह रहा हूं कि स्वीकृत किए। 18 लाख आवास में से आपके इस 10-11 महीनों में कितने के लिए आपने पैसे दिए और कितने जमीन पर उतरे यह बताईए ?

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, मैं इसका भी जवाब जरूर दूंगा लेकिन उससे पहले मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 5 सालों तक कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास का लाभ छत्तीसगढ़ के आवासहीन गरीबों को नहीं दिया, उसके पीछे लॉजिक दिया कि इसका नाम प्रधानमंत्री आवास लिखा हुआ है तो राज्य सरकार पैसा क्यों देगी ? इस तरह का लॉजिक दिया। (शेम-शेम की आवाज)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह भर नहीं, उसमें यह भी तर्क दिया गया था और यह पिछली विधान सभा की बात है कि उसमें प्रधानमंत्री जी की दाढ़ी वाली फोटो है। अजय चंद्राकर जी ने बोला है कि कोई बाप कट वाली फोटो थोड़ी न छपवाएंगे। उसमें बाप कट की तो फोटो नहीं छपेगी न। दाढ़ी वाले की ही फोटो छपेगी। प्रधानमंत्री जी की दाढ़ी है तो दाढ़ी वाली फोटो छपेगी। यह भी हुआ था कि उनको फोटो से भी आपत्ति थी।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि सरकार के द्वारा 18 लाख आवास में से शहरी क्षेत्र में कितने आवास स्वीकृत किये गये हैं ? आप यह भी बताइयेगा।

अध्यक्ष महोदय :- यह प्रश्नोत्तर का समय नहीं है। कृपया आप वित्त मंत्री जी का पूरा जवाब सुन लीजिए, उसके बाद यदि आपको कोई शंका हो तो फिर अपनी बात कहियेगा। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जी बोल सकते हैं। आप सब लोग खड़े होंगे तो यह तारतम्य टूटेगा।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, एक मिनट। मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं। महंगाई बढ़ रही है। पहले गांव में 1 लाख, 30 हजार रूपये में आवास बनता था, लेकिन अब उसको 1 लाख, 20 हजार रूपये कर दिया गया है और शहर में ढाई लाख कर दिया गया है। जब शहर वाले 1 वोट डालते हैं और गांव वाले भी 1 वोट ही डालते हैं तो यह भेदभाव क्यों किया गया ? क्या आप इसको पूरा करेंगे ? आप गांव में भी ढाई लाख रूपये दीजिए। गांव वालों का क्या दोष है ? कोंटा और झगरकोण्डा वालों को 1 लाख, 20 हजार रूपये दिया जाता है और सुकमा वालों को ढाई लाख रूपये दिया जाता है तो ऐसा क्यों है ?

श्री रामकुमार यादव :- नेता ला फ्री में देहुं कि नहीं दुहुं ? इहुं ला बताहुं कि ओखर लिए का नियम बनाए हो ?

श्री धर्मजीत सिंह :- आप लोग क्या बात करेंगे ? हमारे नेता प्रतिपक्ष जी इतने विद्वान और अनुभवी हैं। आप लोग उनको पिछले 5 साल तक भीष्म पितामह सरीके बनाकर सिंहासन के किनारे बैठाकर रखे थे। वह किसी को बोल नहीं सकते थे। उनके सामने में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। उनके सामने में पाण्डवों के साथ अन्याय हो रहा था, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पाये। यदि आज वह बोल रहे हैं तो आप लोग उनको सुनिये और उनकी बात मानिये। आप लोग भीष्म पितामह की सलाह मानेंगे तो आपका कुछ कल्याण होगा। (हंसी) (मेजों की थपथपाहट) (शेम-शेम की आवाज)

श्री केदार कश्यप :- आपने जो भीष्म पितामह कहा है तो भीष्म पितामह नहीं, बल्कि धृतराष्ट्र कहिये।

श्री कवासी लखमा :- आदिवासियों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है ? पहले गांव में आवास निर्माण के लिए 1 लाख 30 हजार मिल रहा था, उसमें 10 हजार कम कर दिया गया। आप लोग भी गांव से आते हैं। क्या गांव वाले शहर वाले से ज्यादा पैसे वाले हैं ?

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट। धृतराष्ट्र के सामने एक दरबार लगता था। उसमें एक ऊंचे सिंहासन पर भीष्म पितामह बैठते थे और वहां पर चौसर लगा और द्रौपदी का चीरहरण हो गया। पाण्डव 5 गांव मांगने के लिए बोलते-बोलते मर गए और भीष्म पितामह की जुबान से एक शब्द भी निकला, क्योंकि वह हस्तिनापुर की सिंहासन से बंधे हुए थे। महंत जी, आप 5 साल तक हस्तिनापुर की सिंहासन से बंधे थे। अब आप आजाद होकर बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। हम लोग आपकी बात का सम्मान करते हैं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री केदार कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, मान लीजिए कि हमारे माननीय चरण दास महंत जी यदि धृतराष्ट्र थे तो क्या उस समय कवासी लखमा जी शकुनि थे ? (हंसी)

डॉ. चरण दास महंत :- यह हास्य का विषय जरूर है।

श्री कवासी लखमा :- आप ठाकुर साहब को तो जानते हैं। यह बिहार के मुख्यमंत्री जैसे पलटुराम हैं। पहले यह इधर से बात करते थे और अब उधर से बात करते हैं। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- शकुनि इनके किनारे बैठे थे। (हंसी)

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष जी, वैसे तो मैं यह चाहूंगा कि इन सभी वाद-विवाद को कार्यवाही से निकाल दिया जाये। इसमें यह भी वाद-विवाद शामिल है कि माननीय धर्मजीत सिंह जी ने कहा कि उसमें दाढ़ी वाले की फोटो थी तो क्या इसमें बाप कट वाले की फोटो लगाते। मैं किसी पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, जो भी आपत्तिजनक हो, उसे आप कार्यवाही से निकलवा लीजिएगा।

डॉ. चरण दास महंत :- उसका अच्छा असर नहीं जाएगा। न मैं धृतराष्ट्र था।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसमें कुछ भी असंसदीय नहीं हैं। सब संसदीय हैं। यदि असंसदीय होता तो कार्यवाही से विलोपित किया जाता। यह सब तो संसदीय हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, आप उसे निकलवा दीजिए। आप तो स्पीकर थे। आप तो उसको एक बार निकाल भी चुके हैं। आपके ही अध्यक्षीय कार्यकाल में यहां पर जो बात हुई थी, उसको मैंने रिफरेंस दिया। मैं यह नहीं कह रहा हूं और न मैं बाल कटवाने के पक्ष-विपक्ष में बोल रहा हूं और न ही दाढ़ी वाले के पक्ष-विपक्ष में बोल रहा हूं। यहां पर जो घटना हुई थी, मैं वह बता रहा हूं।

डॉ. चरण दास महंत :- तत्कालीन अध्यक्ष जी ने जिस असंसदीय शब्द को एक बार कार्यवाही से निकाल दिया था, उसे अगली बार कार्यवाही से निकाला ही जाएगा। न मैं धृतराष्ट्र था और न। आपने क्या कहा ? मैं ऊपर बैठा था, यह मेरी गलती थी। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। चौधरी जी।

श्री लखेश्वर बघेल :- मंत्री जी, प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री के नाम से है, इसलिए नहीं बनाया। एक, मैं उसके संबंध में मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उस समय केन्द्र सरकार कितना अंशदान देती थी और राज्य सरकार कितना अंशदान देती थी ? दूसरा, आपने इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम बदल दिया, इसको जरा स्पष्ट करिये। हम लोग कितना देते थे ? अभी आप 18 लाख आवास की बात कर रहे हैं, कितने जगह बना है, बता दीजिये ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, पर्याप्त हो गया। वित्तमंत्री जी, आप कन्टीन्यू करिये। आप रूकिये मत।

श्री ओ.पी. चौधरी :- जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि जो भी विषय है, उसको सुनिये। मैं यही बिन्दु रखना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, योजना का नाम रखा गया है, इस वजह से आवास योजना को बंद कर दिया गया था। 60:40 का रेशियो था। 40 प्रतिशत राज्य सरकार को देना होता था। केन्द्र पूछती रही, चिट्ठी लिखती रही, लेकिन राज्यांश नहीं दिया गया। इसकी वजह से योजना रूक गई और छत्तीसगढ़ में 18 लाख आवास का नुकसान हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि केन्द्र में कांग्रेस की यू.पी.ए. की सरकार थी, तो इन्दिरा आवास योजना के नाम से छोटे रूप में योजना चलती थी। इन्दिरा आवास योजना, परिवार के नाम से योजना स्वीकार है। लेकिन प्रधानमंत्री देश का एक संस्थान है, इनको प्रधानमंत्री नाम से योजना स्वीकार नहीं है, लेकिन परिवार का नाम इन्दिरा शब्द स्वीकार है। यह कांग्रेस और विपक्ष की मानसिकता है, यह बहुत दुर्भाग्यजनक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पहले ही साल 8 लाख से अधिक हितग्राहियों को पहला किश्त जारी हो चुका है। (मेजों की थपथपाहट) पूरे भारत में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जितने आवास स्वीकृत हुए हैं, उसमें 25 प्रतिशत केवल छत्तीसगढ़ राज्य को स्वीकृत किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी की सरकार बनने के बाद पहला अनुपूरक मांग आया, उसमें 3,799 करोड़ रूपये का प्रावधान था। इस बार के बजट में 8,369 करोड़ रूपये का प्रावधान है। जितने तेजी से आवास बनते जायेंगे, वित्तीय रूप से एक रूपये की कमी नहीं आने दी जायेगी, यह हमारी सरकार का स्पष्ट वादा है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी की बहुत बातें हुईं। लगातार सदन में चर्चा हो रही है। मैं आपके माध्यम से बात रखना चाहूंगा कि सन् 2003 तक, जब तक कांग्रेस की सरकार थी, अध्यक्ष महोदय, आप सन् 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके नेतृत्व में बनी थी, उस समय कांग्रेस कार्यकाल के आखिरी समय में छत्तीसगढ़ में मात्र 5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होती थी। सन् 1956 में मध्यप्रदेश राज्य बनने के बाद, आजादी के 50 वर्षों से अधिक समय तक कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने 50 सालों में धान खरीदी की व्यवस्था विकसित नहीं किया। धान खरीदी की व्यवस्था की गई तो भारतीय जनता पार्टी के आपके नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किया गया।

श्री कवासी लखमा :- धान खरीदी करने के लिए अटल बिहारी बाजपेयी जी से मिलने दिल्ली गये थे। उन्होंने एक रूपया नहीं दिया। उस समय भी धान खरीदी हुई थी। पूरा मंत्रिमण्डल, विधायकगण दिल्ली गये थे।

श्री राजेश मूणत :- क्या करने गये थे ?

श्री कवासी लखमा :- पैसा मांगने।

श्री राजेश मूणत :- किससे ?

श्री कवासी लखमा :- अटल बिहारी बाजपेयी जी को नेता नहीं मानते क्या ?

श्री राजेश मूणत :- किससे ?

श्री कवासी लखमा :- अटल बिहारी बाजपेयी जी को नेता नहीं मानते क्या ? हम उससे पैसा मांगने गये थे।

श्री राजेश मूणत :- दादी, इस दुपट्टे में कुछ देर पहले पंजा दिखते नजर आ गया है। इतनी जल्दी कलर पलट लोगे, मुझे पता नहीं था। इसमें पंजा था।

श्री कवासी लखमा :- नहीं है।

श्री राजेश मूणत :- आप उसको पलट लिए हो। इतनी जल्दी रंग पलटते हो।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- मूणत जी, यह रंग नहीं बदल रहे हैं।

श्री राजेश मूणत :- रंग बदल रहे हैं।

डॉ. चरण दास महंत :- नियमत: किसी पार्टी के चिन्ह को लेकर विधान सभा में नहीं बैठना

चाहिए। उनको पता लगा तो उन्होंने उसको बदल दिया। चिन्ह सहित नहीं है। उसको गलत मत समझा जाये।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 2003 में 5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होती थी। उसे आपके नेतृत्व में 77 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचाया गया। (मेजों की थपथपाहट) यह आपके समय में छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था स्थापित की गई। ऑनलाईन सिस्टम स्थापित किया गया। आपके समय में रियल टाइम पर डी.बी.टी. की तरह ट्रांसफर करने का टेक्निकल मैकेनिजम स्थापित हुआ। आज भारत सरकार पूरे देश में डी.बी.टी. लागू कर रही है, वह आपके समय में, भारत सरकार द्वारा लागू करने के पहले ही धान खरीदी में लागू कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथ राजीव न्याय योजना की बहुत बातें करते थे। मैं आपके माध्यम से कुछ डेटा सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। सन् 2019 में राजीव न्याय योजना के अन्तर्गत 5,627 करोड़ रूपये का भुगतान हुआ। सन् 2020 में राजीव न्याय योजना के अन्तर्गत 5,553 करोड रूपये का भुगतान किया गया। सन् 2021 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत 7005 करोड़ का भुगतान किया गया है, वहीं हमारी सरकार द्वारा पहले वर्ष में कृषक उन्नति योजनांतर्गत 13,288 करोड़ रूपया और बाद का मिलाकर 13,320 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है, कृषक उन्नति योजना के माध्यम से हमारी सरकार के द्वारा लगभग 3 गुना अधिक भुगतान किया गया है । अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2003 में धान खरीदी 5 लाख मिट्रिक टन थी, आपके समय में जो 63 लाख, 77 लाख, मिट्रिक टन तक बीच में पहुंची थी, उसे लास्ट इयर में 1 करोड़ 45 लाख मिट्रिक टन धान खरीदी हमारी सरकार ने किया है, जो छत्तीसगढ़ में आज तक नया रिकार्ड है । (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, इतना अधिक धान खरीदी कभी भी नहीं हुआ है । यदि कांग्रेस के एक वर्ष को छोड़ दें तो 1 करोड़ मिट्रिक टन धान की खरीदी कभी नहीं हुई थी ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सर, 1 लाख 45 हजार मिट्रिक टन ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- जी । मैं बिल्कुल करेक्ट करता हूँ । 1 लाख 45 हजार मिट्रिक टन धान की खरीदी हुई और कांग्रेस के समय में 1 लाख मिट्रिक टन धान की खरीदी कभी नहीं हुई थी और जहां तक राजीव गांधी न्याय योजना के भुगतान की बात है, वह 5000-7000 करोड़ के आसपास बनी रही है और हमारी सरकार में 13,320 करोड़ रूपये का पहले ही साल में भुगतान किया गया । (मेजों की थपथपाहट)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी जो भी आंकड़े बता रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वह सरकारी आंकड़े हैं, वह सही होंगे । माननीय वित्त मंत्री जी बस इतना बता दें कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो राजीव गांधी न्याय योजना के तहत हमारा समर्थन मूल्य बढ़ता था, आपने उसे कांस्टेंट रखा है और यह 5000 करोड़, 7000 करोड़, 8000 करोड़, ऐसा गया है । यदि आपका 13,320 करोड़ है तो वह 12, 11, 10, 9 ऐसा तो नहीं होगा ?

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के समय में हर बार बढ़ा है, ऐसा नहीं है । मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि एकाध बार बढ़ाये हैं । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, बोनस की राशि कभी कम नहीं हुई । हर बार उतना ही हुआ है । आप उसे देख लीजिए ।

श्री ओ.पी.चौधरी:- अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष डेटा रख दूंगा ।

श्री उमेश पटेल :- बिल्कुल रखियेगा । केन्द्र सरकार ने जब भी समर्थन मूल्य बढ़ाया है, राजीव न्याय योजना के तहत बोनस की राशि उतनी ही रही है ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य उमेश पटेल जी को आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि कहां 5000-7000 करोड़ और कहां 13,320 करोड़ की राशि है ? (मेजों की थपथपाहट)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह:- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह भी बता दें कि उसमें 6 साल के बोनस का पैसा था कि नहीं था ? (व्यवधान) दो साल का बोनस था कि नहीं यह भी बता दें ? (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- वोहा तुंहर दू साल के पहली के पइसा ए । पहली के खा के भागे रेहेव तेला देहव । (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- यह भी बता दीजिए कि उस 13000 करोड़ में दो साल का बोनस था कि नहीं था ? यह भी बता दीजिए । दो साल का जुड़ना था । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- छत्तीसगढ़ के पहली के लागा हरय । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- रामकुमार, तै नोट के चर्चा में भागे मत लेकर ।

श्री उमेश पटेल :- 13000 करोड़ का जो आंकड़ा दे रहे हैं, मैंने उस आंकड़े को पहले ही कहा है । आप जो प्रस्तुत कर रहे हैं...। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- तुहंर नशा ला देखके लागथे मैं काय कहंव । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- सरकारी आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, यदि उस पर बहस करना है तो मैं दूसरी बात करता हूँ । वह बोनस इतने सालों का है, 13000 करोड़ का है ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, कृषक उन्नति योजना का एक साल का पैसा 13,320 करोड़ है । इसमें 3716 करोड़ दो सालों का बोनस अतिरिक्त दिया गया है । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह बता दें कि आप 13,000 करोड़ से आगे जायेंगे कि पीछे जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- आप पहले जवाब पूरा सुन लें । बार-बार टोकने की जरूरत नहीं है ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, दो साल का बोनस 3716 करोड है और 13,320 करोड़ रूपये एक साल के कृषक उन्नति योजना का भुगतान है और अगर हम जो एम.एस.पी. की राशि है, इन तीनों को मिला देते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, दो साल का बोनस और अंतर की राशि तो एक साल के

अंदर हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाईयों को 49,000 करोड़ रूपया का भुगतान किया है । (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने वर्ष 2018 के घोषणा पत्र में वादा किया था कि छत्तीसगढ़ की माताओं और बहनों को प्रत्येक माह 500 रूपया देंगे । अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018 से वर्ष 2023 तक 5 सालों में एक भी माता और बहनों को कांग्रेस ने 5 रूपया तक का भुगतान भी नहीं किया है । (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बनने के बाद मात्र तीसरे महीने में 70 लाख से अधिक माताओं और बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जा रहा है।(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, पूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष माननीय प्रेमप्रकाश पाण्डेय जी अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं । (मेजों की थपथपाहट)

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमशः)

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत चर्चा होती है कि कवरेज नहीं है, इसको नहीं मिल पा रहा है, उसको नहीं मिल पा रहा है । मैं सदन के समक्ष कुछ डेटा प्रस्तुत करना चाहता हूं । हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की अनुमानित जनसंख्या 3 करोड़, 15 लाख है और उसमें से 70 लाख माताओं और बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है । (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय मंत्री जी, गैस वाला भी जोड़ दीजिए । शादीशुदा वाली महिलाएं अगर मायके में ही उन्हें 30-40 साल की हो गई हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है और उनको भी इस योजना में जोड़ दीजिए। मंत्री जी, अभी माननीय धर्मजीत भैया बोल रहे थे कि बीज निगम वालों को जो दिक्कतें आ रही हैं ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अभी महतारी तो होवन दे ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- ओला भी जोड़ देतेव, ये मोर सुझाव हे ।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिए, जवाब आने दीजिए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है ।

अध्यक्ष महोदय :- बार-बार खड़े नहीं हो सकते, आप बैठिए । मंत्री जी जवाब दे रहे हैं ।

अशासकीय प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, एक बात रखना है । मैं प्वाइंट आफ आर्डर में खड़ी हुई हूं । मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि आपने बड़े बुजुर्गों का 500 रूपए काटा है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अगर आपको 1 हजार रूपए नहीं मिल रहा होगा तो आपका नाम जोड़वा देते हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मुझे नहीं मिल रहा है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपका नाम जोड़वा देते हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- प्वाइंट आफ आर्डर में खड़े हे, प्लीज़ आप लोग साईलेंट रहें ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक में नैतिक बल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है । जिन लोगों ने 5 साल में पॉच रूपए भी नहीं दिया (शेम-शेम की आवाज) उन लोगों को कहां से नैतिक बल आ जाता है कि 70 लाख लोगों को प्रति माह 655 करोड़ रूपए देने वाली सरकार से सवाल पूछें, यह नैतिक बल कहां से आ जाता है ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने इसी सदन में कहा था कि कलेक्टर की पत्नी को भी महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर की पत्नी को भी मिलेगा, मतलब विधायक को भी इस योजना का लाभ मिलना चाहिए ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने इसी सदन में कहा था कि कलेक्टर की पत्नी को भी महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, पेंशनधारी महिलाओं का 500 रूपए काटा जा रहा है, उस 500 रूपयों को आप दीजिए । यह आपके मेनिफेस्टों में नहीं था। (व्यवधान)

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय, इनके शासनकाल में महिला विधायकों को अपना जेवर बेचना पड़ गया था, यह स्थिति थी ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, वह पोर्टल ही नहीं खुल रहा है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, मेरा एक निवेदन है । प्रदेश में महिलाएं खुश हुई हैं, लेकिन प्रदेश में तीन पूर्व मुख्यमंत्री हैं । उनकी भी पत्नियों को देने की बात है । भाभी जी आपकी सरकार से नाराज हैं और एक भाभी तो और नाराज है, आपने दूसरा अन्याय कर दिया, लेकिन कम से कम उन तीनों भाभियों को खुश कर दीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ए ममा, तैं दूसरा के, तीन भूतपूर्व मुख्यमंत्री के बात बात मत कर । मामी ला मिलथे या नहीं, ओला बता ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं मिलथे न । (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- मामी ल नहीं मिलथे, ओकर बर तैं मांग न ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- भांचा, उन भाभियों के लिए बोलना इसलिए भी जरूरी है कि सभी नेताओं को अपने बंगला में चाय, पानी, नाश्ता खिलाए हैं ।

श्री सुनील सोनी :- अध्यक्ष जी, विपक्ष के लोग मांग कर रहे हैं । यह वित्त मंत्री जी की बड़ी उपलब्धि है । चौधरी जी, आपकी उपलब्धि है कि जो पॉच साल बात नहीं कर पाये, वह आज आपसे मांग कर रहे हैं । इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- वित्त मंत्री जी, आप पोर्टल खुलवा दीजए, किसी को मिले या न मिले । पोर्टल ही नहीं खुल रहा है, किसी को मिल ही नहीं रहा है । शादीशुदा महिलाए जो घर में बैठी हैं, उनको दिलवा दीजिए, विधवा महिलाओं को भी दिलवा दीजिए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, विधवा महिलाओं को नाम भी जोड़वाने की आप घोषणा कीजिए ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, मैं जो डेटा बताना चाहता हूं, वह महत्वपूर्ण आंकड़ा है ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा । यह वित्त मंत्री जी का सौभाग्य है और ऐसा संयोग बना है कि यहां चार-चार विधान सभा के अध्यक्ष उनके भाषण के समय यहां उपस्थित हैं । (मेजों की थपथपाहट) दो इधर हैं और दो इधर हैं (अध्यक्षीय दीर्घा की ओर इशारा करते हुए) पाण्डेय जी भी हैं, अग्रवाल साहब हैं, महंत जी भी हैं और वर्तमान अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह जी भी हैं ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- (श्री धरम लाल कौशिक की ओर इशारा करते हूए) ये भी बैठे हैं । (हंसी)

डॉ. चरण दास महंत :- कौशिक जी पॉचवे अध्यक्ष हो गए ।

अध्यक्ष महोदय :- चौधरी जी, आप सावधान हो जाईए और सतर्क होकर बोलिए । यहां पर पॉच विधान सभा अध्यक्ष हैं ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष एक महत्वपूर्ण आंकड़ा रखना चाहता हूं । छत्तीसगढ़ राज्य में कुल जनसंख्या 3 करोड़, 15 लाख हैं, उसमें से 70 लाख माताओं और बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल पा रहा है । वही झारखण्ड में कांग्रेस के गठबंधन की सरकार चल रही है । वहां की जनसंख्या 4 करोड़, 06 लाख है और 52 लाख लोगों महिलाओं को ही लाभ मिल पा रहा है । झारखण्ड में 4 करोड़, 6 लाख की जनसंख्या है और मात्र 52 लाख लोगों को महतारी वंदन योजना, जो कि मईया योजना के नाम से संचालित है, उसका लाभ मिल पा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार है, वहॉ की जनसंख्या 7 करोड़, 71 लाख है और वहॉ मात्र 1 करोड़ 21 लाख माताओं-बहनों को ही इस योजना का लाभ मिल पा रहा है। तो जब राष्ट्रीय फोरम में हमारे कॉग्रेस के दिग्गज नेता जाते हैं, तो वहॉ भी तुलना बताएं, वहॉ पर भी बोलें।

श्री कवासी लखमा :- कर्नाटक में बस फ्री चल रही है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप उनकी तुलना करके अब यहॉ भी काटना चाह रहे हैं? आप महिलाओं को सशक्त कीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- उहां के आर्थिक स्थिति और इहॉ के आर्थिक स्थिति के तुलना करव न महोदय? उहॉ के आर्थिक स्थिति का हे, तेला पता करव।

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में अपने पांच साल के कार्यकाल में पांच लोगों को भी नहीं दिए और अपने दूसरे राज्यों में भी हमसे कम लोगों को दे रहे हैं, तो फिर कहॉ से सवाल आता है, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इन्हें कहॉ से राजनीति में नैतिक बल मिल जाता है कि ये सवाल-जवाब करें? अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि आने वाले समय में महतारी वंदन योजना हमारे छत्तीसगढ़ के माताओं-बहनों के सामाजिक सशक्तिकरण का एक नया अध्याय लिखेगी और आने वाले समय में हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे सारे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इसका अध्ययन करेंगे कि कैसे सामाजिक रूप से माताओं और बहनों के जीवन में परिवर्तन हुआ। अध्यक्ष महोदय, अभी आपने भी अखबारों में खबर पढ़ी होगी कि सारंगढ़ जिले के दानसरा गांव की माताएं और बहनें अपने महतारी वंदन योजना के पैसे को इकट्ठा करके भव्य राम मंदिर का निर्माण कर रही हैं।(मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय एक चीज़ का उल्लेख और कर दीजिए कि अभी सबसे ज्यादा कार एवं वाहन की बिक्री छत्तीसगढ़ में हो रही है। महाराष्ट्र भी पीछे हो गया है।

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास बैंक ने एक बहुत अच्छी योजना महतारी शक्ति ऋण योजना चालू की है, जिसे मैं बताना चाहूंगा। यह महतारी शक्ति ऋण योजना ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से चालू की गई है, जहॉ बिना किसी mortgage,बिना औपचारिकता के, जिसे भी महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है, उसे एक साथ 25 हजार रुपए का लोन 9 प्रतिशत ब्याज दर पर दे रहे हैं। मैं मानता हूं कि यह माताओं और बहनों के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तेंदूपत्ता जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का हरा सोना कहा जाता है, उस पर प्रति मानक बोरा जो पारिश्रमिक दर है, हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसे 4000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए करने का निर्णय लिया और 12.5 लाख परिवारों को इसका लाभ दिया गया है।(मेजों की थपथपाहट) जो खरीदी के दिन होते थे, वे कांग्रेस के कार्यकाल में 2 दिन- 3 दिन बड़ी मुश्किल से होते थे, लेकिन अभी लगभग 15 दिनों तक तेंदूपत्ता की खरीदी की गई और हमारी सरकार ने मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में एलॉन किया है कि हम तेंदूपत्ता का पत्ता-पत्ता खरीदेंगे।(मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत बीमा भी कराया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चरण पादुका वितरण योजना आपके कार्यकाल में प्रारंभ हुई, जो कि बहुत ही संवेदनशील योजना थी। आपने बहुत ही संवेदनशील विषय को टच किया था कि आदिवासी भाई-बहन जो बस्तर में तेंदूपत्ता तोड़ने जाते हैं, उनके पैरों में कॉटा चुभता है। इस बात की सोच और परिकल्पना करना और उसके आधार पर योजना का निर्माण करना एक संवेदनशील सरकार के द्वारा ही संभव हो सकता था और यह चरण पादुका योजना आपके समय में प्रारंभ हुई। इसी तरह से मैं पीडीएस की योजना के लिए बोलना चाहूंगा कि पीडीएस योजना के लिए लोग कई बार बोल देते थे कि चॉवल फ्री में मिल रहा है, उसके कारण ये हो रहा है, वो हो रहा है और कई तरह की बातें थी। कोई बोल देता है कि इसके कारण शराब पीने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, कोई बोल देता है कि इसके कारण कम काम करने की प्रवृत्ति पैदा हो रही है। इस तरह के आरोप लगते थे लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ को संवेदनशीलता से जो जानता है, वह इस बात को समझता है और वह पीडीएस योजना के संबंध में इस तरह का अनर्गल बयान कभी भी नहीं दे सकता। यह छत्तीसगढ़ का सबसे संवेदनशील बिन्दु था कि जहॉ पर लोग भूख से मर जाएं, वहां किसी राजा को राज करने का नैतिक रूप से अधिकार ही नहीं रहता। अध्यक्ष महोदय, उस बात को आपकी संवेदनशील सरकार ने समथा था और पी.डी.एस. व्यवस्था चालू की थी (मेजों की थपथपाहट)। पी.डी.एस. व्यवस्था न केवल चावल की दृष्टि से भूख से लड़ने के लिए उपयोगी था, बल्कि आपकी सरकार ने नमक जैसे संवेदनशील बिंदु को भी समझा। बस्तर के जो बहुमूल्य वनोपज, जैसे चार, चिरौंजी और लाख होते हैं, उसको लेकर हमारे आदिवासी भाई-बहन हाट बाजार में जाते थे और बोरा-बोरा चिरौंजी को चंद किलो नमक के बदले देकर आना पड़ता था। यह आिदवासी भाई-बहनों के लिये शोषण का सबसे बड़ा प्रतीक था। उस नमक को नि:शुल्क देकर आपकी नेतृत्व वाली सरकार ने इस संवेदनशीलता का परिचय देते हुए शोषण के इस बड़े बिंदु को समाप्त किया था (मेजों की थपथपाहट)। मैं इस बात से अवगत कराना चाहूंगा कि इसी बिंदु को समझते हुए हमारी सरकार ने चरण पादुका योजना फिर से प्रारंभ की है। अध्यक्ष महोदय, मोदी की गांरटी के बड़े-बड़े वायदों को पूरा करने में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अभी कई लोगों के मन में रहता है कि पूंजीगत व्यय कैसे होगा, सड़कें कैसे बनेंगी, पुल कैसे बनेंगे, अस्पताल कैसे बनेंगे ? इस तरह का भाव और इस तरह का विचार कई बार प्रश्नों के रूप में सामने आते हैं। हमारी सरकार को आये मात्र 1 साल का समय हुआ है। हमने मोदी की गारंटी के बड़े-बड़े वायदों को पूरा किया है। धान खरीदी को 15 क्विंटल की जगह 21 क्विंटल करना, उसका 3100 की दर से भुगतान करना, 2 साल का बोनस देना, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये पैसे देना और महतारी वंदन योजना के लिये पैसे देना। यदि हम इन्हीं चार बिंदुओं को मिला ले तो राज्य की वित्तीय स्थिति पर 30 हजार करोड़ रूपये से अधिक का भार पहले ही साल में आया है। पहले की जो सारी responsibilities थी, उसके अलावा हमारे बजट में 30 हजार करोड़ रूपये का अतिरिक्त भार आया है। उसके बावजूद भी मैं आपके माध्यम से आज इस सदन

को स्पष्ट करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में पूंजीगत व्यय में आने वाले समय में बहुत जबर्दस्त उछाल देखने को मिलेगा, जिसका मैं आज यहां सदन में खुला ऐलान करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जो एस.सी.ए. (स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस) होता है, वह भारत सरकार की आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में राज्यों में पूंजीगत व्यय बढ़े, इसके लिये एक विशेष योजना है। जिसमें 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण मिलता है। जिसे लगभग ग्रांट माना जाता है और भारत सरकार इसे पुरस्कार स्वरूप प्रदान करती है। भारत सरकार जो रिफॉर्म्स तय करती है, उन रिफॉर्म्स को करने पर एस.सी.ए. का स्पेशल पैसा विभिन्न राज्यों को पुरस्कार स्वरूप में मिलता है। पूंजीगत व्यय की दृष्टि से मैं सदन के समक्ष अपनी बात रखना चाहूंगा कि 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में 10 प्रतिशत का पूंजीगत व्यय बढ़ाना था। जो स्टेट इसे बढ़ा पाये, उनको स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस के तहत भारत सरकार से पुरस्कार मिला है। अभी जो रनिंग वित्तीय वर्ष 2024-25 है, उसके पहले छमाही में वर्ष 2023-24 के पहले छमाही की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिये भी भारत सरकार की ओर से स्पेशल पैकेज देने का ऐलान किया गया था। हम इन दोनों मापदण्डों में सफल हो पाये हैं और देश के 15 से अधिक राज्य इसमें सफल नहीं हो पाये। मोदी की गारंटी के तमाम तरह के बिंदुओं को पूरा करने के बाद भी इस पूंजीगत व्यय के पैमाने पर राज्य को सफलता मिली है। हमें पहले ही साल, जिसमें मोदी की गारंटी के तहत माताओं, बहनों और किसानों का बहुत सारा वित्तीय प्रेशर था। उसके बावजूद भी हमारी सरकार इन दोनों एचिवमेंट को पूरा कर पायी है। अध्यक्ष महोदय, इसमें रिफॉर्म्स के अनेक बिंदु हैं, जैसे शासकीय वाहनों को राइट ऑफ करना, जो पुराने और कंडम हो गये हैं, उनको राइट ऑफ करना, भूमि सुधार करना, जियो टैगिंग को सुनिश्चित करना, अर्बन प्लानिंग की दिशा में काम करना, डिजिटाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ावा देना, पंजीयन के क्षेत्र में सुधार करना, ऑटो म्यूटेशन, आज ही उसका एक्ट आ रहा है, स्वत: नामांतरण का रिफॉर्म सुनिश्चित करना, रजिस्ट्री के प्रोसेस में सुधार करना। उसमें इस तरह के रिफॉर्म्स हैं। इन रिफॉर्म्स को हमने एक साल के भीतर सफलतापूर्वक पूरा किया है। रिफॉर्म बेस्ड डेव्हलपमेंट करने के लिये हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में मजबूती के साथ काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस सदन को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि रिफॉर्म्स के आधार पर भारत सरकार से 3624 करोड़ रूपये पुरस्कार स्वरूप स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस हमारे छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है । (मेजों की थपथपाहट) इस तरह के बड़े रिफार्म्स् को हमने अंजाम दिया है। जिसके माध्यम से पूंजीगत व्यय को भी बढ़ाने में हम सफलता प्राप्त कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से इस वर्ष बड़े चैलेंज थे, लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि आने वाले वर्ष हम पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, पूंजीगत व्यय के लिए समर्पित होकर, काम करने की नीयत से आगे बढ़ रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ का 25 वां वर्ष हमारा शुरू हो चुका है। हमारे छत्तीसगढ़ का यह वर्ष रजत जयंती का वर्ष है।

हमारा छत्तीसगढ़ 25 साल का युवा बन चुका है । इस 25 वें साल को हमारी सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि जिनको आलोचना के लिए ओलोचना करना है तो मेरे पास उनके लिए कोई जवाब नहीं है, लेकिन जिनको इस सरकार पर भरोसा है उन लोगों को पूंजीगत व्यय के लिए सड़क, पुल, पुलिया, मेडिकल कॉलेज और रेल लाईन के लिए 1 प्रतिशत समस्या नहीं है। उनको 1 प्रतिशत चिंता करने की जरूरत नहीं है। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे थे कि हमें कामों की स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। उनको इस सरकार पर पूरा भरोसा है। उनको बातचीत में समझ में आता है, उनको भरोसा है मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उनके क्षेत्र में पूंजीगत व्यय में कोई कमी नहीं आएगी। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को...।

अध्यक्ष महोदय :- अकेले इन्हीं को भरोसा है या सभी को भरोसा है ? सभी अपने क्षेत्रों के लिए पैसा चाहेंगे।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय सबको भरोसा है।

श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी जी हम भी इधर हैं। हमारा भी ध्यान रखिएगा।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन एक सालों के लिए जो हम बड़े-बड़े प्रोजेक्टस् चालू करने जा रहे हैं उसका कुछ ब्यौरा दूंगा। जब मूल बजट आएगा तो हम लोग और बहुत चीजों को रखेंगे, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन किया गया। आदरणीय केन्द्रीय मंत्री जी हमारे बीच आयें और उन्होंने जिन कामों की स्वीकृति की, मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा। धमतरी से जगदलपुर एन.एच. 30 लम्बाई 228 किलोमीटर लागत 5 हजार 600 करोड़ रूपये, (मेजों की थपथपाहट) यह फोर लेन है। रायपुर, बलौदाबाजार, सारंगढ़ लम्बाई 186 किलोमीटर लागत 4 हजार 500 करोड़ रूपये (मेजों की थपथपाहट) कटघोरा-अंबिकापुर एन.एच. 130 लम्बाई 143 किलोमीटर लागत 3 हजार 500 करोड़ रूपये (मेजों की थपथपाहट) बिलासपुर-अकलतरा-रायगढ़-उड़ीसा बॉर्डर लम्बाई 130 किलोमीटर लागत 3 हजार 900 करोड़ रूपये (मेजों की थपथपाहट), पांडुका से झरियाबहार लम्बाई 50 किलोमीटर लागत 750 करोड़ रूपये, (मेजों की थपथपाहट) झरियाबहार से मंदागमुड़ा लम्बाई 77 किलोमीटर लागत 650 करोड़ रूपये (मेजों की थपथपाहट) रायपुर में तीन फ्लाई ओव्हर सरोना चौक, उद्योग भवन चौक, तेली बांधा चौक 600 करोड़ रूपये, रायपुर में धनेली जंक्शन पर फ्लाई ओव्हर लागत 400 करोड़ रूपये, वन टाईम इम्प्रूवमेंट के लिए 100 करोड़ रूपये और सी.आर.आई.एफ. के अंतर्गत 892 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है। (मेजों की थपथपाहट)डबल इंजन की सरकार से क्या फायदा होता है। सदन में इस पर कई सारे बिन्दु आये हैं। इस डबल इंजन की सरकार का यह फायदा होता है कि आज केन्द्र की सहायता से लगभग 30 हजार करोड़ रूपये के सड़कों

के काम आगे बढ़ रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक नया चैप्टर, एक नई ऊंचाई का चैप्टर है। हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो बुनियाद डाली है, वह आने वाले वर्षों में प्रभाव दिखायेंगे। मैं इस संदर्भ में एक दो बिन्दुओं का और जिक्र करना चाहूंगा। यहां पर 4 मेडिकल कॉलेज मनेन्द्रगढ़, जांजगीर-चांपा, व्यास भईया तें बहुत नाराज होवत रहिथस। जांजगीर-चांपा, कवर्धा, दंतेवाड़ा इन 4 जगहों में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए 1280 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसमें स्टेट बजट का मेजर पोरशन(हिस्सा) है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेकाहारा, हमारे छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण मेडिकल कॉलेज है। जब हम लोग 12 वीं पास हुए थे तो पूरे छत्तीसगढ़ में एक ही मेडिकल कॉलेज था और उसमें एम.बी.बी.एस. की 100 ही सीट थी। उस समय को भी इस छत्तीसगढ़ ने देखा है। हमने उस मेडिकल कॉलेज में इम्प्रूवमेंट के लिए 232 करोड़ रूपये की स्वीकृति, स्टेट बजट से दिया है। (मेजों की थपथपाहट) बिलासपुर सिम्स में बरसों से हमारा सिम्स बड़े महत्वपूर्ण कामों की बाट जोह रहा था, अटल श्रीवास्तव जी आप विशेष ध्यान देंगे, बिलासपुर के सिम्स के लिये हमारी सरकार ने 700 करोड़ रुपये की स्वीकृति इसी साल में इसी बजट में दिया है। (मेजों की थपथपाहट) हमारी सरकार अंबिकापुर में सुपर स्पेशलिटी काम आगे बढ़ा रही है। अंबिकापुर में आदरणीय टी.एस.सिंहदेव जी वहां का प्रतिनिधित्व करते थे, स्वयं स्वास्थ्य मंत्री थे और मेडिकल कॉलेज के काम को आगे बढ़ाने के लिए उनकी खुद की सरकार में 109 करोड़ रुपये की स्वीकृति नहीं मिल पाई थी। उसको पहले ही साल अधूरे मेडिकल कॉलेज को पूरा करने के लिए 109 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। (मेजों की थपथपाहट) अभी आवास का बहुत जिक्र आ रहा था। हमारे विपक्ष के साथी बहुत सारे सवाल कर रहे थे। जब स्वयं टी.एस. सिंहदेव जी ने यह बात स्वीकार किया कि हमारी सरकार के कारण आवास नहीं बन पा रहे हैं, उन्होंने स्वयं पत्र लिखते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। (शेम-शेम की आवाज) छत्तीसगढ़ की राजनीति ने वह दिन भी देखा है। आज जो सवाल होते हैं वह बहुत दुर्भाग्यजनक हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- और यहीं से उठकर चले गये थे कि मैं जा रहा हूं। इन्हीं के लोगों ने ऊपर हत्या का आरोप भी लगा दिये थे। श्री टी.एस.सिंहदेव मेरी हत्या की साजिश किये हैं, ऐसा उनका आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से उप-मुख्यमंत्री जी की तरफ था। वह व्यथित होकर चले गये थे। हम लोग उनके लिए मान-मनौव्वल किये कि आप आ जाईये, ऐसे लोग तो बोलते रहते हैं, वह निपट भी गये।

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अनुपूरक बजट आया है, उसमें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, अनुपूरक बजट सर्वप्रथम तो जो contingencies होती हैं उसे मीट ऑउट करने का माध्यम होता है। कोई नया बजट नहीं होता है। इसलिए हमारी कोशिश है कि वित्तीय अनुशासन और रिफार्म्स के एजेंडा के तहत जितना छोटा अनुपूरक बजट में हम काम चला सकें, उतना छोटा अनुपूरक बजट लाने की हम कोशिश करेंगे। उस दृष्टिकोण से 806 करोड़ रुपये का ही अनुपूरक बजट लाया गया

है। इसलिए इस दृष्टिकोण से कोशिश की गई है। इसमें पूंजीगत व्यय 508 करोड़ रुपये है, राजस्व व्यय 298 करोड़ रुपये है। इसमें लखपति दीदी बनाने के लिए, द्रोण दीदी बनाने के लिए एन.आर.एल.एम. के तहत मोदी जी से जो केन्द्रीय सहायता मिली है, उसमें जो स्टेट का ग्रान्ट देना है, उसके तहत 250 करोड़ रुपये का इस अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है। शहरी क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से लगातार हम काम कर रहे हैं। नया रायपुर केपिटल सिटी को देश के सर्वश्रेष्ठ केपिटल सिटी के रूप में स्थापित करने का हमारे 5 साल का आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ध्येय है। नेशनल केपिटल रीजन की तर्ज पर स्टेट केपिटल रीजन बनाकर आरंग, अभनपुर, नवा रायपुर, रायपुर, बिरगांव, कुम्हारी, चरौंदा, भिलाई-3, पावर हाउस, भिलाईनगर, दुर्ग, राजनांदगांव, इन सब अंचलों को जोड़कर स्टेट केपिटल रीजन बनाकर एक ग्रोथ सेंटर के रूप में स्थापित करने की हमारी मंशा के तहत हम काम कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्रकार :- मैं आपसे यह मांग कर लेता हूं, आपका ही विभाग है। जो स्टेट केपिटल रीजन बना रहे हैं उसको धमतरी तक विस्तारित कीजिए। उसका कारण है कि यहां से लगा हुआ जो सबसे बड़ा शहर है, अब वह फोरलेन होने के बाद एक घंटे की दूरी में है और अनियोजित है। उस दिन आप अवैध कॉलोनी का उत्तर दे रहे थे। सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनी यदि कहीं होगी तो धमतरी में है।

श्री रामकुमार यादव :- चन्द्राकर जी के दशा के मोर रोना आवत हे।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय वित्त मंत्री जी कितना समय लेंगे?

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 मिनट।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अब समाप्त करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- धमतरी की घोषणा कर दीजिए।

श्री ओ.पी.चौधरी :- सर, निश्चित रूप से सकारात्मक प्रयास करेंगे, आपसे चर्चा कर लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 200 करोड़ रुपये का अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजनान्तर्गत 100 करोड़ रुपये का इस अनुपूरक बजट में प्रावधान किया है। चित्रोत्तपला फिल्मसिटी और ट्राइवल कन्वेंशन सेंटर की दृष्टि से इस बजट में प्रावधान किया गया है जो भारत सरकार की सहायता से बनेगा। हमने केवल स्टेट का मैंचिंग ग्रांट सेंक्शन किया है। यह भी हमने इस अनुपूरक बजट में किया है। मोदी जी ने उड़ान योजना के अंतर्गत कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज तक मुझे पहुंचाना है। उस मिशन के तहत उड़ान योजना अंतर्गत जो viability gap funding के तहत 25 करोड़ रुपये का प्रावधान इस अनुपूरक बजट में किया गया है। हस्तशिल्प उत्पादों को पूरे छत्तीसगढ़ में, मोदी जी कहते हैं कि one district, one product, उसके तहत 200 करोड़ रुपये की लागत से जो यूनिटी माल बनाना है, उसमें जो स्टेट का शेयर देना है, यह केन्द्र की सहायता से बना रहा है, इसमें स्टेट का जो शेयर देना है, उसके लिए 19 करोड़ रुपये का प्रावधान इस अनुपूरक बजट में किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नक्सलवाद से हम केवल गोली से ही नहीं लड़ रहे हैं, भरोसे को भी जीतने की हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है । शिक्षा के अनेक आयामों को बस्तर ने स्पर्श किया है । Education City दंतेवाड़ा, लाईवलीहुड College दंतेवाड़ा, प्रयास विद्यालय जगदलपुर, छू-लो आसमान, कोटा केबिन, दिशारी, नन्हे परिंदे जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को बस्तर ने Innovation के रूप में पूरे देश को दिया है । आज हमारी सरकार नियद नेल्लानार योजना संचालित कर रही है और आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में भरोसे को जीतने के लिए भी हम हिड़मा के गांव तक भी हमारे गृह मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं । (मेजों की थपथपाहट) कैम्पों में जाकर रुक रहे हैं इस तरह की लड़ाई हमारी सरकार माओवाद के खिलाफ भी लड़ रही है, उसमें नियद नेल्लानार योजना के लिए और बस्तर ओलंपिक के आयोजन के लिए भी इस Budget में प्रावधान किए गए हैं । धरतीआवा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान और प्रधानमंत्री जन-मन योजना इसके लिए भी इस Budget में प्रावधान किया गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारी चीज़ें हमने अच्छी तरीके से लागू किया है और Single window clearance system के लिए हमारी नई औद्योगिक नीति जो अभी आई है, यह वन of the best औद्योगिक नीति है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय राघवेंद्र जी ने प्रश्न किया था कि कुछ वर्ग विशेष के लिए सब्सिडी कम हो गई है तो उसमें केवल percentage कम हुआ है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि small scale industry के लिए जो सब्सिडी वर्ष 2019 से 2024 के बीच में थी, वह 45 percent थी । उसे अभी 45 percent से, 30 percent से 40 percent घटा हुआ ज़रूर दिखता है लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि उसमें maximum जो amount था उसमें 60 लाख का cap था, अधिकतम 60 लाख तक भुगतान हो सकता था । 45 percent था ज़रूर लेकिन 60 लाख तक अधिकतम भुगतान हो सकता था । इस बार 30 से 40 percent किया गया है लेकिन अधिकतम cap को ढाई करोड़ बढ़ाकर कर दिया गया है तो उससे निश्चित रूप से industry को लाभ ही होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये । ठीक है ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से जहां भी कम दिख रहा था उसमें maximum cap ज़्यादा बढ़ा है इसलिए उद्योगों को कोई नुकसान नहीं होगा और इस नई औद्योगिक नीति को निवेश आधारित न बनाकर रोज़गार आधारित बनाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है और सारे incentive जितने ज़्यादा रोज़गार create किए जाएंगे उस पर आधारित हैं और हमारे युवाओं को job seekers से job creator बनाने के उद्देश्य पर आधारित है । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार पारदर्शिता के लिए Investment की दिशा में भी काम कर रही है, हमारी सरकार ने इस दिशा में बहुत सारे अंजाम दिये हैं । अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा है, उन्होंने बहुत सारे बिंदुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है । उन्होंने सबका साथ, सबका विकास की बात कही थी उसे हम

निश्चित रूप से पूरा करेंगे । उन्होंने कहा था कि वर्ष 2047 पर ध्यान है, इसके बीच पर ध्यान नहीं है । अमृत काल छत्तीसगढ़ vision at the rate 2047 विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए एक Vision document, Boston consultancy group के साथ मिलकर भारत सरकार के नीति आयोग के साथ मिलकर हमने तैयार किया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम उसको जल्द ही launch करेंगे, उसी दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं । उसमें long term target भी set हैं और mid term target भी set हैं और प्रत्येक Budget में उसी दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए बिंदुओं की बात कर रहे थे उसमें Budget प्रावधान भी है, उसमें हम सेंक्शन भी देते जा रहे हैं और कोई भी proposal, एक भी proposal वित्त में उसका नहीं रुकेगा, यह मैं नेता प्रतिपक्ष जी को पूर्णत: आश्वस्त करता हूं, जांजगीर-कोरबा इस अंचल के औद्योगिक विकास की दृष्टि से, माननीय अध्यक्ष महोदय, वॉय-फाई ग्राम पंचायतों पर आज सवाल आया, यह सवाल सुनकर ही बहुत अच्छा लगा कि सरकार से इतनी अपेक्षा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को भी है कि ग्राम पंचायतों में वॉय-फाई इस सरकार में ज़रूर लगेगा, इतना विश्वास उनको है इसे भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे । अध्यक्ष महोदय, प्रदूषण की दृष्टि से जो ई.एस.पी. होता है, Prospirateor जो होता है उसके Online monitoring के लिए उन्होंने अभी एक सवाल उठाया था जो बहुत महत्वपूर्ण है । मैं उनको बताना चाहूंगा कि प्रदेश के 32 बड़े उद्योगों में यह आज की तारीख में संचालित हैं जिसमें तुरंत Online monitoring हो जाती है और तुरंत alert आ जाता है और वह जरा सा भी नहीं रुकेगा, तुरंत हमको पता चल जाएगा और डेढ़ सौ करीब unit के लिए अभी टेंडर हो चुका है और उसे हम 5-6 महीने के अंदर किसी भी हालत में पूरा कर लेंगे । ई.एस.पी. करोड़ों का लगता है, यह 50 हज़ार-एक लाख रुपए का होता है जिसमें तुरंत मॉनिटरिंग हो सकती है । जब तक ऑनलाइन मॉनीटरिंग ना हो, करोड़ों का ये ई.एस.पी. लगाने से कोई फायदा नहीं है, इसे हम पूरा करने लिए प्रतिबद्ध हैं। इसे हम सभी उद्योगों पर जो रेड जोन वाले जो हाई पोल्यूटिंग इंडस्ट्री हैं, उस पर हम करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर योजना के लिए आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने सवाल उठाया था, मैं सदन में स्पष्ट करना चाहूंगा, इसका भी भुगतान हमारी सरकार बहुत जल्द करेगी। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय राघवेंद्र जी ने दो बिन्दुओं पर बहुत विस्तार से बिंदु उठाये थे। बेलटुकरी से खैजा रोड के लिए 750 मीटर की सड़क है। उसे इसी अनुपूरक में शामिल कर या सी.एफ. अडवांस में शामिल कर हम स्वीकृति देंगे। अध्यक्ष महोदय, अकलतरा से बुडगहन के बीच दो पुलिया की भी उन्होंने बात कही थी। उसे भी तत्काल स्वीकृति प्रदान करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जो राम कुमार यादव जी ने डबरा नहरपार से गिरगिरा की वित्तीय स्वीकृति की बात कही है, उसे भी हफ्ता दिन के अंदर ही प्रस्ताव आते ही हम स्वीकृति प्रदान कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय दीदी अम्बिका मरकाम जी ने जिस कुरूद, मेधा, मगरलोड पुल की बात कही थी, वह

पुल 18 नवंबर, 2024 को पहले ही स्वीकृत कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह तो सब आप स्वीकृति दे चुके हो, वह उनकी constituency में भी नहीं है, उन्होंने बेचारी क्रेडिट लेने के लिए यहां भाषण दिया, ताकि कांग्रेस को क्रेडिट मिल जाए। आप उसे पहले से स्वीकृत कर दिए हैं, उसके लिए धन्यवाद। उनको मालूम था कि आप स्वीकृत कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत कर दिया है। वे तो जबरदस्ती क्रेडिट के लिए भाषण दी। यह कांग्रेस का स्टाइल है।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं तो बमबम घाट तखतपुर में एक पुल है और वह बजट में है, उसको मनियारी नदी पर वित्तीय स्वीकृति देने की घोषणा कर दीजिए ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- आपको सदन में उठाने का क्या जरूरत है? (हंसी) बमबम घाट पर जो आदरणीय धर्मजीत जी बोल रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उसकी भी स्वीकृति दी जाएगी, यह भी मैं बोलता हूं और इसके अलावा अध्यक्ष महोदय..।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, एक निवेदन मेरा है कि जब आप मूल बजट प्रस्तुत किये थे, मैंने थर्ड जेंडर के लिए अलग ये योजना की मांग की थी और आपने सदन में घोषणा किया थे कि उनके लिए नीति बनाएंगे, लेकिन अभी तक नीति नहीं आयी है। मैं चाहता हूं कि उनके लिए जल्द ही नीति बने।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, बाकी विषयों पर हम सदन से सदस्यों से चर्चा कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कल हम लोगों ने संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती मनायी है और बाबा गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली गिरौदपुरी है और उनकी कर्मस्थली भंडारपुरी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भंडारपुरी गए थे और उन्होंने कहा है कि उनकी कर्मस्थली पर मोती महल का निर्माण किया जायेगा। (मेजों की थपथपाहट) आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गिरौदपुरी में कुतुब मीनार से ऊंचा जैतखंभ आपके शासनकाल में बना था और भंडारपुरी पर मोती महल करीब 20 करोड़ रूपये की लागत से अगले बजट में हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के अनुरूप आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मोती महल के लिए मुख्य बजट में प्रस्ताव लेकर आएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह इस सदन को बताना चाहता हूं। आप लोगों ने मेरे इतने लम्बे वक्तव्य को ध्यान से सुना। इसके लिए मैं सभी पक्ष के सदस्यों को और विपक्ष सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गिरौदपुरी के लिए बजट में प्रावधान है और उसमें राशि कितना दिया जाए, चाहे रोप वे, वहां के सर्वांगीण विकास के लिए हो, यह बताएं।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भईया अजय चंद्राकर जी बोल रहे थे कि क्रेडिट लेने के लिए। क्रेडिट वाली बात नहीं है। मेरे मगरलोड क्षेत्र से उस पुल से आपके कुरूद में आना-जाना होता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बहन जी, उसकी प्रशासकीय स्वीकृति पूरी दुनिया को मालूम है।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- मैंने क्या मांग किया था कि वहां पर रपटा बनाया जाए।

श्री अजय चन्द्राकर :- कोई नयी मांग कर, बोल जल्दी एप्रोच रोड बनवा दे।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- एप्रोच रोड के लिए भी माननीय मंत्री जी को बोली हूं। पूछ लीजिए। माननीय मंत्री जी, एप्रोच रोड भी बनाना चाहिए और मेरे दो रोड की भी घोषणा कर दीजिए।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गरियाबंद जिला के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत, आपके शासनकाल के अंतर्गत देवभोग से लगा हुआ बेलात नाला। उस नदी के उस पार लगभग 40 से 50 हजार लोग निवास करते हैं। लगातार इस पुल की मांग करते-करते कई साल हो गए, लेकिन वित्तीय स्वीकृति के कारण से नहीं हो पा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि अगर वह स्वीकृति मिल जाए तो उस क्षेत्र के लोगों को निजात मिल जाएगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए।

समय
2.00 बजे

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि हमारा पिछला पैसा जो आ चुका था, वह रिटर्न हो चुका है । वित्त विभाग से पास नहीं हो रहा है । जिसके कारण बहुत सी सड़कें बची हुई हैं । मैं निवेदन करती हूं कि उसको भी दे दीजिए ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं एक मिनट में अपनी बात रखूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- जवाब खत्म हो गया ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- एक सेकेंड ।

अध्यक्ष महोदय :- जवाब हो गया है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- एक सेकेंड ।

अध्यक्ष महोदय :- आपने पहले क्यों नहीं कहा भाई ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- बहुत महत्वपूर्ण है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

प्रश्न यह है कि - दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 41, 44, 53, 55, 56, 64, 65, 67, 68, 71, 80, 81, 82 एवं 83 के लिए राज्य की संचित

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर आठ सौ पांच करोड़, इकहत्तर लाख, चौहत्तर हजार, दो सौ छियासी रूपए की अनुपूरक राशि दी जाये ।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

समय

02.02 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2024

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2024 (क्रमांक 14, सन् 2024) का पुर:स्थापन करता हूं ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मैं छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2024 (क्रमांक 14, सन् 2024) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2024 (क्रमांक 14, सन् 2024) पर विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा ।

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2024 (क्रमांक 14, सन् 2024) पारित किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2024 (क्रमांक 14, सन् 2024) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(2) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 9, सन् 2024) पर विचार किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री केदार कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश के राज्य विधान मंडल द्वारा बनाए गए छत्तीसगढ़ सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम 1972 (क्रमांक 7, सन् 1073) को और संशोधन करने हेतु विधेयक 2024 को अधिनियम में शामिल किए जाने हेतु सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । अत: मेरा आग्रह है कि छत्तीसगढ़ वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक 2024 में अनुसूची के सरल क्रमांक 5 के धारा 4-ग (2) में अतिरिक्त दैनिक वेतन भत्ता की राशि रूपए 1000 रूपए प्रतिदिन के स्थान पर राशि 2000 रूपए प्रतिदिन स्थापित किया जाए । अत: अनुरोध है कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- किसी को कुछ बोलना है।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- जी। अध्यक्ष महोदय, ये भत्ते से संबंधित तो जरूर है लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दिवंगत विधायक, विधायिका के पति, पत्नी नॉमिनी को अभी केवल उनकी मृत्यु के पश्चात् 10 वर्षों तक पेंशन दिये जाने का प्रावधान है। शासकीय कर्मचारियों के परिवारजनों को परिवार पेंशन नियम 47 के अनुसार जीवनपर्यंत पेंशन देने का प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें आजन्म उनके परिवार को सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों की भांति दिवंगत विधायक, विधायिका के पति, पत्नी नॉमिनी को भी जीवनपर्यंत पेंशन दिये जाने का प्रावधान कराने की कृपा करें, ताकि वह नियमों में आ जाए और हमारे विधायकों के परिवार में किसी की मृत्यु के बाद नॉमिनी को सिर्फ दस साल नहीं बल्कि उसके जीवंत रहते तक पेंशन दिये जाने का प्रावधान हो। जो 10 लाख का वार्षिक यात्रा भत्ता है, उसमें एक के साथ एक जाने का प्रावधान है, उसमें 10 लाख के अतर्गत ही उनके बाल बच्चों को भी वन प्लस थ्री का प्रावधान करने के लिए आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह है। इसे आप कैसे भी करके इसमें जुड़वाईए और 10 साल के प्रतिबंध को खत्म करके आजन्म करवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री केदार कश्यप जी, आपको भी कुछ बोलना है।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, उसमें जो आश्रित दिया गया है, उसमें पति, पत्नी का है, आश्रित का 15 वर्ष है, यदि उसको 20 वर्ष कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए मंत्री जी जवाब दीजिए। नॉमिनी और आश्रितों के लिए आपका क्या मत है। आप सहमत हैं ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव लाया है वह अतिरिक्त दैनिक भत्ता का है और इसके लिए माननीय सदस्य ने जो कहा है, उसमें धारा 6(ख) के तहत् किसी सदस्य भूतपूर्व सदस्य के पति, पत्नी यदि कोई हो, वह आजीवन या उसके आश्रित को 15 वर्ष की कलावधि के लिए उस सदस्य की मृत्यु दिनांक तक पेंशन दी जाएगी, यह प्रावधान है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आजीवन तक।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आजीवन कर दीजिए।

श्री केदार कश्यप :- उसका प्रस्ताव आया हुआ है तो उस पर चर्चा करके...।

श्री धर्मजीत सिंह :- देखिए, यह ऐसा प्रस्ताव आता भी नहीं है, इसमें बार-बार चर्चा होती भी नहीं है, कोई परंपरा भी नहीं है। पहली बार बोल रहे हैं तो सर्व सम्मति से जोड़कर कर दीजिए ना। यह सबके लिए तो है। यहां सब लोग बैठे हैं। आजन्म करवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उनके नॉमिनी का और परिवारजनों का जोड़ दिया जाए।

श्री केदार कश्यप :- जी।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं, यह महत्वपूर्ण विषय है।

श्री धरमलाल कौशिक :- उसमें 15 वर्ष दे रहे हो, उसको आजीवन कर देंगे। वैसे बहुत सारे मामले आते हैं, फिर बाद में दिक्कत होती है। उसमें चर्चा आई है तो उसको आजीवन करा दीजिए। इसमें सभी को लाभ मिलना है।

श्री प्रबोध मिंज :- वन प्लस थ्री वाला भी कर दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, विधायक पेंशन भत्ता वाले में अमूमन हम लोग चर्चा करते नहीं हैं, ऐसा बिल पांच साल में एकाध बार आ जाता है। संयोग से अभी शुरूआत में आ गया है। मंत्री महोदय जी तो अनुभवी मंत्री हैं, उसको बोल दें कि हम इसको अगले सत्र में कर देंगे।

श्री केदार कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, कुटुम्ब पेंशन का जो प्रस्ताव है, उसकी अलग से प्रक्रिया चल रही है। आपका जो विषय आया है, उस पर हम विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, बजट सत्र में प्रस्तुत कर देंगे, तत्काल नहीं हो सकता। अगले सत्र में प्रस्तुत करिए।

श्री केदार कश्यप :- जी। अध्यक्ष महोदय, विचार करेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 9 सन् 2024 पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 9 सन् 2024) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 9 सन् 2024) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्व सम्मति से पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(3) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 10 सन् 2024)

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 10 सन् 2024) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। अजय चंद्राकर जी।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर भारसाधक मंत्री जी तो उपस्थित नहीं हैं, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप इस विधेयक को पढ़ लीजिए और आप इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कीजिए। हम जो जीरो टॉलरेंस बोलते हैं, वह इस विधेयक में है। इस सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा विधेयक प्रस्तुत करवाया है।

इस विधेयक की जितनी प्रशंसा की जाये, वह कम कम है। मैं दो लाइन में इनके बहस को समाप्त करता हूं। सबसे पहले तो इसमें डिजीटलाइजेशन का उल्लेख है कि कोई भी कागज मंगवाये जा सकते हैं। भू-राजस्व संहिता, सन् 1959 के 3 नंबर में इसको जोड़ा गया है। हम दस्तावेज को मंगवा सकते हैं। यदि यह प्रावधान किया गया तो लोगों के समय की बचत होगी। दूसरा, इसकी धारा-33 में जो संशोधन है कि मूल अधिनियम-33 की उपधारा-4 के पश्चात 5 जोड़ा जाए। 5 जोड़ा जाए में इतनी सी बात है कि हम किसी भी नोटिस, किसी भी दस्तावेज को डिजीटल माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं और लोगों को नोटिस सर्व कर सकते हैं। हमारे क्या प्रकरण हैं, कब पेशी है, कब डेट है या जो भी राजस्व के प्रकरण हों, उसकी जानकारी हमको मोबाइल में मिल जाएगी। आम आदमी से जुड़े हुए इतने बड़े विभाग के डिजीटलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय नेता जी, अब जो महत्वपूर्ण चीज है और जिसको मैंने आपको सर्वसम्मति से पारित करने के लिए कहा है। मुझे लगता है कि इसको पूरा पढ़ देना चाहिए। मूल अधिनियम की धारा-100 में जो संशोधन है, वह यह है कि किसी खाते के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का निर्णयादेश किसी सक्षम न्यायालय में लंबित हो और भूमि रिकॉर्ड अद्यतन हो, उस खाते से संबंधित ग्राम का जियो रिफरेसिंग कार्य पूर्ण कर लिया गया हो तथा ऐसे अधिकार के अर्जन का पंजीकरण कर लिया गया हो, ऐसे खाते, ऐसी रीति से, जिसका राज्य सरकार विहीत करे, स्वत: नामांतरण हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि नामांतरण स्वत: हो जाएगा। कुछ गैर विवादस्पद चीजें हैं तो किसानों को राजस्व विभाग और विष्णु देव साय जी की सरकार इतनी बड़ी सुविधा दे रही है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। इससे बड़ी बात यह है। नेता जी, आप इसको सर्वसम्मति से पारित करने के लिए बोलकर जाइये।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- मैं जा नहीं रहा हूं। मैं आपकी बात सुन रहा हूं कि आप किस तरह से हमपर दबाव बना रहे हैं। पहले हम अपनी बात रख लें, फिर सोचेंगे। (हंसी)

समय :
2.12 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

श्री अजय चंद्राकर :- आपकी टिप्पणी हमारे और आपके अवैध संबंधों को और अधिक पुष्ट करती है। (हंसी) माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस शासन में एक स्टार्टअप था। मतलब, कहीं से सड़क बने। जैसे अभी 4-5 सड़कों का उल्लेख माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में किया। स्टार्टअप यह था कि जहां से सड़क निकल रही है, उसकी जमीन को किसी भी पूंजीपति को दे दीजिए। वह उसको खरीद लेगा और उसका डायवर्सन करवा लेगा और उसका बटांकन करवा लेगा। 1 का माल 4, 4 का माल 40, 40 का माल 400 और 400 का माल 4,000 का हो गया। उसमें लोग घर में बैठे-बैठे लाल हो गये। एक नक्शे का रास्ता लिंक हुआ और लोग लाल हो गये।

श्री उमेश पटेल :- वह लाल रंग तो आज आप में ही दिख रहा है।

श्री अजय चंद्राकर :- वह आप लोगों का स्टार्टअप था। माननीय नेता जी, यह पूरी तरह बंद हो रहा है। जो 165 का संशोधन है, उसमें भूमि अर्जन की जैसी प्रक्रिया होगी। मैं इसी दो पन्ने में बिना देखे बोल रहा हूं। बटांकन नहीं किया जा सकेगा। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं। जैसे भू-अर्जन की प्रक्रिया शुरू होगी, बटांकन नहीं किया जा सकेगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अभी भी है। वर्तमान में ही है, प्रक्रिया शुरू होने के बाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- कहां से है ?

डॉ. चरण दास महंत :- जनाब ए अली, सभापति महोदय जी बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भू-अर्जन की प्रक्रिया जैसे चालू होगी, उसके पहले बटांकन नहीं किया जा सकेगा। भू-अर्जन के पहले, कुछ लोगों को कुछ-कुछ मिल जाता है, नक्शा, खसरा। तो उसमें यह भी व्यवस्था करा दीजिये कि छः महीने पहले से उसका बटांकन नहीं किया जाये या साल भर पहले से नहीं किया जाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी आगे सुनिये न। माननीय मंत्री टंकराम जी ने कितना जोरदार विधेयक लाया है, उसको सुनिये न। मूल अधिनियम की धारा 172 है। "(2-क) के उप धाराओं (1) एवं (2) में संशोधन है। उसमें भी यही है कि भू-अर्जन की प्रक्रिया शुरू होगी, अधिसूचना जारी होगी या खनन के लिए आशय-पत्र जारी होने के बाद भूमि का व्यपवर्तन नहीं किया जा सकेगा। आप डायवर्सन नहीं करवा सकते हैं। उसमें एक दूसरी रोक लगी। संशोधन विधेयक की कण्डिका-7 में भी यही है कि भू-अर्जन हो या खनन के लिए हो, खाता का विभाजन नहीं किया जा सकेगा। मैंने बताया न कि यह आपके समय का स्टार्टअप था। 4 का 40, 40 का 400 और 400 का 4,000 एक-एक शून्य बढ़ता जायेगा।

श्री उमेश पटेल :- सुनिये न।

श्री अजय चन्द्राकर :- भतीजे, क्यों उद्वेलित हो रहे हो ?

श्री उमेश पटेल :- मैं कोई उद्वेलित नहीं हो रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- विधेयक में क्यों उद्वेलित हो रहे हो ?

श्री उमेश पटेल :- आपकी सरकार थी। भू-अर्जन का सबसे बड़ा घोटाला हुआ था, आपको याद है ? जिस पर जांच कमेटी बैठी थी।

श्री सुशांत शुक्ला :- आपकी सरकार में भी भैंसाझार परियोजना, भारतमाला परियोजना, बिलासपुर से लगी 4 सड़क की परियोजना पूर्व मंत्री जी के संरक्षण में हुआ, उसका क्या होगा ? फिर ? भारतमाला तो याद कर लीजिये।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- फिर चर्चा करा लीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- राघवेन्द्र सरकार, यह औद्योगिक कारीडोर क्षेत्र से आते हैं। अब भतीजा शामिल है या नहीं, मैं नहीं बोल सकता। मगर कांग्रेस का यह स्टार्टअप था। माननीय टंकराम वर्मा जी

ने, विष्णुदेव जी की सरकार ने कानून के माध्यम से उसी भ्रष्टाचार पर प्रतिबंध लगाया, किसानों को स्वत: नामान्तरण होगा। किसानों के लिए जो पेशगार हैं, उसके लिए डिजीटलाइजेशन होगा। हम कागज को मंगा भी सकते हैं और नोटिस भी सर्व कर सकते हैं। एक बेहतरीन विधेयक राज्य सरकार ने, विभागीय मंत्री जी ने पेश किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस विधेयक को पेश करने के लिए सदन में उपस्थित हैं। मैं उन्हें बधाई देते हुए और माननीय नेता जी से बार-बार आग्रह करते हुए कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाये, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय सभापति महोदय, अभी अजय चन्द्राकर जी बता रहे थे, वह पहले ही डिक्लेयर कर रहे थे कि इसको सर्वसम्मति से पास करो। अगर कोई विधेयक आया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- भतीजे, इसमें विरोध करने के लायक क्या है ? कुछ नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- आप पहले बात तो सुनो। मैं इसके उद्देश्य पर बात ही नहीं करूंगा। माननीय सभापति महोदय, पहला संशोधन धारा 30 में है, जिसको आप कह रहे थे। धारा 30 में यह है कि कोई भी फाईल कलेक्टर मंगवा सकता है। यह तो अभी भी हो रहा है। सिर्फ जो परिवर्तन है, ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी मान्यता नहीं है। कानून बनने के बाद उसकी मान्यता होगी।

श्री उमेश पटेल :- आप पूरी बात को तो सुनिये। आप सिर्फ डिजीटल माध्यम को बदल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे सहमत हैं। लेकिन आपने कहा है कि धारा 33 में नोटिस भेजने का काम डिजीटल माध्यम से होगा। देखिये, कलेक्टर अपने अधीनस्थ अधिकारी से मंगवा रहा है, वह किस डिजीटल माध्यम से मंगवा रहा है, यह तो सरकार तय करेगी, उसका कोई माध्यम हो सकता है। लेकिन आप नोटिस भेज रहे हैं तो आप बताईये कि वह डिजीटल माध्यम क्या होगा ? क्या वह email होगा ? क्या वह whattsapp ? क्या वह massage होगा ? क्या होगा ? जब व्यक्ति को नोटिस मिलता है तो उसे पावती के माध्यम से यह जानकारी मिलती है कि उसे प्राप्त हुआ। जब आप डिजीटल माध्यम से भेजेंगे तो उसे सूचना प्राप्त हुई, यह कैसे मानेंगे ? क्या नोटिस भेजते ही डिलिवर उसके वाट्स एप में, मैसेज में डिलिवर होते ही उसको प्राप्त माना जायेगा ? यह जो माध्यम है, यह आप हमारे गांव के लोगों की बात कर रहे हैं । यह जी.एस.टी. या बिजनेस घराने से या कोई बड़े लोगों से, ऐसी बात नहीं चल रही है ? हमारे गांव के लोग हैं, जिसमें से कई लोग आज भी डिजिटली जुड़े नहीं है । इस माध्यम से अगर आप नोटिस सर्व करेंगे तो समस्यायें पैदा होंगी और अगर समस्यायें पैदा होंगी । अगर इस माध्यम से नया चीज क्रियेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल बताईयेगा, हम सहमति देंगे । अध्यक्ष महोदय, आपका डिटिल माध्यम, मैसेज और वॉट्स अप तथा ई-मेल है, आप बताईये कि गांव के कितने लोग ई-मेल चेक करते हैं, कितने लोग नोटिस सर्व करेंगे । मान लीजिए कि दो लोगों के माध्यम से किसी को गवाही के लिये बुलाया जाता है तो उस विषय के बारे में पता ही नहीं है, आपने नोटिस सर्व कर दिया ? न्यायालय यह मानकर चलेगा कि नोटिस उसको मिल चुका है, उसको पता ही नहीं है कि उसको नोटिस मिला है

और बाद में न्यायालय यह निर्णय लेता है कि उसको उठाकर लाया जाये, उस परिस्थिति में क्या होगा ? मैं इस माध्यम को जानना चाहता हूँ कि धारा 33 में आप किस माध्यम से नोटिस सर्व कराना चाहते हैं ? अध्यक्ष महोदय, नोटिस सर्व करने में यह गंभीर परिस्थिति पैदा हो सकती है । मैं माननीय मंत्री जी से उनके उत्तर में यह जरूर सुनना चाहूँगा कि धारा 33 में किस माध्यम से नोटिस सर्व कराना चाहती है ? उसमें प्राब्लम बता रहा हूँ, वह आयेगी कि नहीं, उनके हिसाब से दूसरा तरीका सोचे होंगे तो बहुत बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है । अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से धारा 110 में परिवर्तन है, इसे अजय जी बता रहे थे कि अगर कोई खरीदी बिक्री किया तो आटोमैटिकली रिकार्ड यहां जायेगा, रजिस्ट्री आफिस से न्यायालय में वह रिकार्ड जायेगा, न्यायालय में जाने पर अपने आप नामांतरण की प्रक्रिया होगी । यह प्रक्रिया आपने कर दिया, लेकिन यह बताईये कि अगर इसी तरह की प्रक्रिया जो हम लोग फावती नामांतरण करते हैं, जब घर में पिताजी नहीं रहते हैं तो उसके बच्चे के नाम से ट्रांसफर होता है, उसकी पत्नी के नाम से ट्रांसफर होता है, क्या वहां पर भी यह आटोमैटिकली होगा ? यह प्रावधान उसके लिये भी है, वह 109 में आता है । मैं यही चाह रहा हूँ कि वह 109 को भी बदलिये । अध्यक्ष महोदय, आपने सही कहा है कि 110 में आपने चेंज किया, लेकिन 109 में चेंज नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, ज्यादातर लोग इसी से परेशान होते हैं । पटवारी के आगे-पीछे इसीलिए दोड़ना पड़ता है कि फावती नामांतरण नहीं होता है, खरीदी बिक्री तो कम होती है, लेकिन ज्यादा जो परेशानी होती है, वह फावती नामांतरण पर होती है, आपको 109 पर चेंजेस लाना चाहिये था, आप क्या 109 में भी चेंजेस करेंगे, जिससे आम व्यक्ति जो उसके घर में कुछ घटना हो जाती है तो उसके बाद यह फावती नामांतरण आटोमैटिकली हो सके ? खरीदी बिक्री के लिये 110 तो ठीक है, लेकिन 109 में भी हमें यही चाहिये । माननीय अध्यक्ष महोदय, 172, 165 और 178 तीनों एक ही चीज है, विभाजन के लिये है, व्यपवर्तन के लिये है और एक भू-अर्जन प्रक्रिया पर है । अध्यक्ष महोदय, भू-अर्जन की प्रक्रिया जब चालू होती है, मैं यह मान रहा हूँ कि भू-अर्जन की प्रक्रिया जो आप बोल रहे हैं, यह धारा 4 प्रकाशित होने के समय की बात कर रहे हैं, आप किस समय को बोल रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, भू-अर्जन की प्रक्रिया 2014 में आप कब इसको मान रहे हैं ? आपने इसमें लिखा है कि भू-अर्जन की प्रक्रिया हेतु अधिसूचना जारी होने पर, अधिसूचना यानी धारा 4 का प्रकाशन बोल रहे हैं कि अधिसूचना जारी पर बोल रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से इस विषय पर भी जानना चाहूँगा कि धारा 4 प्रकाशित होने पर उससे पहले सारी समस्या चालू हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, हमें जहां भी इस तरह के प्राब्लम्स देखने को मिले हैं, मुझे जो अनुभव हुआ है, जहां भी इस तरह के काम शुरू होते हैं, उसके 6 महीने पहले से, उसके 8 महीने पहले से, जो दलाल टाईप के लोग होते हैं, वह एक्टिव हो जाते हैं, आम लोगों को तो बाद में पता चलता है । उनको साल भर बाद जब धारा-4 प्रकाशित होती है, उनको भू अर्जन अधिकारी से नोटिस आता है, तब उनको समझ में आता है कि हमारी जमीन जा रही है, लेकिन जो दलाल रहते हैं, वे एक साल पहले

या 6 महीने पहले से यह काम शुरू कर देते हैं, खरीदी बिक्री शुरू हो जाती है । अभी तमनार में भू अर्जन की प्रक्रिया हुई, एक-दो साल पहले से वहां लोग रायगढ़ से जाकर जमीन खरीदना शुरू कर दिए, जांजगीर, सक्ति से जाकर जमीन खरीदना शुरू कर दिए, लोग दुर्ग से आकर जमीन खरीदना शुरू कर दिए और वहां का जो आम व्यक्ति है, उस बेचारे को कम राशि में उसका भुगतान हो जाता है । आप इसको सिर्फ उस समय को न करके भू अर्जन की प्रक्रिया शुरू होने के पहले इसको करिए, तभी दलालों का नेटवर्क टूटेगा । अजय जी बोल रहे थे कि इससे एकदम रिफार्म हो जाएगा, पर मैं उनसे सहमत नहीं हूं । मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि इससे कोई भी अंतर आने वाला है । अगर आपको सही में अंतर लाना है तो भू अर्जन की प्रक्रिया के लिए जब उस उद्योग से आवेदन लगता है, तब से आप इस प्रक्रिया को शुरू करिए, उसके प्रकाशन से पहले नहीं । इस संशोधन विधेयक में मेरी ये सारे प्वाइंट हैं । मैं चाहता हूं कि आप इन सबको सम्मिलित करिए, तभी हम इसको सर्वसम्मति से पास करेंगे ।

श्री मोतीलाल साहू (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय सभापति महोदय, भू राजस्व संहिता, 1959 में लाए गए संशोधन प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं । जिस डिजीटल माध्यम के उपयोग का प्रस्ताव इसमें लाया गया है, वर्तमान समय में 21वीं सदी में इस आधुनिक तरीके से उपयोग में लाया जाना और जिस प्रकार से अभी पत्राचार के माध्यम से और सीधे कार्य करने में जो असुविधाएं होती थीं, उसमें समय की भी बचत होगी और समय पर कार्यवाही से संबंधित जो दस्तावेज हैं, वह डिजीटल माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा और इस प्रकार से पहले भी ऐसे बहुत से संशोधन आये हैं । आज पूरी दुनिया में डिजीटल भुगतान के मामले में भारत देश बहुत आगे चल रहा है । अगर यह सोचकर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे कि इसमें विसंगतियां होगी, परेशानियां होंगी कि उसको सूचना कैसे मिलेगी, उसको प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, इन सभी विषयों पर घिरे रहेंगे तो जो संशोधन है, जो आगे बढ़ने की प्रक्रियाएं हैं, जो पारदर्शिता है, जो सुचिता है, जो हम इस राजस्व मामले में लाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि यह जो प्रस्ताव आया है, वह बहुत ही उपयोगी और सुविधाजनक होगी । इसमें जो भ्रष्टाचार होता था, जो शंकाएं हमारे विपक्ष के साथियों ने व्यक्त की है, मैं समझता हूं कि इससे हमें भ्रष्टाचार से भी मुक्ति मिलेगी। यह ऑन लाईन सिस्टम रहेगा, हमें सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी । जो चाहेंगे, उसमें उन सभी को उपलब्ध हो सकता है । सभी लोग इसको अपने हिसाब से उपयोग कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव को पारित किया जाना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं । आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

श्री नीलकंठ टेकाम (केशकाल) :- सभापति महोदय, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और पहले ही बजट में यह बात आई थी कि हम आने वाले दिनों में टेक्निक की तरफ आगे बढ़ेंगे और आधुनिक तकनीकी के उपयोग की आवश्यकता सबसे ज्यादा लोगों के पास जो उपलब्ध सम्पत्ति है, चाहे वह आवासीय मकान हो, चाहे खेती करने की जमीन हो या उनकी कोई बहुमूल्य वस्तु हो, हम

उसका जितना ज्यादा डिजिटाईजेशन करेंगे, उतनी ही ज्यादा हम तेज गति से इस विकासशील छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं । मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय राजस्व मंत्री जी को यह प्रस्ताव लाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी सम्मानित सदस्यों से भी इस बात की अपेक्षा करुंगा कि भू-राजस्व संहिता में जो संशोधन प्रस्ताव आया है, इसकी समय के अनुसार बहुत ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि यदि हम धारा 110 की बात करें, जिसके तहत बिक्री, दान एवं अन्य दूसरे कारणों से यदि जमीन मिलती है, तो उसके कारण उसका अंतरण होता है। लेकिन हमने देखा है कि तारीख पर तारीख मिलने के कारण किसानों के समय की बरबादी होती है। कई बार कोर्ट के पीठासीन अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर के अन्य कामों में चले जाते हैं, तो जो काम केवल एक औपचारिक है, उसके लिए तीन महीने, चार महीने और छः महीने लगते थे और कई बार litigation में चले जाने के कारण से सिविल कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़ते हैं। इस प्रस्ताव से सबसे ज्यादा सुविधा आम जनता को मिलने वाली है। जैसे ही वह अपना स्टाम्प रजिस्ट्रेशन कार्यालय में जमा करवायेगा, तुरंत उसके नाम पर जमीन आ जायेगी और उसके कागज उसे मिल जायेंगे। अभी धारा-109 फौती नामांतरण के संबंध में भी कहा जा रहा था। ये regulation वाली बात है। फौती नामांतरण को तत्काल अपडेट करने की जिम्मेदारी वहॉ के पटवारी की है। पटवारी को हर महीने संबंधित गांव में किसी परिवार में किसी खातेदार के किसी सदस्य का यदि देहांत होता है, तो उसके नाम को काटकर बाकी सदस्यों का नाम चढ़ाकर उसका रिकॉर्ड correction करना रहता है। तो निश्चित तौर पर regulation वाले पार्ट पर भी समीक्षा करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में लोक सेवा गारंटी के तहत भी बहुत सारे प्रावधान बने हुए हैं। इसकी जो सबसे खूबी वाली चीज़ है कि पुराने भूअर्जन अधिनियम में जब धारा-4 का नोटीफिकेशन होता था, तो उसके दो या छः महीने पहले से जमीन का अंतरण बंद हो जाता था। न केवल उसका अंतरण बंद हो जाता था, बल्कि पर्टिकुलर उस क्षेत्र के जमीनों की खरीदी बिक्री बंद हो जाती थी। ये जो संशोधन आया हुआ है, मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि जिस जगह पर भू-अर्जन होने वाला है, वहॉ पर तो अंतरण रोकना ही चाहिए, जमीन को टुकड़ों में बंटने से रोकना ही चाहिए, बल्कि पर्याप्त समय पहले इन चीजों को रोकना चाहिए। और न केवल उसे रोकना चाहिए, बल्कि उसके दो या पांच किलोमीटर के रेडियस में इस तरह के transaction को रुकवाने से सरकार को भू-अर्जन के लिए जो ज्यादा राशि देने की आवश्यकता पड़ जाती है, उसमें विराम लग सकता है और इसका फायदा वास्तविक भूमि स्वामी को ही मिल सकता है। अभी क्या हो रहा है कि पहले से लोगों को पता लग जाता है कि फलाने क्षेत्र में इस तरह का प्रोजेक्ट आने वाला है, तो वे वहॉ जाकर जमीनों की खरीदी-बिक्री चालू कर देते हैं। इसमें एक पेंच और आता है कि नोटरी के सामने जाकर अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के लेन-देन के बारे में लिखा-पढ़ी हो जाती है। इसे भी किसी न किसी प्रकार से नियंत्रित करने की जरुरत है। इस सभागार में हमारे बहुत सारे वकालत पेशे से जुड़े हुए विधायकगण मौजूद हैं,

वह सब इन बातों को जानते हैं। एक बार नोटरी के सामने किसी चीज़ की लिखा-पढ़ी हो जाती है, तो फिर वह बंधनकारी है। आप देखेंगे कि शहरों और महानगरों के आसपास इसी तरीके से लोग पांच से दस साल तक अपनी प्रापर्टी को नोटरी के माध्यम से लिखा-पढ़ी करके चलाते रहते हैं। इस पर भी नियंत्रण करने की आवश्यकता है। क्योंकि इसकी जो मंशा है, वह भू राजस्व संहिता में संशोधन करके वास्तव में जो भूमि स्वामी है, इससे उसको फायदा हो और बिचौलियों को इस खेल से बाहर किया जाये। सरकार का जो अपव्यय होने वाला है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसमें कैसे तेजी आ सकती है। इसमें नामांतरण को लेकर, डायवर्सन को लेकर और अंतरण को लेकर, जो तीनों ही प्रावधान किये गये हैं, यह हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिये और यहां की जनता के लिये कल्याणकारी है। डिजिटल माध्यम से जो व्यवस्था बनाई जा रही है, उसके लिये मैं तो यह कहता हूं कि राजस्व न्यायालय में कई जगहों पर ऑनलाईन पेशी चालू करने का भी सिस्टम चालू हो सकता है। कई जगहों के ग्राम पंचायतों में यह सिस्टम आ गया है कि वहां पर भी पक्षकार उपस्थित होकर अपनी पेशी के बारे में अपनी बातें रख सकते हैं। हमें आने वाले दिनों में उस विषय में भी सोचने की आवश्यकता है। मैं इस संशोधन के पक्ष में अपना समर्थन देता हूं और मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती भावना बोहरा (पंडरिया) :- माननीय सभापति महोदय, राजस्व एवं आपदा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता में जो संशोधन लाया गया है, मैं उसका समर्थन करती हूं। अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं। मैं इसमें तीन विषय कहना चाहूंगी। सबसे पहली बात तो बिचौलिये की आती है। जैसा कि पहले भी विषय आया है कि जब भू अर्जन करने की बात है तो निश्चित ही जो बिचौलिये होते हैं, उनको यह पता होता है कि यहां पर कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, यहां पर कोई नया काम होने वाले हैं, जिससे जो छोटे किसान हैं या अन्य कोई ऐसे लोग हैं, जिनकी जमीनें वहां पर हैं, वे निश्चित ही समय से पूर्व उनसे जमीन लेकर उनके टुकड़े करके समय आने पर उचित मूल्य में बेचते हैं, उससे कहीं न कहीं जो वास्तव में उसका भू-स्वामित्व था, उसको नुकसान होता है। इस संशोधन में यह चीज साफ दिखाई दे रही है कि इससे बिचौलिये से मुक्ति मिलेगी और जो भूमि स्वामी है, उसको निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। इसलिए मैं सबसे पहले इसी विषय में कहना चाहूंगी।

सभापति महोदय, दूसरे विषय के संदर्भ में हम सभी जानते हैं कि आज स्मार्ट वर्किंग का समय है। आज कल टिकट से लेकर सारी चीजें मोबाईल पर उपलब्ध होती है। यह बहुत अच्छी पहल है क्योंकि जो भी सूचना या जो भी जानकारी राज्य सरकार विहित करेगी, उसकी डिजिटल माध्यम से, मोबाईल के माध्यम से समय से उसकी जानकारी उपलब्ध हो पायेगी। इसलिए मुझे लगता है कि यह भी स्वागत योग्य पहल है। उसके अलावा जो सबसे गंभीर विषय आता है, वह है नामांतरण का विषय। बहुत अच्छे और बहुत सरलता के साथ, स्पष्टता के साथ यह बातें आयी हैं कि नामांतरण को लेकर जो दिक्कतें आ

रही है, यदि स्वत: नामांतरण का विषय आयेगा तो काफी हद तक जो पहले पटवारी का चक्कर लगाना पड़ता था और कहीं न कहीं परेशान होना पड़ता था, वह परेशानी दूर होगी। मुझे लगता है कि बहुत सरल तरीके से स्वत: नामांतरण का विषय इस संशोधन में लाया गया है। मुझे लगता है कि यह तीनों विषय बहुत ही स्वागत करने योग्य है और हम पूरे तरीके से इस संशोधन बिल का समर्थन करते हैं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 क्रमांक 20, सन् 1959 के आवेदन संशोधित करने के लिये जो विधेयक आया है, मैं उसके खिलाफ और उसमें जो और संशोधन जोड़े जा सकते हैं, वह सुझाव देने के लिये खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, यदि इसे ओव्हर ऑल देखे तो इसमें जिस तरीके से रिकॉर्ड्स बुलाये जा सकते हैं, डायवर्सन की प्रक्रिया, अंतरण की प्रक्रिया और बिचौलियों से बचाने के लिये यह संशोधन किये जा रहे हैं। जिसमें धारा 30, 33, 110, 165, 172 और 178 (ख) का संशोधन लिखा हुआ है। इसके पहले कई वक्ताओं ने इस बात को कहा, जिसमें मैं अपनी भी बात कहना चाहूंगा। इस संहिता के प्रावधान के अधीन सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिन्हें राज्य सरकार विहित करें, नोटिस सूचना भेजने हेतु मान्य हो। सभापति महोदय, हम लोगों ने देखा है कि ग्रामीण परिवेश में बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं कि लोगों को पता नहीं होता। वे कभी कमाने, खाने गये हुए होते हैं। हमारे यहां पलायन होता है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वह जांजगीर जिला है। कई बार वे लोग बाहर गये होते हैं और वे जब तक वापस आते हैं तो पता लगता है कि उनकी जमीन किसी और के नाम पर कर दी गयी है। चूंकि केस चल रहा था और उनको उसके बारे में पता नहीं चला। इस तरह की चीजों को रोकने के लिये यदि डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं । तो उस डिजीटल प्लेटफार्म को लाना बहुत अच्छी चीज है यह स्वागतेय है, लेकिन उस डिजीटल प्लेटफार्म में हम कौन-कौन सी विधि से भेजेंगे, किस तरह भेजेंगे उसकी रिसिप्ट की क्या प्रक्रिया होगी, हम लोगों को इस बात को समझना भी होगा और लोकल कंसनड्रेशन भी देना होगा कि चूंकि क्षेत्र के लोग बाहर जाते हैं, कुछ लोग पढ़े-लिखे नहीं है तो ऐसा न हो कि पुराने समय में एक चस्पा कर दिया जाता था और यह समझ नहीं आता था कि उनको नोटिस भी प्राप्त हो चुका है हमको इस तरह की चीजों से आगे बढ़ना पड़ेगा तभी हम डिजीटल प्लेटफार्म की तरफ जा पायेंगे।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं इसी का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे यहां पिछले डेढ़ सालों से एक परिवार दूसरे गांव में रह रहा था उनका फौती का प्रकरण बहुत दिनों से लंबित था। इसके बारे में समाचार पत्रों में भी बहुत ज्यादा आया। उनको बार-बार नोटिस भेजा गया। उनको पता नहीं था, वह पढ़े-लिखे नहीं थे। अंतत: उनके घर पर नोटिस चस्पा किया गया। उस पर आदेश हुआ और वह फौती के प्रकरण से बाहर हो गये। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा। जो भी इसमें राज्य सरकार विहित करने की बात कर रही है वह विहित इस तरह के माध्यम हों, जिससे

कहीं भी विरोधाभाष न हो और यहां पर जो पलायन करने वाले और बिना पढ़े-लिखे लोग हैं उनके लिए भी यह सुनिश्चित किया जाये कि उनके लिए यह डिजीटल प्लेटफार्म कोई गलत माध्यम न बन जाये।

मानवीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी की तरफ एक बात रखना चाहूंगा। मेरे पहले आदरणीय सदस्य उमेश पटेल जी ने भी एक अच्छी बात कही कि हमको धारा 110 के साथ धारा 109 का भी संशोधन करना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को सबसे ज्यादा समस्या फौती उठाने में आती है, उसमें एक और बात जोड़ते हुए, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आदरणीय मंत्री जी अभी तक इण्डिया में Law of Wills कोडिफाई नहीं है। अगर हम Law of Wills की बात करें तो हम रिसीडेंस पर चल रहे हैं कि पुराना कैसे हुआ, ओरल विल की भी बात होती है, अनरजिस्टर्ड बिल की बात होती है और Registered विल की बात होती है तो हमें इस बारे में भी सोचना होगा क्योंकि ओरल विल और अनरजिस्टर्ड विल आज की तारीख में बहुत ज्यादा समस्या का विषय हो गया है। ओरल विल तो प्रैक्टिकल नहीं रह गया है। आज कल हम लोग कहीं भी ओरल विल की बात नहीं सुनते हैं। चूंकि मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ। हम लोग चैप्टर में जरूर पढ़ा करते थे, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस भी की तो आज तक ओरल विल का माध्यम नहीं सुना। अनरजिस्टर्ड विल भी बहुत Contested हो जाती है। कि उसमें कोई न कोई दूसरे परिवार के सदस्य आ जाते हैं कि यह रजिस्टर्ड नहीं हुई थी इसलिए इसमें दिक्कते हैं। जब हम धारा 109 और धारा 110 के संशोधन की बात कर रहे हैं तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं हमारा राज्य पहले हो सकता है कि हम Law of Wills को क्यों नहीं कोडिफाई कर सकते हैं। क्योंकि राजस्व हमारे हिस्से में आता है जिसके बारे में हम कानून बना भी सकते हैं और संशोधित भी कर सकते हैं। तो हमें इस बारे में भी सोचना होगा कि हम Law of Wills को ले आएं या फिर संशोधन के माध्यम से धारा 109 और धारा 110 को संशोधित करके, इसमें हम विल की बात डाल दें उसको भी कोडिफाई कर दें तो आने वाले समय में हम जो आपस में लोगों के लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी की बात करते हैं उससे भी निजात पाया जा सकता है।।

सभपति महोदय, यहां पर बिचौलियों की बात हो रही थी। यह करीब-करीब हर जगह और बहुत समय से इस बात को झेलते हैं। लगातार यह समझ में आता है कि एक जगह जमीनें खरीदी जा रही है और यहां बाहर के लोग आकर जमीन खरीद रहे हैं। थोड़े दिनों के बाद पता चलता है कि उन जमीनों की अधिसूचना जारी होती है, समाचार पत्रों में आता है कि यह-यह खसरा नंबर की जमीन ले लिया गया। मैं आपको मेरे यहां की बात बताना चाहूंगा। जब हमारे यहां के.एस.के. पॉवर प्लांट आया। आदरणीय मंत्री जी इसमें आपका थोड़ा सा समर्थन, संरक्षण भी चाहूंगा। जब हमारे यहां के.एस.के. पॉवर प्लांट आया तो यही स्थिति थी । वहां गांव के लोगों ने रजिस्ट्री करवा ली थी। उनकी रजिस्ट्री हो नहीं पायी थी और उन जमीनों की खरीदी बिक्री हो चुकी थी। यह विधान सभा के पटल में है कि आज तक 100 से ज्यादा

लोगों को मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है। कंपनी ने उनकी जमीनें घेर रखी हैं। वह कैम्पस के अंदर है। आज तक उनको मुआवजा नहीं मिल पाया। उसमें करीब-करीब 45 आदिवासी परिवार के लोग हैं। यहां पर मेरे ही प्रश्न के उत्तर में जवाब आया था और यह इस विधान सभा के पटल पर आया था। यह बात भी देखनी होगी कि जब कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है तो उन लोकल लोगों की जगह रायपुर में पता लग जाता है कि दिल्ली में लोगों को पता लग जाता है कि वहां पर वह प्रोजेक्ट आने वाला है और लगातार एम.ओ.यू. होते हैं Power of attorney दे दी जाती है वहां पर थोड़ा-थोड़ा टोकन देकर, टोकन देने बाद वह जमीन अपने नाम पर कराने के लिए एग्रीमेंट करा लेते हैं तो उस एग्रीमेंट को भी कितने महीने पहले रोका जा सकता है, अगर उसमें बात भी जाये कि इतने महीने पहले से, जैसे अभी हम अधिसूचना की बात कर रहे हैं अगर अधिसूचना के पहले कई महीने पहले से हम उसको रोक सकते हैं कि आप न पॉवर आफ अटार्नी दे सकते हैं, न उसमें कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं तो उसमें हमारे किसान का, हमारे छत्तीसगढ़ के लोकल व्यक्ति का संरक्षण होगा। इस बारे में भी हमको विचार करना चाहिए। यह संशोधन एक अच्छा प्रयास है, लेकिन मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं। क्योंकि चाहे Law of wills हो, कोडिफाई करने की बात हो, बिचौलियों से हम कितने पहले से लोगों को बचा सकते हैं, उस समय-सीमा की कोई बात हो, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं आ रहा है। जो हमारा पूरा करने का ध्येय है, इससे वह पूरा नहीं हो रहा है। अगर हमारे सुझाव को शामिल करते हुए इसको और सुदृढ़ किया जाये तो शायद लोगों को इससे और फायदा होगा। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय सभापति जी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 में लाये गये संशोधन प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी सारी चीजों के ऊपर, सारी बातों के ऊपर सभी का ध्यान आकृष्ट किया है और सारी विशेषताओं के विषय में चर्चा हो चुकी है। हम सब यह जानते हैं कि इस डिजिटल युग में digitalization कितना महत्वपूर्ण है और यह संशोधन का प्रस्ताव एक आगे की ओर बढ़ने वाला कदम है। जैसा कि सभी बोल चुके हैं, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जायेगा। किसी बड़ी योजना के जैसे भारतमाला जैसे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट के आने में उसके निर्माण के समय में बहुत तेजी आयेगी। बहुत सारे विवादों से, बहुत सारे कारणों से ऐसे विकास कार्य जो रूक जाते हैं, उसको काफी रफ्तार मिलेगी। विकास की गति को बढ़ाने वाला यह प्रस्ताव है। जनप्रतिनिधि के रूप में हम सभी जानते हैं कि जब समस्या लेकर जनता हमारे पास आती है तो कोई बटांकन, सीमांकन और नामांतरण के प्रकरण कितने होते हैं। आप एक बात का अंदाजा लगाईये कि ऐसे लोग जिनका जीवन ही कोर्ट, कचहरी के चक्कर काटते और यह सब काम कराते गुजर जाता है, उसके कितने समय की बचत इस संशोधन के द्वारा होने वाली है। अवैध निर्माण और अवैध प्लाटिंग के विषय में उस दिन मैंने सदन में

चर्चा की थी, उस पर भी बहुत अंकुश लगाने का काम होगा। बहुत सारी चीजों की रफ्तार बढ़ेगी। जो विवाद की परिस्थितियां हैं उससे छुटकारा मिलेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी। कुल मिलाकर यह प्रस्ताव छत्तीसगढ़ को विकास के मार्ग में तेजी से प्रशस्त करने वाला प्रस्ताव है। यह ऐसा संशोधन है जो समय के साथ, टेक्नॉलाजी के साथ छत्तीसगढ़ को आगे लेकर जायेगा। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा यह जो प्रस्ताव लाया गया है उसका समर्थन करते हुए भू-अभिलेखों में अधिकार अर्जन करने हेतु नामांतरण किये जाने के सबंध में भूमि के अर्जन की तारीख से 6 माह के भीतर पटवारी को सूचना प्राप्त होने पर नामांतरण की कार्रवाई की जाती थी जो अब तेजी से होगी। इस धारा में संशोधन में मुख्य रूप से रजिस्ट्री उपरांत खाता का स्वत: नामांतरण हो जायेगा, जिसका मैंने जिक्र कर चुका हूं। आम नागरिकों को जमीन खरीदी-बिक्री के पश्चात राजस्व रिकार्ड में सुधार कराना सरलीकरण होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपसे आग्रह करता हूं और मेरा सबसे आग्रह है कि इस पारित किया जाये। मैं इसका समर्थन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री रोहित साहू (राजिम) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 में लाये गये धारा 171, 78 (ख) में संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। भूमि के अर्जन तथा खनन हेतु आशय पत्र जारी करने के पश्चात अर्जन की अधीन भूमि का बटांकन छोटे टुकडों में जो अंतरण होता है, जो भूमि के प्रयोजन से परिवर्तन के कारण भूमि अर्जन की लागत में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इस अप्रत्याशित विकास के परिणामस्वरूप मूल भूमि-स्वामी को समुचित लाभ होने की बजाय इस ज़मीन खरीदी-बिक्री में भूमि में जो संलिप्त बिचौलिये हैं और भू-माफियाओं द्वारा अर्जित किया गया है, इसको लाभ मिलता था और इस धारा में संशोधन से भू-अर्जन हेतु प्रक्रिया प्रारंभ के पश्चात् भूमि का बटांकन, छोटे टुकड़े को अंतरण एवं प्रयोजन में परिवर्तन के कारण भूमि अर्जन की लागत में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण इस प्रक्रिया में मूल स्वामी जो समुचित लाभ होने की बजाय भूमि की खरीद-बिक्री की संलिप्तता जो व्यक्तियों को, माफियाओं को जो लाभ अर्जित होता था इस प्रक्रिया पर रोक लग जाएगी और इससे आने वाले समय में हमारे छोटे-छोटे जो किसान हैं, छोटे-छोटे जो गांव की ज़मीन में घर बनाना चाहते हैं इन लोगों को इनका लाभ भी मिलेगा ।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस संशोधन bill का, इस प्रस्ताव का अपनी ओर से पुरज़ोर समर्थन करता हूं और इस संशोधन bill के प्रस्ताव के लिए मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि यह bill प्रस्ताव पारित हो । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

सभापति महोदय :- माननीय चरणदास महंत जी ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय सभापति जी, एक बहुत अच्छा अवसर आया हुआ है । जैसा कि माननीय चंद्राकर जी ने प्रस्ताव रखा कि इसको सर्वानुमति से पास कर दिया जाए । इस संदर्भ में हमारी तरफ से आदरणीय विधायक श्री उमेश पटेल जी ने जो सुझाव रखे हैं, उन सुझावों पर मैं पूरी तरीके से सहमत होते हुए उन सुझावों के प्रति मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि आपने जो online नामांतरण हो जाएगा करके 110 में जो व्यवस्था की है और उन्होंने प्रस्ताव भी रखा है कि 109 भी शामिल कर लिया जाए । फौती के बाद जो नामांतरण होता है उनके बच्चों के लिए तो माननीय मंत्री जी यदि तैयार हो जाते हैं, उसमें संशोधन कर दें कि 110 और 109 दोनों शामिल रहेंगे तो इसे सर्वानुमति से पास करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है और अगर नहीं करेंगे तो हम तो जैसा विरोध होगा उतना करेंगे ही । मेरे ख्याल से दोनों में कोई आपत्ति नहीं है । माननीय उपमुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, वे स्वयं वकील हैं, वे जानते हैं तो 110 के साथ ही साथ 109 में भी फौती- नामांतरण की प्रक्रिया को शामिल कर लें । हम सर्वानुमति से आपका पास कर देंगे ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, जो digital माध्यम है । चूंकि digital माध्यम होने वाला है, गांव के व्यक्ति तक वह किस माध्यम से यानी आप किस माध्यम का उपयोग करने वाले हैं उसकी भी जानकारी दें ।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री श्री टंकराम जी ।

राजस्व मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक पर आज हमारे वरिष्ठ विधायक माननीय अजय चंद्राकर जी, माननीय उमेश पटेल जी, माननीय मोतीलाल साहू जी, माननीय नीलकंठ टेकाम जी, माननीय श्रीमती भावना बोहरा जी, माननीय राघवेन्द्र सिंह जी, माननीय अनुज शर्मा जी, माननीय रोहित साहू जी और नेता प्रतिपक्ष माननीय चरणदास महंत जी के विचार सुने और उनका सुझाव आया है । मैं आप सभी के सुझाव का स्वागत करता हूं और सम्मान करता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, यह जो विधेयक आया है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण है इस विधेयक के पारित होने से छत्तीसगढ़ के विकास को गति मिलेगी और जो भू-मालिक हैं, भू-स्वामी हैं उनको उनकी जमीन का वाजिफ दाम भी मिलेगा । इस संशोधन प्रस्ताव के माध्यम से हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जितने विभाग हैं उनके भू-अर्जन की प्रक्रिया से जो बिचौलिया हैं, दलाल हैं, ठेकेदार हैं इन लोगों से मुक्ति मिलेगी और वास्तविक में जो भूमि-स्वामी हैं उनको अर्जन का पूरा पैसा मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा । इसमें जो संशोधन आये हैं, धारा-30 ।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति जी, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है । हम भी चाहते हैं कि बिचौलियों से मुक्ति हो जाये । हम सबने सुन लिया है। उनसे सुन लिये, उनसे सुन लिये। एक धारा 109 है, उसको जोड़ दिया जाए। इतना ही कहना है और जैसा कि उमेश जी ने कहा है कि हम

नोटिस भेजने का माध्यम क्या रखेंगे? ये दोनों स्पष्ट कर दें। हम तो सहमत हैं कि एक साथ पास हो जाए। आपको भाषण देने की भी जरूरत नहीं है।

श्री टंकराम वर्मा :- मैं उसमें भी आऊंगा । माननीय सभापति महोदय, धारा 30 मैन्युअल से डिजिटलाइजेशन करने का है। प्रकरण एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय पहुंचने में समय लगता है। तो इसको ऑनलाइन मंगा कर उसके प्रकरण में तेजी से निपटारा करने का एक माध्यम है। धारा 30 में यही संशोधन है और धारा 33 में सूचना का कि हम पहले एक नोटिस चस्पा करते थे। कोटवार के माध्यम से या माल जमादार के माध्यम से नोटिस भेजते थे। अभी हमारे माननीय विधायक उमेश पटेल जी बोल रहे थे कि गांव में इतना है हाईटेक नहीं है। लोगों के पास मैसेज कैसे जाएगा? माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन का मैसेज जाता है और सब देखते हैं। यह बहुत बड़ा उदाहरण है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति, माननीय मंत्री जी, 70 लाख महिलाओं को मैसेज जाना अलग है। यहां आप नोटिस दे रहे है, उसकी तामीली होगी। इसलिए मैं ये प्रश्न उठा रहा हूं। नोटिस की तामील भी होगी ना। आप कैसे ये तय करेंगे कि नोटिस की तामील हो गयी है। आप अगर मैसेज भेज दिए और ये मान लिए कि उसको नोटिस मिल गया। अगर आप ये करने वाले है तो फिर बहुत गलत होगा, मैं केवल यह कहना चाह रहा हूं।

श्री टंकराम वर्मा :- और इसी तरह से हमारे किसानों को भी, जो उनकी फसल का भुगतान है, आज गांव में भी सब हाईटेक हो गये हैं। सबके पास मोबाइल है, सब मैसेज देखते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक, ईमेल चला रहे हैं तो इससे उनको नोटिस तामील करने में सुविधा होगी।

श्री उमेश पटेल :- अच्छा, आपका माध्यम क्या होगा? ये बताइए।

श्री टंकराम वर्मा :- मैसेज भी होगा, व्हाट्सएप भी होगा। आज सभी न्यायालय में जितने भी पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं, उनके केस नंबर के साथ उनका मोबाइल नंबर, उनका व्हाट्सएप नंबर सब रजिस्टर्ड किये जाते हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मेरा ये कहना हैं कि नोटिस तामील होने के लिए आपका माध्यम क्या होगा? आप किस माध्यम से उसको भेजेंगे? ईमेल है, व्हाट्सएप है या मैसेज है? ये आप सभी जगह भेजेंगे?

श्री टंकराम वर्मा :-ईमेल भी होगा, व्हाट्सएप भी होगा, मैसेज भी होगा।

श्री उमेश पटेल :- तीनों होगा?

श्री टंकराम वर्मा :- जी।

श्री उमेश पटेल :- और उसको तामील कब माना जाएगा? इसकी जानकारी दे दीजिए।

श्री राघवेन्द्र यादव :- मंत्री जी, उसे recevied कब मानेंगे?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो आप ऑनलाइन तामील का ला रहे हैं, तो आवेदक जब आवेदन करे तो आवेदक जो सुविधा चाहता है, वह किया जाए। अगर वह मैन्युअल लिखता है तो मैन्युअल किया जाए।

श्री उमेश पटेल :- उसे तामील कब माना जाये?

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी, उमेश जी, चर्चा में बिंदु आ गए। आपने जो बिंदु उठाये, वे उनका जवाब दे रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि उसे तामील कब माना जायेगा?

श्री टंकराम वर्मा :- उनका व्हाट्सएप, मेसेज और ईमेल है। इनके माध्यम से दिया जाएगा।

श्री उमेश पटेल :- तामील मतलब अब उसको क्या बोलूं मैं? recevied कब माना जायेगा कि सामने वाले को recevied हो गया? ये कब माना जाए?

श्री टंकराम वर्मा :- जैसे व्हाट्सएप में होता है ब्लू टिक। (हंसी)

श्री कवासी लखमा :- माननीय मंत्री जी, सुदूर अंचल में हमारी तरफ लाइट नहीं है, उधर मोबाइल नहीं चल रहा है, जगरगुंडा है, अबूझमाड़ में फिर क्या होगा?

श्री टंकराम वर्मा :- दादा, आपकी तरफ मोबाइल चलाते हैं। सबको पता चल जाता है कि महतारी वंदन का पैसा आ गया।

श्री कवासी लखमा :- अब कहां आ रहा है? जानकारी रखते हैं न। अभी एक-एक पंचायत में एक रूपये भी नहीं जा रहा है। वहां व्हाट्सएप नहीं है ना? लाइट भी नहीं है। तो कैसे होगा? उन लोगों के लिए दिक्कत होगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- इस व्यवस्था में ये भी अव्यवस्था आयेगा कि उसको पता नहीं चलेगा और सामने वाला अवसर आने के बाद पक्ष की अनुपस्थिति शो करके मामला खारिज होगा ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, हम आपके उद्देश्य को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आप इस मामले को समझिये । आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं। आपके उद्देश्य को भी गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो मेन तामीली में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा, वह ऑनलाइन समस्या आएगी। इसमें आप अगर व्हाट्सएप के recevied को मान लेंगे तो व्हाट्सएप के recevied को..।

श्री टंकराम वर्मा :- आप जो तामीली का विषय बता रहे हैं, इसमें हम अपने एन.आई.सी. भी परामर्श लेंगे और इसमें एक अच्छी प्रक्रिया अपनायेंगे।

श्री उमेश पटेल :- नहीं तो ये प्रक्रिया पूरी करके आप इसको लाइए । अगर आप कानून में बदलाव कर रहे हैं और अगर ये स्पष्टता नहीं है कि तामील कैसे होगी तो इसको मैं बोलूंगा कि आप

अगले उस सदन के लिए रख लीजिए। क्योंकि अगर ये ये स्पष्ट नहीं है तो गांव के लोग इस व्यवस्था से और परेशान हो जाएंगे ।

समय
3.00 बजे

श्री टंकराम वर्मा :- देखिए, आज भी गांव में सब जगह यह व्यवस्था है ।

श्री उमेश पटेल :- अगर आप यह कहेंगे कि मैं वाट्सअप मैसेज भेज देता हूं और उसे ही तामील माना जाता है तो समझिए कि क्या होगा । अगली बार न्यायालय आदेश कर सकता है कि उसको उठाकर लाओ ।

श्री नीलकंठ टेकाम :- सभापति महोदय, अगर थोड़ा व्यवहारिक पक्ष में जाएं तो पक्षकारों को पेशी की सूचना कौन देता है, वकील ही तो देते हैं । निश्चित तौर पर जिस दिन एप्लीकेशप सबमिट होगा, उस दिन देख लिया जाएगा कि सबसे अच्छी व्यवस्था क्या होगी । अगर पक्षकार बोलेगा या वकील बोले कि लिखित में आएगा तो ही मैं उसे तामील मानूंगा तो एक बार विचार किया जा सकता है । आजकल तो हर जगह मैसेज से ही काम चल रहा है ।

श्री द्वरिकाधीश यादव :- आदरणीय टेकाम जी, आप जो कह रहे हैं, वही मैंने भी निवेदन किया है ।

श्री नीलकंठ टेकाम :- इसीलिए तो संशोधन लाया जा रहा है कि उसको लीगल-वे पर माना जाए ।

सभापति महोदय :- नीलकंठ जी, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं ।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मंत्री जी इसमें एक लाईन और जुड़वा दें कि परिस्थिति के अनुरूप उसमें डिजिटल..।

श्री टंकराम वर्मा :- हम इसको और बेहतर करेंगे, एनआईसी से बात करेंगे।

श्री उमेश पटेल :- कैसे करेंगे ? आप कानून में बदलाव कर रहे हैं ।

श्री टंकराम वर्मा :- बताएंगे आपको ।

श्री उमेश पटेल :- जब आप कानून में बदलाव कर रहे हैं तो इसमें पूरी स्पष्टता होनी चाहिए । भले ही आप इसे अगले सत्र के लिए रख लीजिए । यह बहुत अच्छा संशोधन है, हम आपके साथ तैयार हैं । हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं । हम आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं । हम इसको सर्वसम्मति से पास करना चाहते हैं लेकिन जो शंकाएं हैं, उनको तो दूर करिये ।

श्री टंकराम वर्मा :- जैसा कि मैंने बताया कि हम एनआईसी से परामर्श करेंगे साथ ही अभी मैनुअल में जो प्रक्रिया चलती है, नोटिस तामील करते हैं, उस प्रक्रिया को पूरी तरह से बंद नहीं कर रहे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हैं । वह प्रक्रिया रहेगी लेकिन यह जो हमारा मैसेज और वाट्सअप सिस्टम है कि लोगों को सीधे मिले, उसके लिए ..।

श्री उमेश पटेल :- हम लोग भी यही चाह रहे थे लेकिन यह संशोधन विधेयक में लिखा नहीं है । आपके संशोधन में इस चीज को हटा दिया गया है और डिजिटल फॉर्म से ही भेजा जाएगा, यह लिखा है । शंका यही से तो पैदा हो रही है, आप समझिए ना ।

श्री टंकराम वर्मा :- दोनों का उद्देश्य यह है ।

श्री उमेश पटेल :- आप अगर इसी संशोधन में अथवा लिख दिए रहते तो भी कोई समस्या नहीं थी ।

श्री टंकराम वर्मा :- दोनों का उद्देश्य यह है कि वादी-प्रतिवादी के पास मैसेज पहुंचना चाहिए ।

श्री उमेश पटेल :- पहुंचना चाहिए, हम भी यही चाहते हैं । लेकिन तामीली को समझिए, यह तामीली किसी-किसी के लिए गंभीर विषय बन सकता है । अगर आप यह लाना चाहते हैं तो ..।

श्री टंकराम वर्मा :- वह प्रक्रिया बंद नहीं हुई है, वह प्रक्रिया चलती रहेगी किंतु यह प्रक्रिया शुरू होगी ।

श्री उमेश पटेल :- प्रक्रिया तो चलती रहेगी लेकिन आप प्रस्तुत संशोधन को देखिए ना । उसमें यह लिखा ही नहीं है, उस प्वाइंट को हटाकर लाया गया है । इसलिए मैं कह रहा हूं कि केवल डिजिटल माध्यम से ही मैसेज किया जाएगा । मुझे कोई आपत्ति नहीं है आप 10 मिनट समय लेकर चर्चा कर लीजिए । अगर कुछ और चर्चा करना है तो हम उसके लिए भी रेडी हैं । बहुत अच्छा संशोधन है, हम तो चाहते हैं कि आप इस संशोधन को लाएं । भले ही आपको चर्चा करना है तो 5 मिनट ले सकते हैं । लेकिन आप सदन में स्पष्ट जवाब दीजिए, आप सदन को आश्‍वस्त कीजिए कि क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी । मान लीजिए किसी कारण से अगर कोई नहीं पढ़ पाता है तो दूसरी पेशी में उसके घर पुलिस तो नहीं पहुंचेगी ।

श्री टंकराम वर्मा :- इसके लिए एनआईसी परामर्श करके प्रावधान बनाएंगे ।

श्री उमेश पटेल :- तो इसको परामर्श मान लीजिए । इस सदन में आप संशोधन ला रहे हैं उसमें आप कहेंगे कि हम बाद में परामर्श करेंगे तो हम लोग इस संशोधन को कैसे पास करने देंगे । आप बात कर लीजिए हमको कोई आपत्ति नहीं है।

श्री टंकराम वर्मा :- मैनुअल प्रक्रिया को हटाने की बात भी नहीं आई है उसमें।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- पुरानी प्रक्रिया को यथावत रखा जाएगा, ऐसा उसमें जोड़ दीजिए ।

श्री उमेश पटेल :- दोनों प्रक्रिया को चालू रखा जाएगा, यह बात उसमें डलवा दीजिए ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैनुअल भी रहेगा, ऐसा जोड़ दीजिए । ऑप्शन में रख दीजिए ।

श्री उमेश पटेल :- दोनों को ऑप्शन में रख लीजिए ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अथवा करके उसको भी जोड़ दीजिए ।

श्री उमेश पटेल :- उप मुख्यमंत्री जी हैं, आप उनसे भी परामर्श कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री टंकराम वर्मा :- पुरानी प्रक्रिया साथ में रहेगी ।

सभापति महोदय :- उमेश जी, मंत्री जी बोल रहे हैं, जवाब में बता रहे हैं ।

श्री टंकराम वर्मा :- पुरानी प्रक्रिया भी साथ में रहेगी ।

श्री उमेश पटेल :- रहेगी । आप उस कानून में उस लाईन का उल्लेख करेंगे ।

श्री टंकराम वर्मा :- उसके बाद था धारा 110 में नामान्तरण ..।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी ।

श्री टंकराम वर्मा :- उमेश जी, मैंने बोल दिया है ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी ने कहा तो ।

श्री उमेश पटेल :- हमारी एक ही आपत्ति है ।

श्री सुनील सोनी (रायपुर नगर दक्षिण) :- उमेश जी, एक मिनट इधर सुन लीजिए। धारा 30 की उप धारा 2 के पश्चात् जोड़ी जाए। मैनुअल भी होगा और दोनों पद्धति होगी। राज्य सरकार द्वारा यह अधिसूचना जारी किया है। मंत्री जी अपने वक्तव्य के अंदर कह ही रहे हैं। आप उसको ठीक से पढ़िए ना। मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि दोनों रहेगा।

श्री कवासी लखमा :- अभी तक नहीं बोला है।

श्री सुनील सोनी :- अभी वक्तव्य में बोला है।

श्री टंकराम वर्मा :- मैं दोनों रहेगा बोला हूं। पुरानी भी चलेगी और ये नया भी रहेगा।

श्री सुनील सोनी :- आपने सुना नहीं, बोला है। आप उसी के उपर बोल रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- एक बार और बोल दीजिए ना। सोनी जी, आदरणीय वरिष्ठ विधायक जी जो सांसद से आए हैं, एक बार और बोल दें, हम तो यहीं सुन रहे हैं, अथवा लिखवा दीजिए और फौती का भी करवा दीजिए। फौती का नामांतरण भी ऐसे ही होगा, बस इतना ही तो बोलना है। हम लोग एक साथ पास करने के लिए सर्वानुमति से सहमत हैं।

श्री टंकराम वर्मा :- सभापति महोदय, धारा 110 जिसमें रजिस्ट्री के साथ नामांतरण की सुविधा है। भारत सरकार का भी निर्देश है कि भू-अभिलेख अपडेट किया जाए और इसके लिए न्यायालय में प्रकरण लंबित न हो, इसका रिकॉर्ड अपडेट हो, जीरो रिफरेंसिंग हो, ऐसे प्रकरण रजिस्ट्री के साथ स्वत: ही नामांतरण हो जाएगा। इससे भूमि स्वामियों को राहत मिलेगी। रजिस्ट्री के बाद दो महीना, चार महीना जो चक्कर लगाते थे, समय और धन भी व्यर्थ जाता था, इस विधेयक के आने से समय की बचत होगी।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, रजिस्ट्री में आपत्ति दावा का समय रहेगा या नहीं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री टंकराम वर्मा :- सभापति महोदय, धारा 109 जिसकी आपने चर्चा की है, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, इसको हम विधि विभाग से परामर्श करके कार्रवाई जरूर करेंगे। वैसे भी हमारी सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार...।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, आप धारा 110 पर जो बदलाव कर रहे हैं, वह धारा 109 पर करना है। इससे 75 प्रतिशत लोग प्रभावित होंगे।

श्री नीलकंठ टेकाम :- फिर से मापदंड लगाना पड़ेगा।

श्री उमेश पटेल :- वह सब सचिव कर लेगा। वहां का जो पटवारी है, उसका काम रहेगा।

श्री टंकराम वर्मा :- सभापति महोदय, हमारी जो सरकार है, माननीय विष्णुदेव साय जी के निर्देश में भू-राजस्व में बहुत अच्छा काम किए हैं, चाहे हम जीरो रिफरेंसिंग की बात करें...।

श्री उमेश पटेल :- मैं आपकी बात का डिसएग्री नहीं कर रहा हूं। अभी मैं वह वाला बहस कर ही नहीं रहा हूं।

श्री टंकराम वर्मा :- आप जिस फौती की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी समय सीमा निर्धारित की है। लोकसभा गारंटी में लाए हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, आप यह बोल दीजिए कि धारा 109 हम अगली सत्र में ले आएंगे।

श्री टंकराम वर्मा :- धारा 109 के बारे में हम परामर्श करके जरूर कार्रवाई करेंगे, उसमें विचार करेंगे।

श्री उमेश पटेल :- ठीक है।

श्री टंकराम वर्मा :- सभापति महोदय, धारा 165 जिसके बारे में अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि धारा 4 का प्रकाशन होता है, उसके बाद खरीदी बिक्री शुरू हो जाती है। इसमें एक बड़ी बात यह है कि शासन को किसी कार्ययोजना के संबंध में परियोजना के संबंध में जैसे ही किसी विभाग का कोई पत्र आता है, वैसे ही उस जमीन की खरीदी बिक्री बंटवारा बंद हो जाएगा। उसी तरह से धारा 172 में जिस जमीन पर सरकार जिसमें काम करना चाहती है उसमें यदि उसका पत्र आता है तो उस जमीन का डायवर्सन चाहे वह औद्योगिक के लिए हो, चाहे व्यावसायिक हो, चाहे आवासीय हो, ये सारे डायवर्सन बंद हो जाएंगे। उसी तरह से धारा 178 (ख) में जिस जमीन को लेने की या काम करने की राज्य सरकार की, केन्द्र सरकार की कोई योजना होगी तो उस जमीन में खाता विभाजन तत्काल रोक दिया जायेगा। जैसा आपने देखा कि कहीं पर भी कोई परियोजना आती है तो एक ही खसरे के सैकड़ों बंटवारे हो जाते हैं जिसके कारण उसकी भू-अर्जन में लागत बढ़ जाती है। यह छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में या किसानों के भू-मालिकों के हित में है। मैं आग्रह करूंगा कि ये जो भू-राजस्व संहिता की जो संशोधन विधेयक आया

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है, इस विधेयक को सर्वानुमति से पारित किया जाए। मेरा आप सबसे यही आग्रह है। (मेजों की थपथपाहट)

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति जी, मुझे अभी कुछ बोलने का तो नहीं है, मगर मैं यह कहना चाहता हूं, उनके अधिकारीगण आए होंगे, पर्ची मंगवा लें, जैसे की व्यवस्था है, होता आया है, परिचलन में है, ऐसा हो सकता है कि धारा 109 को भी इसके साथ जोड़ दिया जाए। हमारी तो केवल इतनी ही मांग है। यदि ऐसा होगा तो हम इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर देंगे, अन्यथा नहीं करने वाले हैं।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, क्या आपको कुछ कहना है? आपने जवाब दे दिया है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा है तो आप कुछ कह सकते हैं।

श्री टंकराम वर्मा :- सभापति महोदय, मैंने तो बता दिया है कि उसकी परामर्श करके उसपर हम विचार करेंगे।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 10 सन् 2024) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 7 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 7 इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदय :- श्री टंकराम वर्मा जी।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 10 सन् 2024) पारित किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 10 सन् 2024) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।
(मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 11 सन् 2024)। श्री अरूण साव जी।

(4) छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 11 सन् 2024)

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- point of order. सभापति महोदय, संविधान के 73वें व 74वें संविधान संशोधन, 1992 इसलिए किये गये थे कि राज्य सरकारें नगरीय-निकायों के चुनाव को अपनी सुविधानुसार आगे-पीछे कराती हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा WPC and 278/2022 में निर्णय दिनांक-10.05.2022 में यह स्पष्ट आदेश है कि कार्यकाल 5 वर्ष समाप्त होने के पूर्व नया निर्वाचन कराना होगा। यह निर्णय सुरेश महाजन बनाम State Of M.P. में हुआ है और इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इस संविधान के अनुच्छेद के अनुसार चुनाव को तत्काल कराया और उन्हें कराना पड़ा। प्रस्तावित संशोधन के द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेश व संविधान के अनुच्छेद-243 का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद-243 में लिखा है कि नगर-पालिकाओं की अवधि आदि प्रत्येक नगर-पालिका यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है। तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। इसको बदलने के लिए ना तो आप सक्षम हैं और ना माननीय महामहिम राज्यपाल सक्षम हैं। आप माननीय वकील भी हैं, सीनियर वकील हैं, समझदार हैं। यदि आपके पास इस संविधान के प्रावधान को supersede करने का अधिकार है तब तो आप इसको प्रस्तुत करिये। अगर इस संविधान को supersede करने का अधिकार आपके पास नहीं है तो इसे यहां प्रस्तुत मत करिये। हम इसका विरोध करेंगे।

उप मुख्यमंत्री (श्री अरूण साव) :- मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका संशोधन विधयेक 2024 (क्रमांक 11 सन् 2024) पर विचार किया जाये।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय सभापति महोदय, जैसा कि हमने कहा, हम जो कह रहे हैं, उसका निर्णय करिये।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। अब विधेयक पर चर्चा होगी।

डॉ. चरण दास महंत :- सभापति जी, हमने point of order के माध्यम से आपत्ति की है। आपको इसका पहले निर्णय देना पड़ेगा। यहां पर संविधान को supersede करने का अधिकार नहीं है, राज्यपाल महोदय को नहीं है। आप यहां कैसे प्रस्तुत करेंगे।

श्री उमेश पटेल :- प्रस्तुत करने के पहले इसका निर्णय करिये।

डॉ. चरण दास महंत :- आप संविधान को supersede करने की कोशिश कैसे कर रहे हैं, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद ने पारित किया कि यह लोकतान्त्रिक जवाबदेह स्थानीय निकाय बने। स्थानीय निकाय के प्रशासन अनुसूची 7 के अनुसार राज्य का विषय है। माननीय नेता जी ने जो रिफरेंस दिया है, मैं उसे स्पष्ट करना चाह रहा हूं। अनुच्छेद **243प. नगरपालिकाओं की अवधि, आदि**। यह जो पांच साल का उल्लेख इस अनुच्छेद में है, वह निर्वाचित बॉडी के लिए है। इसमें कहा गया है कि " प्रथम अवधिवेश के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी। " जो निर्वाचित बॉडी है, उसको 5 साल से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। यह संविधान की भावना है। जो निर्वाचित बॉडी है, उसे हम इस संशोधन के माध्यम से नहीं बढ़ा रहे हैं।

सभापति महोदय, दूसरी बात कि यह निर्वाचन कब, कैसे होगा, इसके बारे में यह अधिकार विधान के माध्यम से राज्य सरकार को उपलब्ध कराता है। अनुच्छेद 243यक. इसका उपखण्ड 2 "इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान मण्डल, विधि द्वारा नगरपालिकाओं के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के सम्बन्ध में उपबंध कर सकेगा।" सभापति महोदय, यह राज्य सरकार के अधिकार का क्षेत्र है। इसलिए इस विधान सभा को इस विधेयक को सुनने का अधिकार है। दूसरा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह पंचायत राज अधिनियम है। पंचायत राज अधिनियम की धारा 20 उप धारा 3. धारा 20 कहता है कि प्रथम सम्मेलन और पदावधि, इसमें जो माननीय नेता जी ने पढ़ा वह 1 और 2 में स्पष्ट है। दोनों same है। परन्तु इसमें तीसरा उप धारा है। वह उपधारा क्या कहती है। कहती है कि यदि उप धारा 2 में वर्णित काल अवधि का अवसान होने के पूर्व, 5 साल के पूर्व ग्राम पंचायत पुनर्गठित नहीं की जाती है तो क्या होगा ? तो वह अवधि काल अवधि अवसान होने पर विघटित हो जायेगी और धारा 87 के प्रशासक से संबंधित, उसका कार्य संचालन कौन करेगा, इससे संबंधित प्रावधान है । उस पंचायत के संबंध में 6 माह से अनाधिक कालावधि के लिये, इस कालावधि के भीतर, ग्राम पंचायत इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जायेगी, लागू होंगे ।

समय
3.30 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुये)

श्री अरूण साव :- यह स्पष्ट प्रावधान नगर पालिका निगम और नगर पालिका निगम अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रावधानित नहीं था, कन्फ्यूशन की स्थिति थी, इसलिये यह संशोधन हम लेकर आये हैं । ऐसा नहीं है कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक की नियुक्ति नहीं हुई है, 4 नगर पालिकाओं में प्रशासक आज तक बैठे हुये हैं, 6 महीने की अवधि के बाद भी, जो आपकी सरकार में बनाये गये थे तथा और बहुत सारे निकाय आपके ही कार्यकाल में ट्रिपल ट्रेस नहीं होने के कारण चुनाव संपादित नहीं हो पाया । वह भी प्रशासक आपने नियुक्त किया था । इस अधिनियम पर विचार करने का यह हमारे विधान सभा को अधिकारिता है।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ.चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी इन्होंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है, मैंने संशोधन विधेयक 11-12 के संबंध में उसे पाईन्ट ऑफ आर्डर के माध्यम से यह कहा है कि आप संविधान को सुपरसीड नहीं करते । यह अधिकार विधान सभा को नहीं है, राज्यपाल महोदय को नहीं है, इस संबंध में पहले आपका निर्णय आ जायेगा, उसके बाद चर्चा शुरू होगी । हमारे पक्ष में माननीय सदस्य बोलेंगे, आप उसको सुन लीजिए । आपका जो भी निर्णय होगा, आप करिये, फिर जैसा करना होगा, करेंगे ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- आप बोल लें ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंत्री जी ने अभी कहा कि जो प्रावधान है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को पॉवर है कि वह इनके बॉयलॉज बना सकते हैं, लेकिन मैं उल्लेखित करना चाहूँगा कि सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश, जहां पर क्लियरली यह बात सुप्रीम कोर्ट कि निर्णय में आई हुई है, All concern are obliged to insure that newly elected body is installed in every local body before expiry of 5 year turm of outgoving elected body. Even in case of disillution befor expiry. अगर डिजिल्यूशन बिफोर एक्सपायरी डेट होती है, हम तभी एडमिनिस्ट्रेटर एप्वाईंट कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी 6 महीने के लिये रहेगा, लेकिन 5 साल के पहले बॉडी एप्वाईंट हुई है, This constitutional mandate is inviolable direction issued accordingly. मैं इसी का 31 पैराग्राफ जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप वरिष्ठ वकील हैं, मेरे से ज्यादा इस बारे में समझेंगे,आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा । इसमें लिखा हुआ है कि We also make it clear that is order and direction given or not limited to Madhya Pradesh Election Commission Stat of Madhya Pradesh and Maharastra Election Commission in turms of order but to All States Union Territories and respective election commission to abide by the same without fail to upload the constitutional update. हम लोग पांच साल के पहले जो यह आर्डर है, स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के लिये था, लेकिन इसमें बड़ा

क्लियरली आदरणीय सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायाल ने यह डायरेक्शन दिया हुआ है कि पांच साल के पहले हमें इलेक्शन कराना है और जो 73 और 74 अमेंडमेंट था, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि डी.डी.बासू की ही मैं कमेंट्री पढ़ रहा था, मैं जब संविधान पढ़ रहा था, उ जब इसके बारे में 73 और 74 कांस्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के बारे में जो कहा गया है, इसे बार-बार स्टेट गवर्नमेंट समय पर नहीं करा पा रही थी, इसलिये इसे संविधान में लाया गया । संविधान में लाने के बाद इसको मैंडटरी किया गया और 2020 के जजमेंट में बड़ा क्लियरली इसको ले-डाऊन कर दिया गया । मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र, चूंकि वहां मामला सिर्फ दो स्टेट का था, लेकिन इसमें क्लियर डायरेक्टशन दिया गया, पैरा 31 में कि यह सिर्फ वहां तक लिमिटेड नहीं है, सभी स्टेट को इसे मानना पड़ेगा और सारी स्टेट कमेटिज को मानना पड़ेगा । अध्यक्ष महोदय, अभी में एक और जजमेंट का उल्लेख करना चाहूंगा । यह हाईकोर्ट आफ झारखण्ड, रॉची का है । इसमें जो केस हुआ है, वह स्टेट ऑफ झारखण्ड वर्सेस रोशनी खलको । इसमें The words democracy comes from the Greek word demos meaning and kratos meaning the democracy thought of as *power* by the people by the way of governing. इसमें भी उन्होंने यह बात Clearly लिखी है कि Administrator Define नहीं कर सकता । Arbitrialy की हम चुनाव कब करेंगे, जब आपके संविधान में 5 साल का समय दिया हुआ है, यह constitutional amendment इसलिए लाया गया था कि हम पॉच साल Delay नहीं कर सकते तो यहां पर constitutional amendment करने की बात या हम लोग constitutional से ऊपर कैसे जा सकते हैं, यह यहां पर पेश नहीं हो सकता । अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में आपका संरक्षण चाहिए कि विधान सभा में जो आ ही नहीं सकता है, हम उसको लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं और ऐसे में हमें भाग नहीं बनना चाहिए कि हम संविधान के विरूद्ध जाएं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस पर आदेश दें और आप इस पर हमें एक व्यवस्था दें ।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मोला ए विषय में हमर नेता जी प्वाइंट आफ आर्डर करके उठाए हे, ओ विषय में मैं दो लाईन बोलना चाहथौं । मैं तो पढ़े-लिखे नहीं आंव, मैं दोनों तरफ के आप मन के गोठ ला सुनथौं । मैं कभु-कभु चिंतित रहिथौ कि कोई मुजरिम ला छोड़ाए बर जाथे तो ऊहींच कानून ला धरके जाए रहिथे अउ एक झन ला सजा देना हे त ऊहींच कानून ला धरके जाए रहिथे । अब दोनों ही उही मा तर्क देत रहिथे । मंत्री जी, मैं आपसे यह कहना चाहथौं कि आपला सत्ता मिल गे हे त कानून ला जेब में धरके झन चलौ । मैं ये बताना चाहथौं कि अईसे का परिस्थिति हे, तेमा तुमन बढ़ाना चाहथौ । चुनाव के समय आ गे हे त चुनाव करा देवव । हमु मन ला, विधायक मन के कार्यकाल ला तुमन पॉच साल काबर नहीं बढ़ाएव, ओला बढ़ा दे रहितेव । जब कोई कोराना कॉल नहीं हे, कुछू नहीं हे त एला काबर तुम बढ़ाना चाहथौ । संविधान के खिलाफ मत जावव, एकरे खातिर

हमन कहिथन कि तुमन कानून ला अपन जेब में सुविधा के अनुसार धरके जाथव अउ आने वाला इतिहास आपला माफ नहीं करय, जब इस प्रकार अपन सुविधा से बढ़ाहूं तेला । बाकी तुंहर विवेक ऊपर हे ।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस जजमेंट का उल्लेख किया है, वह जजमेंट मेरे भी हाथ में है, मैंने भी वह जजमेंट पढ़ा है । पैराग्राफ 30 यह कहता है कि *We once again make it clear that* if *delimitation* is not done by *the* State Government in terms of Amendment Act(s) of 2022 or triple test required in is completed in all respect for providing reservation to OBC category, The state election commission shall give effect to this order also in respect of upcoming elections of local bodies with would had become do by flex of time and this observation was directed to be complete by all the state not only by the state of MadhyPradesh and Maharashtra, जिनका वहां पर केस था । इसमें कोई संदेह नहीं है कि सामान्यत: 5 साल का कार्यकाल होता है, पर यदि किसी परिस्थिति में 5 साल के अंदर चुनाव नहीं हो पाया तो जैसा कि मैंने बताया कि पंचायत राज अधिनियम में बहुत ही स्पष्ट रूप से यह बताया है कि यदि चुनाव नहीं हो पाया तो 6 माह के लिए प्रशासन या उसकी व्यवस्था की व्यवस्था की जाएगी और 6 महीने के अंदर हर हालत में चुनाव कराना होगा तो यह विधेयक बिल्कुल भी असंवैधानिक नहीं है । जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि नगर पालिका का प्रशासन यह राज्य का विषय है और राज्य का विषय होने के कारण मैंने उल्लेख किया । उस समय सभापति जी आसंदी पर थे । अनुच्छेद 243 य (क) नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन । इसके उपखण्ड 2 में स्पष्ट रूप से प्रदायित करता है कि इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधानमण्ड-ल, विधि द्वारा, नगरपालिकाओं के निर्वाचनों से सम्बन्धित या संसक्त सभी विषयों के सम्बन्ध में उपबन्ध कर सकेगा और इसलिए यह हमारे इस विधान सभा के अधिकार क्षेत्र में है। इस विधेयक की सुनवाई करना है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जा आप पंचायती राज अधिनियम पढ़ रहे हैं, यह ग्राम पंचायत का है । ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय में अलग व्यवस्था है या यही है, जो अभी आप पढ़ रहे हैं, यह मैं जानना चाहता हूं । जहां तक मेरा अनुभव है कि दोनों की नीति अलग है, उसे थोड़ा सा आप स्पष्ट बताइए?

श्री अरूण साव :- देखिए, पंचायतों का संचालन 73वें संविधान संशोधन से आया और नगरीय निकायों के लिए 74वें संविधान संशोधन से आया। सामान्यत: सारी बातें लगभग यथावत् ही हैं, केवल कार्यक्षेत्र और क्षेत्र का अंतर है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मंत्री जी, इसमें अंतर है। नगरीय निकाय के लिए आप ये अध्यादेश इसीलिए ला रहे हैं, जबकि पंचायतों के लिए नहीं लाए हैं, जबकि आप पंचायत और नगरीय निकायों का एक साथ चुनाव कराना चाहते हैं और आपके दोनों चुनाव की तैयारी पूरी है, आरक्षण भी हो चुका है। आखिर आप चुनाव नियत समय पर क्यों कराना नहीं चाह रहे हैं? आज नगरीय निकाय के वार्डों का आरक्षण भी हो गया है।

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, चुनाव समय पर कराने की हमारी तैयारी है। जैसे पंचायत में exigencies के लिए यह व्यवस्था है कि किसी कारण से यदि ऐसी परिस्थिति आई और 15 निकाय ऐसे हैं, जहां पर चुनाव नहीं हो पाने के कारण इनकी सरकार ने वहॉं प्रशासक बिठाया था। तो इस प्रकार से स्पष्ट प्रावधान नहीं होने के कारण जो confusion था, उसे दूर करने के लिए ये विधेयक लाया गया है। यह विधान सभा और राज्य की अधिकारिता में है, इसलिए इस विधेयक पर विचार किया जाए और तद्नुसार इसे पारित किया जाए।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय इस विषय में आए हैं, चाहे वह मध्य प्रदेश का विषय हो या बी.डी. वाशू जी का विषय हो, उसमें क्लीयर स्टेट है कि पांच साल से ज्यादा अवधि नहीं होनी चाहिए और यदि आप प्रशासक नियुक्त करते हैं, वह उसकी एक्सपॉयरी से पहले, तब उसको आप till expiry खींच सकते हो। यह सुप्रीम कोर्ट का बहुत स्पष्ट निर्देश है और सभी राज्यों के लिए है। मैं इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखता लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा छत्तीसगढ़ विधान सभा ऐसा उदाहरण प्रस्तुत न करे कि हम लोग संविधान को ताक पर रखकर कोई संशोधन विधेयक लाए हैं। हम लोग सब इसका हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। इसलिए इसमें यदि किसी विधि विशेषज्ञ से बात करने की आवश्यकता है, तो आप स्वयं इसमें बात कर लें और उसके बाद निर्णय दे दें। तब तक हम लोग इस संशोधन के लिए रुक सकते हैं। मैं आपसे यही निवेदन करके अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आदरणीय मंत्री जी बोल रहे थे, 74th amendment, जो judgement पास हुआ था, सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ एम.पी. और जो ट्रिपल टेस्ट की बात हमने की के.कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और विकास कृष्णराव गवाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ये ट्रिपल टेस्ट की फार्मेलिटी के टेस्ट तो हैं, लेकिन जो जजमेंट बाद में आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है, उसमें ये भी बहुत क्लीयर है कि हम लोग कोई भी ऐसा बहाना न दें, जिससे पांच साल से ऊपर उसका वह चला जाए। एक्सपायरी, पांच साल के ऊपर हमें मैन्डेड लेकर नहीं जाना है और हमारे पास पर्याप्त समय था। सही समय पर चुनाव कराना democracy की भी importance है और लोगों की मांग भी है कि इस पांच साल के पहले उन्हें आर्टिकल 243 में जो rights हमारे संविधान ने दिए हुए हैं, क्यों नहीं उसी पांच साल में हम लोग उसे कराकर लोगों की बात सुनें। मैं

आपसे निवेदन करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, संविधान के दिए हुए articles को पढ़ते हुए, उन पर ध्यान देते हुए ये संशोधन विधान सभा में लाना ठीक नहीं होगा। धन्यवाद।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग यहाँ संविधान की रक्षा करने के लिए, नियम-विधान-कानून बनाने के लिए बैठे हुए हैं। जो बात हम कह रहे हैं, माननीय मंत्री जी उसे समझकर भी नहीं समझ रहे हैं या फिर समझना नहीं चाहते, यह हम नहीं जानते। हम चाहते हैं कि आप इस विधेयक को कल प्रस्तुत कर लेना। कल हम आपका सहयोग कर सकते हैं। आप यहाँ के बड़े-बड़े विधि विशेषज्ञों को बुला लीजिए, हमारे सामने बैठकर चर्चा हो जाए, हम आपके साथ-उनके साथ बैठकर चर्चा कर लें और इसके बाद आप प्रस्तुत कर लीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो ठीक है अन्यथा संविधान के विपरीत किसी बात की चर्चा हो गयी तो हम यहां सदन में नहीं रह पायेंगे। हम इसका हिस्सा नहीं बन सकेंगे। हम बहिष्कार कर देंगे।

अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय :- माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय राघवेन्द्र सिंह और माननीय सदस्यों ने इस संशोधन विधेयक में आपत्ति की। व्यवस्था यह है कि दिनांक 17 दिसंबर, 2024 को विधेयक के पुर: स्थापन के समय माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा आपत्ति की गयी थी। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार नगरीय निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, यह उनका पक्ष था। परंतु इस संशोधन विधेयक में नगरीय निकाय के कार्यकाल को 6 माह बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, जो संविधान के विरूद्ध है। यह भूपेश बघेल जी का मत था। नेता प्रतिपक्ष जी ने भी ऐसा ही कहा। माननीय भूपेश बघेल और सदस्यों की आपत्ति पर माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री अरूण साव द्वारा सदन को यह अवगत कराया गया कि इस विधेयक के माध्यम से कार्यकाल या कार्यावधि को बढ़ाया नहीं जा रहा है। यदि विशेष परिस्थिति में चुनाव नहीं हो पाया, तो उस परिस्थिति के लिए यह प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। संविधान का ऐसे किसी प्रावधानों से उल्लंघन नहीं होता। इसी प्रकार की आपत्ति माननीय सदस्य, राघवेन्द्र कुमार सिंह जी ने की है। सरकार की ओर से जो जवाब, स्पष्टीकरण आया है, उसके बाद में इस विधेयक पर विचार और पारण के लिये मुझे लगता है कि कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए (मेजों की थपथपाहट)।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, हम लोग आपके आदेश के खिलाफ नहीं है। मगर हम इस चर्चा में भाग नहीं ले सकते। हम सदन बहिष्कार करते हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन विरोधी नारे लगाये गये)

समय :
3.38

बहिष्कार

विधेयक प्रस्तुत करने के विरोध में

(माननीय नेता प्रतिपक्ष, डॉ. चरणदास महंत के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा नगर पालिका (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करने के विरोध में सदन से बहिष्कार किया गया)

शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

श्री राजेश मूणत :- आप डर के क्यों भाग रहे हैं ? नगर निगम चुनाव में डायरेक्ट चुनाव हो रहा है। आप लोग हार जाएंगे इसलिए भाग रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं चर्चा प्रारंभ करता हूं। श्री ललित चंद्राकर जी चर्चा प्रारंभ करेंगे। आपकी तैयारी नहीं है तो बैठ जाईये। श्री रिकेश सेन जी चर्चा प्रारंभ करेंगे। ललित चंद्राकर जी, आप थोड़ी देर बाद बोल लीजियेगा।

श्री रिकेश सेन (वैशाली नगर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, नगरीय प्रशासन के द्वारा आज सदन में विधेयक प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों द्वारा किये जाने की व्यवस्था है। शासन को अनेक स्त्रोतों से यह सुझाव प्राप्त हुए हैं कि इस व्यवस्था से अध्यक्ष को नगर पालिका, नगर पंचायत निर्वाचित पार्षदों का समर्थन वापस लेने का दबाव होता है। अध्यक्ष महोदय, अधिकतर यह देखने को मिला है कि इन पांच वर्षों में जो भी नगरीय निकायों में महापौर हैं, उन महापौर को कोई व्यक्तिगत या सार्वजनिक रूप से कोई जानता, पहचानता नहीं है। अभी वर्तमान में जितने भी पार्षद, महापौर के पद पर हैं, वह सभी लोग शहर का विकास न करके, अपने वार्ड के विकास तक सीमित रहते हैं और उनकी सोच वार्ड तक सीमित हो जाती है, जिससे कहीं न कहीं शहर का विकास प्रभावित होता है। अत: यह आवश्यक है कि प्रत्यक्ष चुनाव होने चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के जनप्रतिनिधियों को भी उनकी जनसंख्या के आधार पर कुल आरक्षण के 50 प्रतिशत सीमा के अंतर्गत रहते हुए आरक्षण का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। अत: यह आवश्यक है कि शहरी मतदाताओं द्वारा मतदान अधिकारों का प्रयोग कर लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनाव किया जाये। उपरोक्त व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) में संशोधन आवश्यक हो गया था। अत: राज्य विधान मंडल में सत्र नहीं होने के कारण राज्यपाल को यह समाधान हो जाने की ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त हर्ष की बात है कि हमारे विष्णु देव जी की सरकार द्वारा प्रदेश के नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

करवाने हेतु संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है। लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में सरकार के इस कदम से मतदाताओं को अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार प्राप्त होगा। मतदान में जनता की सीधे भागीदारी सुनिश्चित होगी। प्रत्यक्ष रूप से चुने गये अध्यक्षों को कार्य करने की स्वतंत्रता भी मिलेगी। निश्चित रूप से जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में नगर पालिका, नगर निगमों में जो स्थितियां रही हैं, वह बहुत दयनीय रही हैं। हमें अधिकतर यह देखने को मिला है कि जो लोग पार्षद बनकर आते हैं, जब वह महापौर चुनते हैं तो कहीं न कहीं महापौर को भी गिराने की कोशिश करते हैं और महापौर की भी जो सोच रही है वह शहर का जो पूरा बजट है उसे अपने वार्ड तक सीमित करने की मंशा रखी है। साथ में पिछली सरकार ने इस भय और डर के साथ पार्षदों के माध्यम से महापौर चुनने का काम किया। क्योंकि उनको इस बात का भय था कि वह सीधे रूप से महापौर नहीं बन सकते, सीधे रूप से अध्यक्ष नहीं चुन सकते तो इसलिये वह डर और भय के कारण पार्षदों से खरीद-फरोख्त करके, पिछली बार उन्होंने इस नियम को लाने का प्रयास किया। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति को बधाई देना चाहता हूँ कि इस प्रदेश में उन्होंने एक बड़ी पहल की है कि प्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष और महापौर का चुनाव हो सके। अत: मैं सदन के माननीय सदस्यगणों से भी अनुरोध करता हूँ कि इस विधेयक को पूर्ण समर्थन दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री मोतीलाल साहू (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की विभिन्न धाराओं में संशोधन के इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। यहां पर सदन में इससे पहले जो चर्चाएं हुईं और इस सदन में आपने माननीय मंत्री जी को इस विधेयक के संशोधन के लिए अनुमति दी, मैं, आपको उसके लिए धन्यवाद् ज्ञापित करता हूँ। सचमुच यह लोगों को जो लोकतंत्र का अधिकार है कि अपने मत का प्रयोग अपने जनप्रतिनिधि चुनने के लिए करें। इस प्रदेश में जब 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी तो जो परम्परा चली आ रही थी कि एक मतदाता नगरीय निकाय के चुनाव में दो मतदान करेंगे एक पार्षद चुनेंगे, एक अध्यक्ष या महापौर चुनेंगे। हम बड़े लम्बे समय से ऐसा प्रावधान देखते आ रहे थे। वे अपने मतानुसार, इच्छानुसार अपने जनप्रतिनिधि का चयन करते थे। परन्तु यहां पर कांग्रेस की सरकार आयी और उसका बदलाव करके, इस पद्धति का बदल दिया गया। मैं समझता हूँ कि इसमें एक मतदाता के अधिकार का हनन किया गया था। वर्तमान में जो यह प्रस्ताव आया है यह निश्चित तौर पर यह लोकतंत्र, आम मतदाता और हम सब बहुत बड़ी मूल भावनाओं के साथ अपने अधिकार का प्रयोग कर पायेंगे। साथ ही इसमें आरक्षण से संबंधित खासतौर ओ.बी.सी. के लिए आरक्षण का प्रावधान जो उच्चतम न्यायालय ने दिया है उसको भी लागू करते हुए, इस विधेयक में उसके संशोधन का प्रस्ताव आया है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। जो नये मतदाता हैं कई बार उम्र सीमा के कारण वह समय रहते अपना मतदान करने, अपने अधिकार का उपयोग करने से

वंचित रह जाते हैं। उनके लिए भी यह प्रावधान लाकर तिमाही में एक बार अवसर दिया गया है कि वे लोग अपने नाम को जुड़वा सकते हैं। इस प्रकार मैं समझता हूँ कि इसमें उन नये मतदाताओं के उनके अधिकार मिलने जैसा है और अभी उनमें एक नया प्रोत्साहन, नयी उत्साह का संचार होने वाला है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद् देता हूँ कि उन्होंने ऐसा विधेयक लाया है जो हमारे लोकतंत्र और हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मैं, आप सबको धन्यवाद् देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा जो संशोधन लाये गये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं और उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपके कार्यकाल में देखे हैं कि प्रत्यक्ष चुनाव ही होता था कि हमारे अध्यक्ष, महापौर डायरेक्ट चुनकर आते थे। लेकिन अभी जो अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है जिसके लिए संशोधन लाना पड़ा, पहले पार्षद का चुनाव होगा और पार्षद के बाद में अध्यक्ष चुने जायेंगे। एक प्रकार से हम manageable अध्यक्ष, महापौर कह सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस को इस बात की चिंता सता रही थी कि यदि हम डायरेक्ट चुनाव करायेंगे तो कांग्रेस चुनकर के नहीं आयेगी बल्कि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि चुनकर के आयेंगे। इस भय के कारण में उन्होंने यह जो संशोधन किया और संशोधन करने के बाद में हम लोगों ने उसका 5 साल में हश्र भी देखा है। यदि उसको पार्षद चुना है तो पार्षद को भी हटाने का अधिकार है और यदि पार्षद को हटाने का अधिकार है तो अध्यक्ष और मेयर के सामने यह संशय की स्थिति है कि पहले प्राथमिकता पार्षदों को खुश करना है या विकास कार्य करना प्राथमिकता है। उनको यह चयन करने की आवश्यकता पड़ी। जो लोग उनको खुश करने में असफल रहे हैं, आप देखें होंगे उस कार्यकाल में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से अनेक अध्यक्ष हटाये गये और अविश्वास प्रस्ताव का भय उनके मन में पूरे 5 साल तक बना रहा। उनको चुन करके यह अधिकार दिया गया था कि हमारे नगर पंचायत का, निगम के क्षेत्र का जो विकास होगा, यह बहुत बड़ी बाधा के रूप में हमारे सामने में हम सब लोगों ने देखा है। इस भय के कारण में जो बहुत सारे कार्य होना चाहिए, वह कार्य भी नहीं कर पाये। इसलिए अब यह संशोधन के बाद में जो प्रावधान किये गये हैं, पार्षद, अध्यक्ष, महापौर का सीधे चुनाव होगा। जब सीधे चुनाव होगा तो उनको हटाने की प्रक्रिया ही बहुत कठिन होगी। एक प्रकार से 05 साल में हम देखेंगे तो शायद अपवादस्वरूप एकाध जगह यह परिस्थिति बने, नहीं तो वह अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। क्योंकि पहले पार्षदों को तीन चौथाई बहुमत के द्वारा प्रस्ताव लाना पड़ेगा और प्रस्ताव लाने के बाद में अधिकारी को सौपेंगे और सौंपने के बाद में उसमें चुनाव अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे। उसमें जो उस नगर निगम, नगरपालिका या नगर पंचायत के मतदाता उसमें वोटिंग करेंगे और जब आधे से ज्यादा वोट पायेंगे तब वह वापस होंगे नहीं तो वह अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए बने रहेंगे। इसलिए यह

जो दबाव की राजनीति है कि नगरपालिका, नगर पंचायत के चुने हुए जनता के महापौर को या अध्यक्ष को कुछ लोग मिल करके हटा नहीं सकते। यह दबाव की राजनीति उससे खत्म हो जायेगी और इस संशोधन के साथ उनको पूरे 05 साल काम करने की स्वतंत्रता मिलेगी। दूसरी बात इसमें जो संशोधन लाया गया है हमारे विधान सभा की मतदाता सूची बेस मानी गई है। जिनका नाम विधान सभा की मतदाता सूची में है और मतदाता सूची में किसी कारण से उनका नाम छूट गया, आवेदन दिया गया। लेकिन आवेदन देने के बाद में अधिकारी के द्वारा उस पर पूर्ण रूप से विचार होना चाहिए। अधिकारी स्वत: संज्ञान ले सकता है और संज्ञान ले करके यह बता सकते हैं कि इनका नाम जब विधान सभा की मतदाता सूची में रहा तो बेस हमारा वही है। यदि त्रुटिवश छुटा है तो उनका नाम जोड़ा जा सकता है। यह जो मतदान करने से वंचित हो रहे हैं, अभी जो 1 साल पहले मतदान किये, उससे उनको नहीं रोका जा सकता। बल्कि इसमें संशोधन किया गया, अब उसमें विचार करके उनके नाम को जोड़ सकते हैं, यह उसमें उनको अधिकार दिया गया है। इसमें आरक्षण की स्थिति को ले करके एक सुप्रीम कोर्ट की गाईडलाईन आई। जहां पर एस.सी./एस.टी. आरक्षण 50 प्रतिशत से कम है तो शेष बची हुई जो संख्या है, उसके आधार पर ओ.बी.सी. का वार्डों में भी उनका आरक्षण सुनिश्चित होगा और अध्यक्ष का जहां पर है, वह अध्यक्ष का भी उनके निकाय में सुरक्षित होंगे कि वहां पर ओ.बी.सी. हमारे अध्यक्ष और पार्षद चुनकर आएंगे, उनके लिए सुनिश्चित किया गया है । इसके साथ ही इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात कि यदि अध्यक्ष को वापस लाना है तो केवल उतना ही नहीं है बल्कि उनका कार्यकाल दो साल तक उनको लाने का अधिकार नहीं है और दो साल के बाद वह लेकर आएंगे और यदि दो साल के बाद लेकर आयेंगे तो जिस प्रक्रिया का मैंने उल्लेख किया है, पूरे 5 साल में उस कार्यकाल में केवल एक-बार लाने का अधिकार है, दोबारा उनको अवसर नहीं मिलेगा और इससे हमारे जन-प्रतिनिधि मज़बूत होंगे, हमारा लोकतंत्र मज़बूत होगा और उनको मजबूती के साथ में काम करने का अवसर मिलेगा । इसके साथ ही इसमें एक जो प्रावधान किया गया है कि किसी भी कारण से मान लो कि अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ । किसी भी कारण से कोई एकाध वार्ड के पार्षद का चुनाव नहीं हुआ तो निर्वाचन होने के पश्चात जो प्रथम सम्मेलन होगा उसमें उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो जाएगा । यह नहीं कह सकते कि एक वार्ड में पार्षद नहीं है इसलिए उसका इंतज़ार किया जाए, उसको 6 महीने की अवधि में हम चुनकर ला सकते हैं लेकिन 6 महीना इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है उसको रिक्त माना जाएगा और रिक्त मानकर जो सदस्य present में हैं उन पार्षदों के द्वारा उपाध्यक्ष का चुनाव आपका हो जाएगा, इसमें यह प्रावधान किये गए हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जब अध्यक्ष और पार्षद एक-साथ चुने जाएंगे । महापौर और पार्षद एक-साथ चुने जाएंगे तो 7 दिन के अंदर में एक पद से उनको त्याग-पत्र देना पड़ेगा और एक पद से त्याग-पत्र देकर एक पद में उनको रहने का अधिकार दिया गया है, यह संशोधन इसमें किया गया

है । इसमें आयु का भी किया गया है कि पार्षद के लिए जो पात्रता हो गई, एक तो 18 साल का उनका मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए चूंकि पहले हम लोग जनवरी के जनवरी इंतज़ार करते थे । अब त्रैमासिक उसको जोड़ सकते हैं, एक साल इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है जैसे ही 18 साल के होंगे तो साल में 4 बार उनको अवसर मिलेगा तिमाही और इस अवसर का लाभ लेकर वे नाम कभी भी जुड़वा सकते हैं और इसके साथ ही साथ पार्षद के रूप में खड़े होने की जो पात्रता है, चूंकि 21 वर्ष की उनकी उम्र होनी चाहिए और अध्यक्ष/मेयर के लिए 25 वर्ष की उनकी आयु होनी चाहिए तब वह खड़े हो सकते हैं उससे कम आयु के रहेंगे तो उनके खड़े होने की पात्रता नहीं होगी । इस प्रकार से इसमें जो विस्तार से संशोधन लाये गये हैं । मैं समझता हूं कि इससे लोगों का जन-प्रतिनिधियों के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा और विश्वास के साथ ही साथ उनको काम करने का भी एक अच्छा अवसर मिलेगा । इससे pressure politics खत्म हो जाएगी, उनके सामने विकास का मापदंड होगा कि उन्होंने अपनी जनता के लिए जो वायदे किए हैं, उस वायदे को निभाने के लिए उनको पर्याप्त अवसर मिलेगा और मैं समझता हूं कि इससे हमारे नगरीय- निकाय की व्यवस्था सुदृढ़ होगी और इससे हमारे विकास के कार्य को और गति मिलेगी इसलिए माननीय मंत्री जी के द्वारा नगरीय निकाय का जो संशोधन विधायक लाया गया है । मैं उसका समर्थन करता हूं और इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिये आपको धन्यवाद ।

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । माननीय मंत्री जी ने नगरीय निकाय का जो विधेयक लाया है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । देश के अंदर में केंद्र और राज्य यह दोनों बड़ी सरकारें ज़रूर हैं लेकिन एक स्थानीय सरकार 74वें amendment के बाद में जो बनी वह सबसे ज़्यादा जवाबदेह सरकार है । आम आदमी के घर तक सुविधा पहुंचाना, उसको पानी मिले, सफाई हो, लाईट जले, सड़क बने, इन सारी सुविधाओं को देने का अधिकार अगर किसी को मिला है तो स्थानीय सरकार को मिला है। इसलिए जब ये संशोधन हुआ था, उस समय किसी ने कहा था, जो पुस्तक में उल्लेख है। ये सरकार जो स्थानीय सरकार है, ये शहर के नुमाइंदे मिलकर शहर की सरकार चलाएं। तो इस शहर की सरकार के अंदर में सबकी भागीदारी हो और मुझको इस बात का गर्व है कि आपने पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में डायरेक्ट चुनाव का प्रावधान रखा। कांग्रेस घबराती है। वह खरीद फरोख्त पर विश्वास रखती है और जो जनता जिस पार्टी को बहुमत देती है, उस बहुमत को तोड़ने का काम करती है। लेकिन आपके मुख्यमंत्री कालखंड के अंदर में इस का प्रावधान हुआ और छत्तीसगढ़ के अंदर में डायरेक्ट चुनाव होने के बाद में पहला महापौर बनने का अवसर भी मिला था। आज मैं श्री अरूण साव जी को इस बात की बधाई दूंगा कि कांग्रेस पार्टी डरती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि शहरों का विकास ठीक से हो। वहां पर निर्भीकता के साथ में महापौर और उसकी परिषद काम करे। इसलिए इस विधेयक को लाया है। मैं फिर से अरुण साव जी,

हमारे मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा और उनके प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूंगा। आज इस विधेयक के अंदर में सबसे बड़ी बात ये है कि निर्भीकता के साथ काम करें। पिछले समय भी माननीय वरिष्ठ सदस्य धरमलाल कौशिक जी ने इस बात का उल्लेख कर दिया है। अविश्वास प्रस्ताव लाकर नगर पालिका, नगर पंचायत इन सबको बिगाड़ने का काम हुआ था और इस अविश्वास प्रस्ताव को बहुत कठिन कर दिया। 3/4 (थ्री/फोर्थ) जब पार्षद जब लाएंगे तो जनता के पास में जाएगा। जनता तय करेगी कि वह महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष रहेगा या नहीं रहेगा। रिकॉल करने का जो एक अधिकार दिया है, ये जनता जिस नुमाइंदे को चुनती है, उसको ताकत देने का काम और उसको अगर वह गलत काम करता है तो उसको हटाने का काम जनता के हाथ में इन्होंने छोड़ा है। आज इस विधेयक के अंदर में दो प्रावधान लाये हैं। एक विधेयक के अंदर में जातिगत आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको इस सरकार ने मानकर उसके अंदर में प्रावधान रखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का स्पष्ट मानना है कि सबका साथ, सबका विकास हो। इस शहर के जो नुमाइंदे चुने जा रहे हैं, उसके अंदर में हर जाति का उसका प्रतिनिधि होना चाहिए। भेदभाव ना हो, इस बात के लिए इसके अंदर में प्रावधान रखा है कि सारे लोग मिलकर इस शहर की सरकार को अपने नगर पालिका की सरकार को चलाएं। उसके साथ में जो चुनाव आयोग का भी जो एक प्रावधान आया है कि नौजवानों को उसका हक मिलता रहे और वह वोट से कभी वंचित ना हो, सरकार बनाने का उसको अधिकार हो। त्रैमासिक जो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को मतदाता सूची के अंदर में अपना नाम जुड़ाने का अवसर मिले और इस विधेयक के अंदर में एक मजबूत जनप्रतिनिधि का निर्माण हो, इस बात की जो चिंता हमारे मंत्री जी ने की है, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। आपका आभार व्यक्त करता हूं कि स्थानीय निकाय आने वाले समय के अंदर में निर्भीकता के साथ में काम करेगी। जनप्रतिनिधि को डर नहीं होगा कि कोई खरीद-फरोख्त कर मुझको हटा सकता है तो इस स्थानीय सरकार को काम करने का अवसर मिलेगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, कुछ कहना चाहेंगे?

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (श्री अरूण साव) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 11, सन् 2024) पर विचार किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 11, सन् 2024) पर विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 2 से 24 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 2 से 24 इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (श्री अरूण साव) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 11, सन् 2024) पारित किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 11, सन् 2024) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(मेजो की थपथपाहट)

(5) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2024

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (श्री अरूण साव) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 12, सन् 2024) पर विचार किया जाए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक भी पहले विधेयक की तरह है । समान प्रकृति का है । यह नगर निगमों के लिए शासित होगा । पिछली सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने आम जनता के अधिकार को छीनने का काम किया था । खरीद-फरोख्त करके अपने लोगों को बनाकर, अपने लोगों को बनाने के लिए धनबल, बाहुबल इन सबका उपयोग करके, हमारा व्यक्ति बने इस दृष्टि से यह संशोधन कर लिया था । उनका यह कार्य संविधान की मूल भावना के विपरीत था । 74वां संविधान संशोधन आया, वह लाया ही इसलिए गया था कि एक जवाबदेह, एक जिम्मेदार नगरीय प्रशासन बने । नेतृत्व का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

विकास हो, जवाबदेही तय हो और इन संवैधानिक प्रावधानों को, संविधान संशोधन लाने के मूल उद्देश्य को धता बताते हुए जनता को उनके अधिकारों से महरूम करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था। विष्णुदेव साय की सरकार ने फिर से उसे जनता को देने का निर्णय किया (मेजो की थपथपाहट) और यह विधायक लेकर आए । विपक्ष तो पहले ही मैदान छोड़कर चला गया है । उनको मालूम है कि क्या होने वाला है इसलिए जो दूसरा प्रावधान है । पहला प्रावधान प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने का और भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी मतदाता सूची बनाने के क्रम में परिवर्तन किया। साल में चार बार मतदाता सूची बनती है, उसी के अनुरूप हमारी मतदाता सूची बने, कोई भी मतदाता छूटे मत, इस दृष्टि से एक संशोधन हम लेकर आए हैं। इसी प्रकार से प्रत्यक्ष रीति से महापौर के निर्वाचन होने के कारण जो अनुसंज्ञेय संशोधन जरूरी है, वह किया है। पहले पार्षद ही महापौर चुनते थे और इसलिए अलग से महापौर और अध्यक्ष के लिए आयु सीमा निर्धारित नहीं थी, जो पार्षद बन गया, वह महापौर और अध्यक्ष के लिए अपने आप पात्र हो जाता था लेकिन अब हमने अध्यक्ष और महापौर के लिए 25 साल की न्यूनतम आयु सीमा पूर्ववत निर्धारित की है। जहां तक पिछड़े वर्ग के आरक्षण का विषय है, जो संविधान की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पूर्व में पिछड़े वर्ग को एकमुश्त 25 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान था लेकिन जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, उसके निर्णय के पालन में हमने डेडीकेटेड कमीशन, राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया, उस आयोग ने पूरे प्रदेश भर में सर्वे किया और सर्वे की रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के आधार पर हमने तय किया कि पूर्व में एकमुश्त 25 प्रतिशत आरक्षण था, 5 प्रतिशत एस.टी. है, 5 प्रतिशत एस.सी. है तो 40 प्रतिशत की सीमा तक यदि ओ.बी.सी. की जनसंख्या है तो ओ.बी.सी. को 40 प्रतिशत आरक्षण मिल सकता है। कई स्थानों में, कई निकायों में जनसंख्या के आधार पर 25 प्रतिशत से अधिक आरक्षण मिल रहा है, हम यह संशोधन लेकर आए हैं। कल्याण आयोग की सिफारिश पर अधिकतम 50 प्रतिशत तक भी ओ.बी.सी. को आरक्षण मिल सकता है। यह प्रस्ताव लेकर आए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से आज नगरीय निकायों में विकास के काम हो रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने पिछले पांच सालों में नगरीय निकायों की दुर्दशा की, आज नगरीय निकाय तेज गति से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज तेज गति से शहरों का विकास हो रहा है। एक मजबूत नगर सरकार बने, एक जवाबदेह सरकार बने, जो बेखौफ होकर, निडर होकर, उनको रोज खौफ रहता था कि कब नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा, उसको मनाओ, उसको संभालो। इन सबके विकास के काम पर मेयर और अध्यक्ष का जितना कंसंट्रेशन होना चाहिए, वे पार्षदों को ही संभालने में लगे होते थे। अब यह जो टीम बनेगी, यह जो गठन होगा, यह स्वतंत्र होकर पूरी जिम्मेदारी से नगर के विकास में लगेंगे। एक जवाबदेह टीम बनेगी और इस दृष्टि से हम यह संशोधन लेकर आए हैं। मैं सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस संशोधन विधेयक को सर्वानुमति से पारित करे। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रोहित साहू (राजिम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका अधिनियम 1971 के विभिन्न धाराओं में संशोधन हेतु विधेयक प्रस्तुत किया है जिसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज इस संशोधन विधेयक में प्रस्तावित संशोधन में मतदाता सूची में मतदाताओं का नाम जोड़ने तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली के अनुसार प्रत्येक तिमाही में एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई तथा एक अक्टूबर में अर्हता तिथि संबंधी प्रावधान किए हैं अर्थात् इस व्यवस्था में किसी भी मतदाता को एक वर्ष में ही नाम जोड़वाने का अवसर मिलता था। लेकिन अब जितने भी नये मतदाता हैं, उनको हर 3 महीने में, साल में नाम जोड़वाने का मौका मिल रहा है। अब उनको नाम जोड़वाने के लिए प्रतीक्षा नहीं करना पड़ेगा। 1 जनवरी के स्थान पर प्रत्येक तिमाही में मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जोड़वाने का अवसर मिलेगा। इस अवसर का सीधा लाभ उस क्षेत्र के युवाओं, युवतियों और नये मतदाताओं को मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि आप सभी इस विधेयक को अपना समर्थन दें और मैं भी अपनी ओर से इस विधेयक को पारित करने के लिए समर्थन देता हूं। मैं माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि ओ.बी.सी. वर्ग को भी इस विधेयक का लाभ मिले। ओ.बी.सी. वर्ग के लिए यह जो विधेयक लाया गया है, इससे आने वाले समय में हमारे ओ.बी.सी. वर्ग को भी अच्छा लाभ मिलेगा। नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इससे बहुत अच्छा अवसर भी मिलेगा। मैं माननीय मंत्री जी को इस सदन के माध्यम से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 12 सन् 2024) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 21 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 21 इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- श्री अरूण साव जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) (श्री अरूण साव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 12 सन् 2024) पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 12 सन् 2024) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 13 सन् 2024)। माननीय मंत्री ओ.पी. चौधरी जी।

(6) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 13 सन् 2024)

वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 13 सन् 2024) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप ही संक्षेप में बता दीजिए।

श्री ओ.पी. चौधरी :- जी। अध्यक्ष महोदय, जो जी.एस.टी. है, यह देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभूतपूर्व आर्थिक सुधारों में से है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के फलस्वरूप आ पाया है। जी.एस.टी. के पहले केन्द्रीय उत्पाद कर, सर्विस टैक्स, केन्द्रीय अधिभार, उपकर, वैट, प्रवेश कर, केन्द्रीय विक्रय कर, विलासिता कर जैसे अलग-अलग 17 प्रकार के टैक्स लगते थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि उन्होंने एक बड़े आर्थिक सुधार एक राष्ट्र, एक कर एवं एक बाजार की संकल्पना को स्थापित किया है। जी.एस.टी. कौंसिल भी सहकारी संघवाद का सबसे बड़ा प्रमाण है। जिसमें देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, केन्द्र के भी प्रतिनिधि होते हैं और वहां पर केन्द्र का वेटेज मात्र 1 तिहाई है और राज्यों को 2 तिहाई वेटेज दिया गया है। कोई भी निर्णय लेने के लिए कम से कम 75 प्रतिशत यानी 3 चौथाई बहुमत जरूरी होता है। निर्णय करने अर्थात् डिसीजन मेकिंग में केन्द्र द्वारा राज्यों को इतना बड़ा अधिकार दिया गया है। जी.एस.टी. कौंसिल में किसी भी निर्णय के पारित होने के बाद उसको न तो किसी भी विधान सभा में

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

challenge किया जा सकता है और न ही संसद में challenge किया जा सकता है और ना ही पार्लियामेंट में चैलेंज किया जा सकता है। केन्द्र ने इतना अधिकार राज्यों की इस बॉडी को प्रदान किया है। आज तक का इतिहास है कि जी.एस.टी. के सारे निर्णय सभी राज्यों के लोग बैठकर, विपक्षी पार्टियों वाली राज्य सरकारों के लोग भी बैठकर एक साथ निर्णय लेते हैं। तो यह सहकारी संघवाद का बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके कारण देश में cascading effect पहले जो कर के ऊपर कर लगता था, वह समाप्त हुआ है। पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करना, भुगतान करना, इसकी ऑनलाईन प्रक्रिया के कारण पारदर्शिता बढ़ी है। प्रक्रिया आसान हुई है। मूल्यों में कमी आई है। क्योंकि अब कर के ऊपर कर नहीं लगता है। इसके कारण मूल्यों में कमी आई है और जनता को बड़ा लाभ मिल रहा है। इस तरह यह एक बड़ा रिफॉम है। पहले प्रोसस टाइम में 15 दिन तक का समय लगता था, अब इसे 7 दिनों तक लाया गया है। इन सब कारणों से टैक्स में अच्छी वृद्धि हुई है। व्यापारी साथियों को भी बड़ा लाभ हुआ है। पहले 17 प्रकार के टैक्स के जंजाल में उलझे रहते थे, उससे मुक्ति मिली है। यही कारण है कि व्यापारी भी जी.एस.टी. की प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर पा रहे हैं। शुरूआती दौर में 14 प्रतिशत की दर से कर वृद्धि होनी थी, उसके अनुसार जहां कमी आई, भारत सरकार ने सभी राज्यों को उसके अनुसार उनको compensation के रूप में भी दिया है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य अब तक को 21 हजार करोड़ रूपये compensation के रूप में मिल चुका है। जब कोरोना का विकट समय आया तो भारत सरकार को देने में दिक्कत थी। इसके बावजूद भारत सरकार 2 लाख 59 हजार करोड़ रूपये लोन लेकर इसको पूरा किया है। तो आज देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक राष्ट्र में एक कर की व्यवस्था को स्थापित करके अर्थव्यवस्था की गति को आगे बढ़ाने, उत्पादों पर मूल्य में कमी लाकर जनता को लाभ पहुंचाने के लिए एक बड़ा आर्थिक सुधार है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जी.एस.टी. कौंसिल में जो सुधार किए गए हैं, उसी की सम्मति के लिए आज यह संशोधन विधेयक आया है। इसमें कोई नया विषय नहीं है। जी.एस.टी. कौंसिल में आलरेडी निर्णय लिए जा चुके हैं। मूल रूप से अभी इस संशोधन के जो दो-तीन बिन्दु है, वह व्यापारी भाईयों की सुविधा की दृष्टि से है, जिसे मैं संक्षेप में समझाना चाहूंगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 में जी.एस.टी. लागू हुआ था। वित्तीय वर्ष 2018-19 और वित्तीय वर्ष 2019-20 इन तीन वित्तीय वर्षों में जी.एस.टी. का असेसमेंट जमा करना था। शुरूआती दौर होने के कारण बहुत सारे व्यापारी साथी जमा नहीं कर पाये थे। 3 वर्ष के बाद करने पर उस पर पेनाल्टी लग जाता है, उसमें ब्याज भी जुड़ जाता है। उसकी सीमा समाप्त हो गई थी और व्यापारी भाईयों को बहुत दिक्कत हो रही थी। इसलिए जी.एस.टी. कौंसिल ने निर्णय लिया है और अब जी.एस.टी. कौंसिल one time settlement. (OTS) स्कीम ला रही है। अब 31 मार्च, 2025 तक जो भी अपना असेसमेंट जमा करेगा, भले ही वह 2017-18 का असेसमेंट हो, आज 7 साल बाद भी जमा करेगा तो उसको केवल जो कर जमा करना था, उतना ही कर जमा करके one time

settlement कर सकता है। उसमें कोई पेनाल्टी नहीं लगेगा, उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। भारत सरकार व्यापारी भाईयों के लिए यह सुविधा लाई है। व्यापारी साथियों को आई.टी.सी., जो इनपुट क्रेडिट भी मिलता है। जो व्यापारी साथी आई.टी.सी. क्लेम नहीं कर पाये होंगे, वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20, ये तीन वित्तीय वर्ष जी.एस.टी. शुरूआती वर्ष थे। तो जो आई.टी.सी. क्लेम नहीं कर पाये होंगे, वह अभी भी 31 मार्च, 2025 तक आई.टी.सी. क्लेम कर सकते हैं। जी.एस.टी. कौंसिल यह संशोधन लेकर आई है, जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने बैठकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। यह व्यापारी साथियों की सुविधा के लिए है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय सदन से निवेदन करूंगा कि इस संशोधन विधेयक को पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों को कुछ बोलना है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 13 सन् 2024) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 35 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 35 इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी) मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 13 सन् 2024) पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि-छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 13 सन् 2024) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(7) छत्तीसगढ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2024

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि- छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक 2024 (क्रमांक 15 सन् 2024) पर विचार किया जाये ।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम 2002, यह मूल रूप से अधिनियम है, जिसमें कई बार संशोधन की स्थिति बनी है और संशोधन किया गया है । जैसे, वर्ष 2011 में भी जब आपके नेतृत्व में हमारी पार्टी की सरकार थी, तब भी इस तरह के प्रावधान लाये गये थे, जो कंस्ट्रक्शन में छोटी-मोटी अनियमितता होती है, उसको नियमित दंड आधिरोपित करके, पेनाल्टी इंपोज करके, उस स्ट्रक्चर को नियमित कर दिया जाता है । अध्यक्ष महोदय, एक ही बिन्दु पर हम संशोधन विधेयक लेकर आये हैं । वर्ष 2022 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने यह संशोधन विधेयक लाया था और उस संशोधन विधेयक में पार्किंग के नियमों की पूरी तरह से धज्जियॉं उड़ा दी गई थी । अध्यक्ष महोदय, किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिये जितने भी पार्किंग की जरूरत थी, उसमें 25 प्रतिशत ही पार्किंग की व्यवस्था होती थी, तब भी उस स्ट्रक्चर को नियमित करने का नियम इन्होंने बनाया था, उसके अनुसार अधिनियम लाया था । इसके कारण शहरों में बहुत समस्यायें उत्पन्न हो रही है, वर्ष 2022 के पहले भी जितने संशोधन हुये हैं, सभी संशोधनों में था कि 25 प्रतिशत तक जो वाइलेशन हो अर्थात किसी बिल्डिंग के लिये जितने पार्किंग की जरूरत है, उसका 75 प्रतिशत अगर पार्किंग हो तो उसे नियमित किया जाये, ऐसा प्रावधान पहले के अधिनियमों में था । अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय में इसकी धज्जियॉं उड़ाते हुये इसे 25 प्रतिशत ही पार्किंग होता था, तब भी उसको नियमित करने का प्रावधान लाया गया था । यह अपने चहेतों को लाभ देने का दुष्प्रयास था । ऐसा संशोधन विधेयक लेकर आये थे । अध्यक्ष महोदय, मैं आज उसमें संशोधन प्रस्तावित करता हूँ कि पहले 25 प्रतिशत तक का जो वाईलेशन होता था अर्थात जरूरत के हिसाब से 75 प्रतिशत तक पार्किंग की व्यवस्था होती थी, वैसे ही हम यह संशोधन ला रहे हैं, ताकि शहरों में दिक्कतें न हो, पार्किंग की व्यवस्था भी चलती रहे और जो छोटे-मोटे जो वाइलेशन किये हैं, उनका नियमितीकरण भी हो जाये और जनता को सुविधा भी मिल जाये । यह दोनों पक्षों को रखते हुये प्रस्ताव करते हैं । अध्यक्ष महोदय, इस तरह के 23 हजार आवेदन पेंडिंग हैं, इस संशोधन के बाद हम उसको प्रोसेस करके आगे बढ़ायेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन करता हूँ कि संशोधन विधेयक पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- राजेश मूणत जी ।

श्री राजेश मूणत (रायपुर पश्चिम) :- आपको बधाई हो । आप कम से कम समर्थन में बैठे तो ? (हंसी) सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय आवास पर्यावरण मंत्री जी ने जो नियमितीकरण का संशोधन लेकर आये हैं, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ । (हंसी)

(श्री लालजीत सिंह राठिया के सदन में अकेले बैठने पर)

अध्यक्ष महोदय :- बेचारा बैठा था, आप काहे को परेशान कर रहे हो ?

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, आवास एवं पर्यावरण मंत्री जी ने जिस प्रकार से बताया है कि वाकई में गरीब परिवार के लोग मकान बना लेते हैं और गरीब परिवार के लोग मकान बनाने के साथ....।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय मूणत जी की आवाज बहुत नीचे हो गयी है । हम लोगों को उनके भाषण में मजा नहीं आ रहा है ।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, लोगों को मजा नहीं आ रहा है, विपक्ष की ओर पूरा खाली है । आप कुछ देर वहां बैठकर आईए । (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, चन्द्राकर जी वहां पर बैठे जरूर नहीं हैं। वे आधे घंटे की चर्चा का इंतजार कर रहे हैं । वे उसी तेवर में बात करने वाले हैं ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष जी, यह नियमितिकरण का प्रस्ताव कई साल पूर्व सरकार में आपके समय भी था । इसमें खासकर उन गरीब परिवारों को बहुत बड़ा लाभ मिला है कि जो लोन नहीं ले सकते थे, जिनका नियमितिकरण नहीं हो सकता था, जिसको मकान के लिए कभी लोन लेना है तो वह अन-आथॉराईज्ड था तो उसको लोन भी नहीं मिलता था, उसको बैंक में रख भी नहीं सकते थे । लेकिन इसके साथ-साथ में पूर्व सरकार ने नियमितिकरण की आड़ में जो कार्य किया है, मैं सीधा-सीधा इस बात को कह रहा हूं, यह गंभीर विषय है, नियमितिकरण की आड़ में चारों तरफ पूर्व सरकार ने जो खेल खेला है, जिस प्रकार से मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ सकती थीं, जितना वायलेशन कर सकते थे, शहर को जितने अवैध तरीके से बसा सकते थे, उस सरकार ने नियमितिकरण की आड़ में पूर्व सरकार ने वह सब खेल खेले हैं । अगर कोई एक बिल्डिंग बनी है, अगर वह रेसीडेंसियल है तो वह कामर्सियल बन गई और मास्टर प्लान में वह क्षेत्र रेसीडेंसियल है और रेसीडेंसियल को कामर्सियल बना दिया । नियमों में नहीं बनाया, पर जितना होना चाहिए कि 2 एफ.ए.आर. बनेगा या डेढ़ एफ.ए.आर. बनेगा, वहां ढाई-तीन एफ.ए.आर. तक का बना दिया गया और उसको नियमितिकरण कर दिया गया । यही नहीं किया, यहां तक किया कि अभी वह बिल्डिंग तीन माले की बनी है और चौथा माला और बनाना है, उसको भी नियमितिकरण कर दिया । ऐसा था कि पईसा पटा दो और आप चाहो तो एक बिल्डिंग ऊपर और तान

दो । पार्किंग के नाम पर इतना बड़ा खेल हुआ। अगर 2400 वर्ग फीट का प्लाट है, अगर वह प्लाट मेन रोड के ऊपर है तो अंडर ग्राउण्ड पार्किंग कैसे दे देंगे ? आदमी कार मोड़कर नीचे से नहीं ला सकता, उसको तीन-तीन, चार-चार मंजिल कामर्सियल बना दिया । मेन रोड़ के ऊपर है, उसका नियमितिकरण कर दो । जब सड़क चौड़ीकरण करने जाते हैं तो आपको चार गुना मुआवजा देगा, यह भी बात है । कॉलोनी, सेक्टर के अंदर, कॉलोनी पूरा रेसीडेंसियल ईलाका है, उसका नियमितिकरण करके आपने कामर्सियल कर दिया । पूरे नियम को ताक में रखकर जिस प्रकार का वायलेशन, जिस प्रकार का खेल पूर्व सरकार ने किया है, मैं माननीय ओ.पी. चौधरी जी को धन्यवाद दूंगा, मैंने उनसे आग्रह भी किया है, मैं यह बात लगातार उठाता भी रहा हूं, पूर्व सरकार के समय में इस बात को कहा है। मैं भी 10 साल तक आवास एवं पर्यावरण मंत्री के रूप में काम कर चुका हूं । एक शहर को बसाने के लिए किस प्रकार की योजना होनी चाहिए, हमारी क्या योजना होनी चाहिए, क्या कल्पना होनी चाहिए ? अगर हम मास्टर प्लान का निर्माण करते हैं, अगर कोई 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत वायलेशन हुआ तो उसका नियमितिकरण कर देंगे, लेकिन नियमों को दरकिनार करके जिस प्रकार से नियमितिकरण किया गया, आज राजधानी की कोई सड़क नहीं बची है । अध्यक्ष महोदय, आप और हम विधान सभा के लिए आते हैं, आपने देखा होगा कि शंकर नगर पूरा रेसीडेंसियल कॉलोनी है, वहां की पूरी सड़क रेसीडेंसियल है, लेकिन कामर्सियल बना दिया गया । मास्टर प्लान में रेसीडेंसियल है, वह आगे से लेकर पीछे तक पूरी कामर्सियल नियमितिकरण में आ गई । अगर मैं भनपुरी की बात करूं, अगर मैं पंडरी की बात करूं, अगर मैं शैलेन्द्र नगर, देवेन्द्र नगर की बात करूं, अगर चौबे कॉलोनी की बात करूं, समता कालोनी की बात करूं तो यह 100 प्रतिशत रेसीडेंसियल ईलाका है, पर वह सब कामर्सियल में तब्दील हो गए । वह कामर्सियल में तब्दील ही नहीं हुए, बल्कि 100 प्रतिशत वायलेशन हुआ। रेसीडेंसियल के अंदर जो मास्टर प्लान होता है तो यह कहा जाता है कि 10 मीटर से ज्यादा चौड़ी रोड़ होगी, तब उसका ले आऊट प्लान पास होगा । कम से कम 30 फीट की रोड़ चाहिए । इस शहर में कई ऐसी जगह कालोनियां बन गईं, जिसके अंदर घुसने की जगह तक नहीं है । अध्यक्ष महोदय, इसीलिए आपने एक दिन पहले आपके निर्देश पर जब अवैध कालोनी के संबंध में माननीय मंत्री जी ने बात कही कि आने वाले समय में 5 डिसमिल की रजिस्ट्री को प्रतिबंधित करेंगे । ऐसा नहीं होगा, तो ये शहर बरबाद हो जाएगा और आप और हम केवल बात करते रह जायेंगे। शहर की सड़कों में इतना traffic jam है, कि आदमी कहॉ से निकलेगा। एक छोटा सा प्लॉट, उसमें तीन मंजिल की बिल्डिंग बना दी, उसे commercial कर दिया, जबकि उसके अंदर 27 गाड़ियॉ खडी होनी चाहिए, किन्तु उसमें गाड़ी खड़ी करने का प्रावधान नहीं। मैं जिस चौबे कालोनी, समता कालोनी residential इलाके से आता हूं, वहॉ जिन-जिन का नगर निगम ने नक्शा पास किया है, उस हर नक्शे में पार्किंग दर्शाई गई और पार्किंग की जगह पर दुकानें निकल गईं। पार्किंग खत्म और तीन-तीन दुकानें निकाल दीं। चौड़ीकरण में नाला बनाना था, तो एक दुकान में हमने

पूछा कि भैय्या क्या प्राब्लम है, तो उसे एक दुकान का किराया 40 हजार रुपए मिल रहा है और उसे तीन दुकान का 120000 रुपए किराया मिल रहा है। मकान का किराया 1 लाख 20 हजार रुपए नहीं मिल सकता। अब सर, आपने उसकी पार्किंग खत्म कर दी और उसकी जो तीन गाड़ियों की पार्किंग थी, डेढ़ लाख रुपए लेकर उसका नियमितीकरण कर दिया। 50 हजार रुपए प्रति व्हीकल के हिसाब से लेकर आपने नियमितीकरण कर दिया। आपने 50 हजार रुपए अपने कोष में जमा तो कर लिया, किन्तु अब वह रोड पूरी jam हो गई है। एक नहीं बल्कि वह पूरी की पूरी रोड कामर्शियल हो गई और जो गाड़ियॉ उनके घरों में खड़ी होनी थीं, वह रोड पर खड़ी हो रही हैं। यही नहीं, अनेक अवैध कालोनी के तहत हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि अवैध कालोनियों की भी लिस्टिंग होनी चाहिए और उन गरीब परिवारों ने या जिन लोगों ने वहां पर मकान पर्चेज़ किया है, तो हम उन्हें नियमितीकरण का लाभ कैसे दे सकते हैं। जिन लोगों ने कालोनी काटी है, उनके खिलाफ जुर्माना होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, सामान्य रूप से क्या होता है कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। हमारे पास कोई रोड, नाली, खंभे के लिए आता है, तो हम लोगों को मजबूरी में जाकर करना पड़ता है क्योंकि वहॉ नहीं करेंगे तो जब भी जायेंगे तो 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, हमारे यहॉ रोड नहीं बनी, खंभा नहीं लगा कहते हैं और नगरीय प्रशासन विभाग का अधिकारी परेशान होता है। हम लोग मंत्री जी से बार-बार आग्रह करते हैं और वहां के लिए पैसा लेकर जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, अब यदि उनका नियमितीकरण नहीं होगा, तो उन्हें बिजली का परमानेंट कनेक्शन भी नहीं मिलता और जब परमानेंट कनेक्शन नहीं मिलता है, तो उसे कामर्शियल रूप से बिजली का पेमेंट करना पड़ता है और कभी-कभी ये स्थिति होती है कि गरीब परिवार के लोग होते हैं और जितना उनके घर का खर्च नहीं होता है, उतना उनका बिजली का बिल आता है, क्योंकि उसे commercial charge लगता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसके ऊपर भी एक बार विचार करके one time settlement , जैसा अभी आपने जीएसटी के बारे में बताया, वैसा करें। मेरा आपसे आग्रह है कि वर्ष 2011 के बाद अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है, जिससे यातायात प्रभावित नहीं होता हो, जिससे नियमों का कोई ज्यादा violation नहीं होता हो, लेकिन यदि ऐसे अनाधिकृत विकास हैं, तो उसे आप इस गंभीरता के साथ समझे हुए हैं, आप राजधानी के कलेक्टर भी रह चुके हैं, कमिश्नर भी रह चुके हैं। आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत मेरा दो-तीन चीजों पर इतना ही आग्रह है कि खासकर इसका लाभ गरीब परिवार को मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ों में संशोधन करके जहां कहीं पर भी रोड बाधित होती है, उस रोड पर चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका regularisation नहीं करना चाहिए और जो residential इलाके में हैं, अगर उन्होंने commercial के रूप में तब्दील कर लिया है, तो भी उसका नियमितीकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके कारण पूरी रोड jam होती है। आजकल commercial की value बढ़ गई, residential की value कम हो गई, जिसके कारण पूरे शहर में jam है। आज हम सब बात करते हैं, आये दिन शिकायत करते हैं, समाचार पत्रों में छपता है कि

शहर में jam लगा हुआ है। सड़कों पर कब्जे हैं, तो उसका मूल कारण यही है कि लोगों ने अपनी जगह को तो सुरक्षित कर लिया और सड़क की जगह को जनरल जगह मान लिया। इसलिए इन दो-तीन चीज़ों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए माननीय मंत्री जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले पांच साल के जो पाप हैं, इसे धोने का ठेका इस बार आपने लिया है। वह तो खाकर छूटकर चले गए। आपने मास्टरप्लान में देख भी लिया होगा, मैंने पिछली बार भी बताया था और उदाहरण भी दिया था। अजय जी, इन्होंने कुरुद तक को नहीं छोड़ा, चलो मैं दिखाता हूं। 400 एकड़ जमीन, साढ़े पांच-पांच फीट का गड्ढा, जहां पानी के अंदर है, वह master plane में residential दर्ज है। यानि वह लोग बैठकर ऐसे-ऐसे खेल खेले हैं कि इस शहर में अगर उनका बस चलता तो वे इसे बेचकर चले जाते। लेकिन एक ऊर्जावान मंत्री के रूप में आपने इसे संभाला, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और विष्णु देव साय सरकार पर विश्वास करता हूं कि गरीब को न्याय मिलेगा और हर बात की सुनवाई होगी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 की धारा 6 की उप धारा 1 के खण्ड 4 और उप खण्ड (ख) के पैरा 2 और 3 में संशोधन हेतु सदन में प्रस्तुत किया गया है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लाये गये संशोधनों में अनधिकृत विकास का संशोधन अधिनियम 2022 में दिनांक 1.1.2011 के पूर्व में अस्तित्व में आये विकास और निर्माण हेतु पार्किंग में 100 प्रतिशत और उसके पश्चात अस्तित्व में आये हुए विकास निर्माण में पार्किंग में 75 प्रतिशत की कमी ने शहरों में अव्यवस्थित यातायात को जन्म दिया और यही व्यावहारिक दृष्टि से पिछली सरकार ने शहरों के बाजारीकरण की व्यवस्था कर दी। जहां पर रिहायशी आवास, जैसे हमारे पूर्व मंत्री और सम्माननीय सदस्य, राजेश मूणत जी कह रहे थे कि उन्होंने शहरों के विकास और बसाहट को रोकने का काम किया। जिससे यातायात व्यवस्था पर अतिरिक्त भार पड़ा। आज माननीय मंत्री जी ने जो अनधिकृत विकास नियमितिकरण संशोधन अधिनियम, 2024 प्रस्तुत किया, इस नियमितिकरण संशोधन अधिनियम के तहत प्रावधानों में एकरूपता आयेगी, यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विकास के नियमितिकरण के साथ-साथ सार्वजनिक हित का संरक्षण होगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, वह यह है कि नियमितिकरण संशोधन अधिनियम, 2024 से वर्तमान में लंबित लगभग 23 हजार आवेदन निराकृत किये जायेंगे। यह बहुत बड़ा विषय है और अपने आप में उल्लेखनीय विषय है। इस संशोधन अधिनियम के तहत जो नियमितिकरण होगा, उससे सामान्य वर्ग के लोगों को बैंक से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के पश्चात अपने आवास निर्माण करने की व्यवस्था प्राप्त होगी। नियमितिकरण होने के फलस्वरूप आम जनता अपनी संपत्ति को बैंक में बंधक रखकर अपने आने वाले भविष्य में उसका समुचित उपयोग कर सकती है। नियमितिकरण के होने से प्रदेश के छोटे-बड़े व्यावसायियों को उनके व्यवसाय के संचालन में सुविधा

होगी। पार्किंग के अतिरिक्त किये गये सभी अनधिकृत विकास और निर्माण कार्य का नियमितिकरण किया जा सकेगा। माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक की धारा 6 की उप धारा 1 के खण्ड 4 के उप खण्ड (ख) के पैरा 2 एवं 3 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और सदन से आग्रह करता हूं कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण संशोधन विधेयक, 2024 का समर्थन करते हुए उसको पास किया जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुनील सोनी (रायपुर दक्षिण) :- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास नियमितिकरण संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 15, सन् 2024) का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने इस बात को देखा है और महसूस भी किया है कि जब कोई व्यक्ति मकान और दुकान बना लेता है और नक्शे के विरूद्ध काम करता है। उसके बाद उसके मन में हमेशा बुल्डोजर का भय रहता है और उसकी आड़ में लगातार वसूली होती है। अधिकारी बदलते हैं या नगर निगम की परिषद बदलती है परंतु वह हमेशा भयभीत रहता है, उसके सिर पर तलवार रहती है। आज माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक लाया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। यह तेजी के साथ और पूरी ईमानदारी से साथ लागू हो, इस बात की व्यवस्था भी सरकार को करनी होगी। आज आप शहरों के अंदर देखेंगे तो ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या हो गई है और इस विधेयक के माध्यम से मैं एक सुझाव भी देना चाहूंगा। आपने पार्किंग के लिए जगह छोड़वा दी है। उसने मुहाने के अंदर जगह छोड़ी है और नीचे बेसमेंट में पार्किंग बनवायी है। वहां पर कार की टर्निंग का कहीं भी प्रावधान नहीं रहता है। कम से कम सामने जो नक्शा है, वह उसके अनुरूप बनायेगा और वह जगह 6 फिट रहेगी, तब जाकर पार्किंग की व्यवस्था ठीक होगी। इस विधेयक के माध्यम से हमारे जो छोटे भाई-बहन है, जिन्होंने कम लागत में मकान, दुकानें बनायी हैं वह इसको नियमितिकरण कराकर, लोन भी प्राप्त कर सकते हैं और कहीं पर गिरवी रखकर, पैसा भी प्राप्त कर सकते हैं। इस विधेयक के माध्यम से जो शहरों की सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है और मंत्री जी और सरकार की नीयत एकदम स्पष्ट है कि जो 75 प्रतिशत को 25 प्रतिशत किया है जो कांग्रेस की सरकार के समय में 100 प्रतिशत था इस विधेयक को लाकर 25 प्रतिशत किया है। शहरों के अंदर में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है उसको दूर करने की जो नीयत है, मैं उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद् दूंगा। सरकार का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने समय पर इसका विधेयक लाया। क्योंकि जब मेरी जानकारी के अन्दर में मैंने फोन किया था, जैसे ही मैंने सांसद के तौर पर फोन किया था तो केवल रायपुर जिले, रायपुर शहर के अन्दर में 5000 प्रकरण पैंडिंग है। आज इन्होंने 23000 प्रकरणों का उल्लेख किया है। यह सही है और यह हजारों प्रकरण हैं इस शहर को उनका लाभ मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य श्री राजेश मूणत जी ने कहा है कि जो नियमितिकरण होने के बाद और कंस्ट्रक्शन कर लिये जाते हैं। तो मैं इसमें यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस अधिनियम में अभी आगे जो होगा, वह जो नियमितीकरण होगा, वह बने-बनाये कंस्ट्रक्शन का ही होगा, उसके ऊपर कोई नया कंस्ट्रक्शन कर लिया जाये। अगर कोई जगह का बना हुआ कंस्ट्रक्शन अगर नियमित किया जाता है इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें बाद में कुछ कर लिया जाये। वह बिल्कुल गलत होगा। इसके अलावा उन्होंने और जो बिन्दु अवगत कराये हैं, उस पर चर्चा करके, विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 15 सन् 2024) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि- छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 15 सन् 2024) पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 15 सन् 2024) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय

4.44 बजे

नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

दिनांक 26 जुलाई, 2024 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या -05 (क्रमांक-426) के उत्तर से अद्भुत विषय

अध्यक्ष महोदय :- अब नियम 52 के अधीन आधे घण्टे की चर्चा। श्री अजय चन्द्राकर जी चर्चा उठायेंगे।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अजय जी, आप आधे घण्टे क्या करेंगे?

अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- एक आप ही तो हैं जिससे वाद-विवाद हो सकता है। बाकी किसी से वाद-विवाद हो नहीं सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद्। कभी-कभी ऐसा अवसर आता है जब हाऊस में आधे घण्टे की चर्चा स्वीकृत होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि प्रदेश में कितने दुकान हैं और आपने कितनी दुकानों पर यह कार्यवाही की? इस प्रदेश में कुल दुकानें कितनी हैं और आपने कितनी दुकानों पर कार्यवाही की, किसकी शिकायत पर कार्यवाही की?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, [XX][3] विधान सभा बजट सत्र 2023-24 में माह सितंबर 2022 के पी.डी.एस. स्टाक सत्यापन के संबंध में हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य धरमलाल कौशिक द्वारा पूछे गये प्रश्न क्रमांक 58 के संदर्भ में विधान सभा जांच समिति का गठन किया गया है। [XX] माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण की आपके आदेशानुसार विधान सभा की कमेटी जांच कर रही है। जांच के बाद स्पष्ट हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी का कहना है कि जांच के बाद स्पष्ट हो जायेगा।

श्री दयालदास बघेल :- जी, वह मिल जायेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बोले कि जांच चल रही है, जांच किस विषय में चल रही है? जांच के बिन्दु क्या हैं, जांच की अवधि क्या है? इसको बता दें। आधे घंटे की चर्चा चूंकि आपके द्वारा स्वीकृत है, मेरे द्वारा नहीं है। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि बिन्दु, अवधि और उसमें मेरे विषय शामिल हैं या नहीं हैं? क्योंकि जब चर्चा होगी तो मैं कई चीजें प्रकाश में लाऊंगा। यह ये कहें कि मैं लिखकर दे दूं उसको भी जांच में शामिल करेंगे तो इसमें यह बात क्लीयर हो जाये। क्योंकि जब वह जांच के विषय बतायेंगे तो वह इनसे मेच होता है या नहीं होता है। उसमें बिन्दु

[3] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

जोडेंगे या घटायेंगे। कोई भी तरह की व्यवस्था आपसे मांगने या कोई मांग आपसे करने के पहले, इसको माननीय मंत्री जी पहले स्पष्ट करें।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो पी.डी.एस. के तहत संचालित दुकानों की जांच के संबंध में विधान सभा की समिति द्वारा जांच कराने के निर्देश दिये गये थे। [XX]। माननीय अध्यक्ष महोदय के इस निर्देश के परिपालन में गठित विधान सभा की जांच समिति द्वारा इस प्रकरण की जांच की जा रही है। [XX] ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इसमें व्यवस्था का प्रश्न बनता है, लेकिन में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाऊंगा। विधान सभा की जांच की समिति, उसके बिन्दु जब तक रिपोर्ट नहीं हो, नियमत: कार्यवाही में उसका उल्लेख नहीं होना चाहिए। इसका कार्यवाही में उल्लेख करना ही गलत है। विधान सभा समिति की जांच on running है तो नियमत: उसका उल्लेख यहां नहीं हो सकता कि इतने बिन्दु में है, इतनी जानकारी हमने दी है। मैं व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। पर इसमें आप मुझे निर्देशित करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, जैसा आपका निर्देश होगा। उसका उल्लेख यहां नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा में जांच समिति के बिन्दु और जांच समिति की विषय वस्तु पर यहां व्यापक चर्चा संभव नहीं है। आप मंत्री जी से कुछ और चाहते हैं तो उसमें बात कर लें ताकि उनका जवाब आ जाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो पहला छोटा सा प्रश्न पूछा, उसमें वह आपने जांच प्रतिवेदन को पढ़ रहे थे। यदि आप अनुमति दें तो मैं छोटा-छोटा ही प्रश्न पूछ लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, एक प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, आपसे सादर निवेदन है, आप अपने अधिकारियों से भी इस बात को कहिये कि विधान सभा में जो जांच चल रही है, जो जांच के बिन्दु हैं और कितनी जानकारियां आपने दीं, कितनी जानकारी नहीं दी, नियमत: यह प्रिविलेज के विषय होते हैं। जो ऐसा बोल रहा है उसके ऊपर विशेषाधिकार भंग की अवमानना होगी। जिन्होंने आपको ऐसा लिखकर दिया है, उनको बोलिये। वह नियम, प्रक्रिया को पढ़ लें। मैं आपसे पूछ रहा था कि कुल कितनी दुकानें हैं और उसमें कितनी दुकानों के ऊपर..।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आधे घंटे की चर्चा में मेरे नाम का उल्लेख हुआ है। मैंने जो प्रश्न लगाया था, उसी में से उद्भूत हुआ है। हमारे माननीय सदस्य अजय चन्द्राकर जी पूछ रहे हैं कि मैंने जो लगाया था उसमें उद्भुत हुआ है कि नहीं हुआ है? तो फिर उसमें मुझे भी पूछना पड़ेगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, आप आधे घंटे की चर्चा में जिनको अनुमति दें वह पूछ सकते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न है कि कितनी दुकानों के ऊपर किसकी शिकायत पर कार्यवाही की गयी और कुल कितनी दुकानें हैं?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कुल 13,392 राशन दुकान हैं, सत्यापन तक कुल 5453 दुकानों में अनियमितता पाये जाने पर कार्यवाही की जा रही है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, मैंने इसमें यह भी पूछा है कि इतनी दुकानों पर आपने किसकी शिकायत पर कार्यवाही की और किसकी शिकायत पर जांच की ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या है कि जांच रूटिन है तो विभाग के द्वारा जांच होती रहती है । वैसे मार्च में भी दुकान का सत्यापन होता है उसके बाद विभाग के अधिकारी लोग भी राशन दुकान का निरीक्षण करते हैं, यदि उसमें भी गड़बड़ी पायी जाती है तो उसके प्रति कार्यवाही होती है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, तो आप ऐसा कहना चाहते हैं कि सत्यापन करवाया गया, जांच नहीं करायी गयी ?

श्री दयालदास बघेल :- भैया, जांच ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने यह पूछा कि किसके कहने से...।

श्री दयालदास बघेल :- मैं जांच के संबंध में बोल रहा हूं कि सत्यापन में जो शिकायत मिलती है, जो गड़बड़ी मिलती है उसकी जांच करके कार्यवाही करते हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, मेरे प्रश्न बहुत छोटे-छोटे हैं । मैं बहुत धीरे-धीरे बोल रहा हूं ।

श्री दयालदास बघेल :- मैंने 3-4 बार बताया है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि किसकी शिकायत पर आपने जांच की, वह नाम ? मैंने यह पूछा कि किसकी शिकायत पर ?
आप यह बोल दीजिये न कि किसी की शिकायत नहीं है, आप यह बोल दीजिये कि स्वेच्छा से जांच किये तो मैं वह मान लूंगा ।

श्री दयालदास बघेल :- मैंने बताया न कि जैसे रूटीन प्रक्रिया के तहत् मिलान वगैरह जांच...।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, किसी की शिकायत पर नहीं की, आपने स्वत: संज्ञान लिया ।

श्री दयालदास बघेल :- नहीं, इसमें शिकायत भी है ।

श्री अजय चंद्राकर :- तो वही बता दीजिये न ।

श्री दयालदास बघेल :- आप कहेंगे तो मैं अलग से बता दूंगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- अरे, अलग से नहीं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अलग से वाली व्यवस्था में कभी सहमत नहीं रहता । मैंने कल भी इस बात को बोला था जिसका उल्लेख माननीय विजय शर्मा जी आज सुबह कर रहे थे, यह अलग से कोई देता ही नहीं है, जो अलग से दूंगा बोलते हैं वह हमको आज तक नहीं मिला है ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, एक बात स्पष्ट है कि जो मंत्री जी का कथन है । विधानसभा की जांच समिति के अंदर की जो चर्चा है उसके संबंध में जितनी बातों का उल्लेख किया गया है, वह सारे कथन को विलोपित किया जाता है क्योंकि वह विषय हो ही नहीं सकता ।

श्री अजय चंद्राकर :- हां, हो ही नहीं सकता ।

अध्यक्ष महोदय :- विधानसभा का विषय है ही नहीं ।

श्री अजय चंद्राकर :- बिल्कुल-बिल्कुल ।

अध्यक्ष महोदय :- उनको मैं विलोपित करता हूं । अब इस विषय को लेकर आप एक संक्षिप्त प्रश्न कर लीजिये, बहुत हो गया ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आधे घंटे की चर्चा है उसी के भीतर ही करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- आधा घंटा हो रहा है, चलिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 5 मिनट नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, एक प्रश्न करिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तो फिर उसमें आधे घंटे की चर्चा कहां हुई ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप करिये न । मैं देता हूं न ।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि समिति की जांच हो जायेगी तो स्पष्ट हो जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, इसको अगले उसमें ले लेंगे । ठीक है ।

श्री अजय चंद्राकर :- किसमें ?

अध्यक्ष महोदय :- स्पष्ट हो जायेगा, अगले विधानसभा में इसको...।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या इसको अगली विधानसभा में आधे घंटे की चर्चा के स्वरूप में लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी उससे सहमत हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रिकॉर्ड बन रहा है । आपके सामने रिकॉर्ड नहीं बनना चाहिए कि एक-आधे घंटे की चर्चा पूरी न होकर उसको अगले सत्र में शिफ्ट कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- जब तक जांच समिति की रिपोर्ट आ जायेगी, चलिये ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आधे घंटे की चर्चा अगले सत्र में होगी ?

अध्यक्ष महोदय :- जी ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे फिर नोटिस देने की जरूरत पडेगी ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं । जरूरत नहीं पड़ेगी । चलिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- ठीक ।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को 11.00 बजे तक के लिये स्थगित ।

(सायं 04 बजकर 54 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 (अग्रहायण 29, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

दिनेश शर्मा

रायपुर (छत्तीसगढ़) **सचिव**

19 दिसम्बर, 2024 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं